112

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 02 मई, 2006

में विचारणीय विषयों की



लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 में
विचारणीय विषय–सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	14
3.	कानपुर रोड योजना भाग–1, 2, 3 व 4 में बेल्टिंग/गडढ़े हेतु अभिनिर्णय में प्रस्तावित कटौतियों में छूट प्रदान करने तथा कानपुर रोड योजना भाग–3 हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में **परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।**	26
4.	वर्ष 2005–06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006-2007 का मूल आय-व्ययक।	55
5.	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोमती नगर से सम्बन्धित प्रस्ताव।	56
6.	डा. राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम औरंगाबाद खालसा की 82.74 एकड़ भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।	60
7.	गोमती नगर योजना के विपिन्न खण्ड में डा. राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना।	61
8.	गोमती नगर विस्तार योजना भाग–2 हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	67
9.	सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव।	69
10.	कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना,एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि नेगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।	71
11.	कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा सेक्टर डी–1 में साइट ऐण्ड सर्विसेज–।।। में ग्रीनबेल्ट की भूमि पर आवन्टित भूखण्डों के कारण स्थल का भू–प्रयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	75

12.	कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पड़ी निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि पर छोटे व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	89
13.	लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित चालकों को आवास विकास परिषद की भॉति हैवी ड्युटी एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में।	90
14.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी,2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री राकेश कुमार मित्तल	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री बी0बी0सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3.	श्री आर.एन.त्रिपाठी	जिलाधिकारी, लखनऊ। (केवल 13-1-2006)
4.	श्री सन्तोष कुमार	नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम।
5.	श्रीमती प्रभावती सिंह	सॅयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग।
6.	श्री शिव जनम चौधरी	अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र.शासन।
7.	श्री ओम नारायण,	निदेशक, कोषागार।
8.	श्री एन.आर.वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
9.	श्री वी.यू. विश्नोई	महा प्रबन्धक, गो.प्र.,उ.प्र.जलनिगम, (केवल 06-1-2006)
10.	श्री एस.एल.ठाकुर	अधि.अभि., जलनिगम (केवल 13-1-2006)
11.	श्री पी.के.सिंह	सहा.निदेशक, पर्यटन विभाग।

12.	श्री गोविन्द पान्डेय,	मा. पार्षद/सदस्य, ल.वि.प्रा.।
13.	श्री कपिल सोनी,	मा. पार्षद/सदस्य, ल.वि.प्रा.।
14.	श्री तनवीर हुसैन,	मा. पार्षद/सदस्य, ल.वि.प्रा.। (केवल 06-1-2006)
15.	डा. फिदा हुसैन	सदस्य, ल.वि.प्रा.। (केवल 06-1-2006)
16.	श्री तुलसीराम चौरसिया	सदस्य, ल.वि.प्रा.।

अन्य उपस्थितिः

17.	श्री विजय कुमार यादव	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
18.	श्री सी0पी0शर्मा	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री ललित मेहरोत्रा	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
20.	डा. मोहन यादव	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।

सचिव व्दारा समस्त उपस्थित सदस्यों के अभिवादन एवं नवागन्तुक शासन व्दारा मनोनीत एवं बैठक में उपस्थित दो गैर सरकारी सदस्यों श्री तुलसीराम चौरसिया तथा डा. फिदा हुसैन से समस्त सदस्यों के परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

क्रमशः.....३

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2005 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2005 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09 जुलाई 2005 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या एवं पूर्व बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रस्तुत मूल आय व्ययक में प्राविधानित कम्प्युटर संचालन मद् में रु० 50-00 लाख के विस्तृत विवरण के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण व्दारा अपने स्थायी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए उक्त धनराशि में चरणबध्द रुप से कटौती की जाये।

विषय संख्या : 3 कानपुर रोड योजना सेक्टर–डी–1 में व्यवसायिक भू–उपयोग हेतु आरक्षित भूमि में से 40 एकड़ भूमि डा0 राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि संस्थान, लखनऊ के लिए अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण ।

निर्णय : परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई। शासन के प्रतिनिधि व्दारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव व्दारा निर्देश दिये गये है कि भविष्य में परिचालन के माध्यम से पारित कराये जाने वाले प्रस्तावों पर उनके हस्ताक्षर अवश्य कराये जायें।

विषय संख्या : 4 चन्दन सिंह फाउण्डेशन को गोमती नगर योजना में भूमि आवंटन से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि ।

निर्णय : परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि से पूर्व बोर्ड के निर्देशानुसार प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण उपस्थित सदस्यों के समक्ष किया गया तथा मुख्य मुख्य बिन्दुओं को समाहित करते हुए बनाई गई एक पुस्तिका भी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई। प्रस्तुतिकरण के उपरान्त परिचालित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 5 लखनऊ विकास प्राधिकरण का पुनरीक्षित आय–व्ययक, 2005–2006

निर्णय : सचिव एवं वित्त नियन्त्रक व्दारा पुनरीक्षित बजट के मुख्य मुख्य प्राविधानों पर प्रकाश डाला। उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्राधिकरण की मुख्य-मुख्य उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। वर्ष 2005-2006 के मूल बजट में रु० 406.03 करोड़ की आय तथा रु० 364.25 करोड़ का व्यय प्राविधानित था। इस प्राविधान के सापेक्ष्य वर्ष 2005-2006 के माह नवम्बर 2005 तक रु० 400.92 करोड़ की आय तथा रु० 353.61 करोड़ का व्यय हुआ है।

वर्ष 2005-2006 के माह नवम्बर 2005 तक का वास्तविक आय व्ययक एवं पुनरीक्षित बजट वर्ष 2005-06 में रु० 552.92 करोड़ की आय तथा रु० 547.46 करोड़ के व्यय का प्राविधान प्राधिकरण बोर्ड व्दारा पारित किया गया।

विषय संख्याः 6 गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड–2 में नर्सिंग होम हेतु प्रस्तावित भूखण्ड संख्या–1 एवं 2 तथा साइड लेन का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

विषय संख्याः 7 — वजीर हसन रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–8/158 से 8/160 के सम्मुख स्थित पार्क में श्री चन्द्र दीप सिंह के पूर्व निर्मित भवन की भूमि के भू–उपयोग को "पार्क" से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — विचार विमर्श के मध्यम अवगत कराया गया कि प्रश्नगत निर्माण पूर्व से ही विद्यमान था तथा धारा–13 की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है। विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 8 — मल्टीप्लेक्स/छविगृहों को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण किये जाने से सम्बन्धित ।

निर्णय : — शासनादेश संख्या : सी.एस.–276/8–3–2005–42वि./99, दिनांक 28.10.2005 में किये गये प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः 9 — नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय भवन हेतु विभूति खण्ड, गोमती नगर में लगभग 300 वर्गमीटर भूमि के आवंटन के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : — विकास प्राधिकरण में निःशुल्क भूमि आवन्टन की कोई नीति नहीं है। शासकी संस्थाओं को आरक्षित मूल्य पर ही भूमि आवन्टित की जाती है। अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निःशुल्क भूमि आवन्टन की स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय संख्याः 10 — श्रीमती कौसर जहॉ को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विजय खण्ड में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–एलएस–1 (क्षेत्रफल 13.50 व0मी0)की रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्याः 11 — श्री से0 सिब्ते रजी, महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड को आवंटित भूखण्ड संख्या–1 लाप्लास पर निर्माण न कराने के कारण आरोपित अनिर्माण शुल्क को माफ किये जाने से सम्बन्धित ।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।

विषय संख्याः 12 — अम्बेडकर रैली मैदान एवं अन्य खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक केन्द्रों के आरक्षण हेतु लिये जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त कार्यावधि (Prepration time) के लिए ऑशिक शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित ।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

विषय संख्याः 13 — श्री ओ0पी0 निगम, सहायक अभियन्ता की ओपेन हार्ट सर्जरी पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई। विचार विमर्श के मध्य अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन व्दारा अवगत कराया गया कि अन्य प्राधिकरणों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रु0 2.00 लाख तक उपाध्यक्ष तथा रु0 5.00 लाख तक अध्यक्ष को अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं। इन प्राविधानों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः 14 — उजरियॉव आवासीय योजना भाग–1 व 2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि का समझौते से प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्याः 15 — सरल शमन योजना 2002 के अन्तर्गत श्री वृजेन्द्र कुमार अग्रवाल के भवन संख्याः 34ए, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज के आवासीय भू–उपयोग को व्यवसायिक/कार्यालय में परिवर्तित किये जाने विषयक।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में उपसमिति गठित की गई जिसमें अन्य सदस्य, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगें। यह समिति स्थत निरीक्षण कर अपनी संस्तुतियॉ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति के संयोजक मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होगें।

विषय संख्याः 16 — चिकित्सा भत्ता में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि रु0 30/– के स्थान पर रु0 150/– प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाये।

विषय संख्याः 17 — नेहरु इन्क्लेव योजना में बैंक आफ बड़ौदा को आवंटित पुष्पायन प्रकार के फ्लैटों का भौतिक कब्जा दिये जाने के उपरान्त कराये गये मरम्मत कार्य में व्यय धनराशि की बैंक से वसूली के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मरम्मत मद् में व्यय की गई धनराशि का वहन प्राधिकरण स्वयं करे।

विषय संख्याः 18 नेहरु इन्क्लेव में भूखण्डों के आवंटियों द्वारा रिफण्ड मांगे जाने पर दी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में 6 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाये। इसे अन्य प्रकरणों में दृष्टान्त न बनाया जाये।

विषय संख्याः 19 गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में व्यवसायिक भूखण्डों पर व्यवसायिक व समूह आवास ब्लाक अलग–अलग निर्मित किये जाने तथा दो भूखण्डों को एक कर निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्याः 20 किश्तों में धनराशि लिये जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि साइट एवं सर्विसेज, ई.डबलू. एस. की सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत साधारण तथा 13 प्रतिशत दण्ड ब्याज, एल.आई.जी. की सम्पत्तियों हेतु 11 प्रतिशत साधारण तथा 14 प्रतिशत दण्ड ब्याज, एम.आई. जी./एच.आई.जी. सम्पत्तियों हेतु 12 प्रतिशत साधारण

तथा 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज लगाया जाये। इसी प्रकार व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 15 प्रतिशत साधारण एवं 18 प्रतिशत दण्ड ब्याज लगाया जाये।

विषय संख्याः 21 — उ0प्र0 आई0ए0एस0 एशोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 को 17 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त उत्तर प्रदेश आइ.ए.एस. एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 को 25% बल्केज डिस्काउन्ट सहित इस शर्त के साथ भूमि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई कि एक आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक नहीं रक्खा जायेगा और अधिकतम 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

विषय संख्याः 22 — रैदास मन्दिर स्थित ओवर ब्रिज निर्माण से प्रभावित दुकानदारों को पुनर्वास हेतु अलीगंज योजना के सेक्टर–जी में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड को ब्याज मुक्त एवं मूल्य कम करते हुए 10 वर्षो के मासिक किश्तों में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : — प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्याः 23 — श्रीमती कल्याणी शर्मा को वारविडो कोटे के अन्तर्गत गोमती नगर योजना के विकान्त खण्ड में पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या– सी.पी.–7 पर लगाये गये ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : पूर्व में आवन्टित एवं बढ़े हुए क्षेत्र दोनों का वर्तमान आवन्टी मानते हुए वर्तमान दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराया जाये।

विषय संख्या: 24 धनवन्तरि काम्पलेक्स चौक में नीलाम किये गये भूखण्ड के आवंटियों को वैकल्पिक भूखण्ड गोमती नगर में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्य स्थान पर व्यवसायिक भूखण्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। जमा धनराशि विशेष परिस्थितियों में 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दी जाये।

विषय संख्या:25 अलीगंज योजना के कपूरथला स्थित कार्मिशयल काम्पलेक्स के प्लाट नं0 1,2 एवं 7 पर निर्मित निर्माण को शमन किये जाने के सम्बन्ध मे ।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जिसमें अन्य सदस्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगें। यह समिति स्थल निरीक्षण कर अपनी संस्तुतियॉ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति के संयोजक मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगें।

विषय संख्या:26 श्रीमती शकुन्तला शुक्ला को गोमती नगर विस्तार योजना में आवंटित भूखण्ड सं0–4/182 के स्थान पर पंजीकरण की धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती करते हुए शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में आवंटित भूखण्ड सं0–1/938 के समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या:27 श्रीमती इन्द्रा मिश्रा पत्नी नरेन्द्र देव मिश्रा, दैनिक वेतन भोगी उद!यान अधीक्षक के हृदयबाल रिप्लेसमेन्ट एवं रिपेयर हेतु रु0 1.40 लाख की चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त विशेष परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या:28 बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या : 25 के अन्तर्गत गठित उपसमिति स्थल निरीक्षण कर अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

विषय संख्या:29 रायबरेली रोड स्थित मेसर्स यूनिटेक लि0 द्वारा विकसित साउथ सिटी के पूर्व में स्वीकृत तलपट मानचित्र के ब्लाक 'जे' में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड से आवासीय ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व्दारा अवगत कराया गया कि तलपट मानचित्र में व्यवसायिक उपयोग का प्रतिशत मानक के अनुसार रखते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के समतुल्य कार्यवाही करते हुए तलपट मानचित्र को संशोधित करना उचित होगा। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्यवाही पूर्ण कर तलपट मानचित्र संशोधित कर दिया जाय।

विषय संख्या:30 भूखण्ड संख्या–13 राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक–ए में बेसमेन्ट का समपूर्ण भाग, भूतल का आंशिक भाग तथा छठे तल का लगभग 85 प्रतिशत भाग का वर्तमान में किये जा रहे व्यवसायिक उपभोग का मास्टर प्लान 2001 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान के क्रम में अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद् संख्या : 25 के अन्तर्गत गठित समिति स्थल निरीक्षण एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

विषय संख्या : 31 रेजीडेन्सी स्थित '' ध्वनि एवं प्रकाश शो ''कार्यक्रम के संचालन एवं रखरखाव को पर्यटन विभाग को वापस करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया ''ध्वनि एवं प्रकाश शो'' को पर्यटन विभाग को वापस किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यटन को प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति प्रेषित की जाये।

विषय संख्या : 32 इलाहाबाद हाइकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि. 29–सी.वाई.चिन्तामनि रोड, गार्गी टाउन, इलाहाबाद को 10 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अधिकतम 10 एकड़ भूमि 25% बल्केज डिस्काउन्ट सहित आवासीय प्रयोजन हेतु इलाहाबाद हाइकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति को इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाये कि एक आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक नहीं रक्खा जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त संस्था का संविधान एवं सदस्यों की सूची भी मॉग ली जाये।

अन्य बिन्दु :

श्री गोविन्द पाण्डेय, मा. पार्षद नगर निगम एवं सदस्य, ल.वि.प्रा. व्दारा अवगत कराया गया कि कानपुर रोड योजना में ल.वि.प्रा. व्दारा साइट ऐण्ड सविसेज–III के रुप में आवन्टित की गई भूमि पर लगभग 10 वर्षो से लोग निविसित हैं, उनमें से कुछ की रजिस्ट्री भी हो गई है परन्तु अन्य व्यक्तियों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। मुख्य नगर नियोजक व्दारा अवगत कराया गया कि यह हरित पट्टी अर्थात ग्रीनबेल्ट की भूमि है जिसका ले–आउट भी नियोजन विभाग व्दारा नहीं बनाया गया है। अभियन्त्रण खण्ड व्दारा स्वतः ही भूखण्ड विकसित कर दिये गये और आवन्टन की कार्यवाही कर दी गई।
विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त भूभाग का फिजिकल सर्वेक्षण कराकर स्थल के भू–उपयोग परिवर्तन का स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अन्य बिन्दुः 2

श्री कपिल सोनी, मा. पार्षद नगर निगम एवं सदस्य, ल.वि. प्रा. व्दारा टिकैतराय तालाब के सौन्दर्यीकरण के निमित्त कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। यथा–आवश्यक कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(विजय कुमार यादव)
सचिव

(बी.बी.सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

19.1.06

(राकेश कुमार मित्तल)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

विषय संख्या : 2 पृष्ठ संख्या : 14

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय कमांक	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2005 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2005 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 09 जुलाई, 2005 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या एवं पूर्व बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रस्तुत मूल आय व्ययक में प्राविधानित कम्प्युटर संचालन मद् में रु० 50-00 लाख के विस्तृत विवरण के अवलोकनोपरान्त निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण व्दारा अपने स्थायी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हुए उक्त धनराशि में चरणबध्द रुप से कटौती की जाये।	निर्णयानुसार कटौती की जा रही है। पूर्व में किये जा रहे वार्षिक व्यय के सापेक्ष्य 2006–07 हेतु रु.1,99,000.00 की कटौती कर दी गई है।
3	कानपुर रोड योजना सेक्टर–डी–1 में व्यवसायिक भू–उपयोग हेतु आरक्षित भूमि में से 40 एकड़ भूमि डा0 राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि संस्थान,	परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई। शासन के प्रतिनिधि व्दारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव व्दारा निर्देश दिये गये है कि भविष्य में परिचालन के माध्यम से पारित कराये जाने	अनुपालन पूर्ण किया गया।

	लखनऊ के लिए अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण।	वाले प्रस्तावों पर उनके हस्ताक्षर अवश्य कराये जायें।	
4	चन्दन सिंह फाउण्डेशन को गोमती नगर योजना में भूमि आवंटन से सम्बन्धित परिचालन द्वारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि ।	परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि से पूर्व बोर्ड के निर्देशानुसार प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण उपस्थित सदस्यों के समक्ष किया गया तथा मुख्य मुख्य बिन्दुओं को समाहित करते हुए बनाई गई एक पुस्तिका भी सदस्यों को उपलब्ध कराई गई। प्रस्तुतिकरण के उपरान्त परिचालित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।	निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।
5	लखनऊ विकास प्राधिकरण का पुनरीक्षित आय–व्ययक, 2005–2006	सचिव एवं वित्त नियन्त्रक व्दारा पुनरीक्षित बजट के मुख्य मुख्य प्राविधानों पर प्रकाश डाला। उपस्थित सदस्यों के समक्ष प्राधिकरण की मुख्य-मुख्य उपलब्धियों का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। वर्ष 2005-2006 के मूल बजट में रु० 406.03 करोड़ की आय तथा रु० 364.25 करोड़ का व्यय प्राविधानित था। इस प्राविधान के सापेक्ष्य वर्ष 2005-2006 के माह नवम्बर 2005 तक रु० 400.92 करोड़ की आय तथा रु० 353.61 करोड़ का व्यय हुआ है।	पुनरीक्षित आय–व्ययक के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

		वर्ष 2005-2006 के माह नवम्बर 2005 तक का वास्तविक आय व्ययक एवं पुनरीक्षित बजट वर्ष 2005-06 में रु० 552.92 करोड़ की आय तथा रु० 547.46 करोड़ के व्यय का प्राविधान प्राधिकरण बोर्ड व्दारा पारित किया गया।	
6	गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड–2 में नर्सिंग होम हेतु प्रस्तावित भूखण्ड संख्या–1 एवं 2 तथा साइड लेन का भू–उपयोग आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।	निर्णय के कम में धारा–13 की कार्यवाही हेतु जन साधारण से आपत्तियॉ एवं सुझाव आमन्त्रित किये जाने की सूचना दिनांक 3.2.2006 को 'स्वतन्त्रभारत' एवं 'पायनियर' में प्रकाशित करा दी गई है।
7	वजीर हसन रोड योजना के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या–8/158 से 8/160 के सम्मुख स्थित पार्क में श्री चन्द्र दीप सिंह के पूर्व निर्मित भवन की भूमि के भू–उपयोग को ''पार्क'' से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के मध्यम अवगत कराया गया कि प्रश्नगत निर्माण पूर्व से ही विद्यमान था तथा धारा–13 की कार्यवाही भी पूर्ण की जा चुकी है। विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार तलपट मानचित्र में 'पार्क' से 'आवासीय' सम्बन्धी संषोधन करते हुए दिनांक 23.2.2006 को अधिसूचना प्रकाशित करा दी गई है। सभी सम्बन्धित को संशोधित तलपट मानचित्र प्रेषित कर दिये गये हैं। अनुपालन पूर्ण

			किया गया।
8	मल्टीप्लेक्स/छविगृहों को प्रोत्साहन दिये जाने के उद्देश्य से मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु मानकों का निर्धारण किये जाने से सम्बन्धित ।	शासनादेश संख्या : सी.एस. –276/8–3–2005–42वि. /99, दिनांक 28.10.2005 में किये गये प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	सभी सम्बन्धित को अनुपालन हेतु शासनादेष की प्रति प्रेषित कर दी गई है। तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है।
9	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय भवन हेतु विभूति खण्ड, गोमती नगर में लगभग 300 वर्गमीटर भूमि के आवंटन के सम्बन्ध मे।	विकास प्राधिकरण में निःशुल्क भूमि आवन्टन की कोई नीति नहीं है। शासकी संस्थाओं को आरक्षित मूल्य पर ही भूमि आवन्टित की जाती है। अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि निःशुल्क भूमि आवन्टन की स्वीकृति हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।	निर्णयानुसार दिनांक 7.2.2006 को प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।
10	श्रीमती कौसर जहॉ को गोमती नगर योजना के अन्तर्गत विजय खण्ड में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–एलएस–1 (क्षेत्रफल 13.50 व0मी0)की रजिस्ट्री कराये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
11	श्री से0 सिब्ते रजी, महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड को आवंटित भूखण्ड संख्या–1 लाप्लास पर निर्माण न कराने के कारण आरोपित अनिर्माण शुल्क को माफ किये जाने से सम्बन्धित ।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये।	निर्णयानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया।

12	अम्बेडकर रैली मैदान एवं अन्य खुले क्षेत्र तथा सामुदायिक केन्द्रों के आरक्षण हेतु लिये जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त कार्यावधि (Prepration time) के लिए ऑशिक शुल्क लिये जाने से सम्बन्धित ।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।	निर्णयानुसार शुल्क प्राप्त किया जा रहा है।
13	श्री ओ0पी0 निगम, सहायक अभियन्ता की ओपेन हार्ट सर्जरी पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई। विचार विमर्श के मध्य अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन व्दारा अवगत कराया गया कि अन्य प्राधिकरणों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु रु0 2.00 लाख तक उपाध्यक्ष तथा रु0 5.00 लाख तक अध्यक्ष को अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं। इन प्राविधानों को लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार भुगतान किया गया।
14	उजरियॉव आवासीय योजना भाग–1 व 2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि का समझौते से प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।	निर्णयानुसार प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
15	सरल शमन योजना 2002 के अन्तर्गत श्री वृजेन्द्र कुमार अग्रवाल	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की	उपसमिति की बैठक हो चुकी है। बोर्ड के समक्ष

	के भवन संख्याः 34ए, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज के आवासीय भू–उपयोग को व्यवसायिक/कार्यालय में परिवर्तित किये जाने विषयक।	अध्यक्षता में उपसमिति गठित की गई जिसमें अन्य सदस्य, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगें। यह समिति स्थत निरीक्षण कर अपनी संस्तुतियॉ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति के संयोजक मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होगें।	संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी।
16	चिकित्सा भत्ता में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में ।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि रु0 30/– के स्थान पर रु0 150/– प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाये।	निर्णयानुसार चिकित्साभत्ता रु. 150/– प्रतिमाह दिया जा रहा है।
17	नेहरु इन्क्लेव योजना में बैंक आफ बड़ौदा को आवंटित पुष्पायन प्रकार के फ्लैटों का भौतिक कब्जा दिये जाने के उपरान्त कराये गये मरम्मत कार्य में व्यय धनराशि की बैंक से वसूली के सम्बन्ध मे ।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मरम्मत मद् में व्यय की गई धनराशि का वहन प्राधिकरण स्वयं करे।	अनुपालन सुनिश्चित किया गया। बैंक को निर्णयानुसार निबन्धन कराने हेतु सूचना प्रेषित कर दी गई है।
18	नेहरु इन्क्लेव में भूखण्डों के आवंटियों द्वारा रिफण्ड मांगे जाने पर दी जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध मे ।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में 6 प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाये। इसे अन्य प्रकरणों में दृष्टान्त न बनाया जाये।	अनुपालन किया जा रहा है। आवेदकों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर निर्णयानुसार भुगतान किया जा रहा है।
19	गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में व्यवसायिक भूखण्डों पर व्यवसायिक व समूह आवास ब्लाक अलग–अलग निर्मित	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।	सम्बन्धित को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।

	किये जाने तथा दो भूखण्डों को एक कर निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में ।		
20	किश्तों में धनराशि लिये जाने वाली ब्याज दर के सम्बन्ध में ।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त इस संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान की गई कि साइट एवं सर्विसेज, ई.डबलू.एस. की सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत साधारण तथा 13 प्रतिशत दण्ड ब्याज, एल.आई.जी. की सम्पत्तियों हेतु 11 प्रतिशत साधारण तथा 14 प्रतिशत दण्ड ब्याज, एम.आई.जी./एच.आई.जी. सम्पत्तियों हेतु 12 प्रतिशत साधारण तथा 15 प्रतिशत दण्ड ब्याज लगाया जाये। इसी प्रकार व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु 15 प्रतिशत साधारण एवं 18 प्रतिशत दण्ड ब्याज लगाया जाये।	निर्णनुसार ब्याज प्राप्त किया जा रहा है।
21	उ0प्र0 आई0ए0एस0 एशोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 को 17 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त उत्तर प्रदेश आइ.ए.एस.एसोसियेशन सहकारी आवास समिति लि0 को 25% बल्केज डिस्काउन्ट सहित इस शर्त के साथ भूमि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई कि एक आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक नहीं रक्खा जायेगा और अधिकतम 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।	अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

22	रैदास मन्दिर स्थित ओवर ब्रिज निर्माण से प्रभावित दुकानदारों को पुनर्वास हेतु अलीगंज योजना के सेक्टर–जी में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड को ब्याज मुक्त एवं मूल्य कम करते हुए 10 वर्षो के मासिक किश्तों में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में ।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार अनुपालन पूर्ण किया गया।
23	श्रीमती कल्याणी शर्मा को वारविडो कोटे के अन्तर्गत गोमती नगर योजना के विक्रान्त खण्ड में पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या– सी.पी.–7 पर लगाये गये ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध मे ।	पूर्व में आवन्टित एवं बढ़े हुए क्षेत्र दोनों का वर्तमान आवन्टी मानते हुए वर्तमान दर पर भूखण्ड उपलब्ध कराया जाये।	निर्णय से अवगत कराने हेतु पक्ष को दिनांक 8.2.2006 को सूचित कर दिया गया है।
24	धनवन्तरि काम्पलेक्स चौक में नीलाम किये गये भूखण्ड के आवंटियों को वैकल्पिक भूखण्ड गोमती नगर में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध मे ।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्य स्थान पर व्यवसायिक भूखण्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। जमा धनराशि विशेष परिस्थितियों में 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दी जाये।	अनुपालन पूर्ण किया गया।
25	अलीगंज योजना के कपूरथला स्थित कार्मिशयल काम्पलेक्स के प्लाट नं0 1,2 एवं 7 पर निर्मित निर्माण को शमन किये जाने	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जिसमें अन्य सदस्य मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश तथा	उपसमिति की संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

	के सम्बन्ध मे ।	मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगें। यह समिति स्थल निरीक्षण कर अपनी संस्तुतियॉ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी। समिति के संयोजक मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगें।	
26	श्रीमती शकुन्तला शुक्ला को गोमती नगर विस्तार योजना में आवंटित भूखण्ड सं0–4/182 के स्थान पर पंजीकरण की धनराशि पर 20 प्रतिशत कटौती करते हुए शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में आवंटित भूखण्ड सं0–1/938 के समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।	पक्ष को निर्णय से अवगत करा दिया गया है।
27	श्रीमती इन्द्रा मिश्रा पत्नी नरेन्द्र देव मिश्रा, दैनिक वेतन भोगी उद!यान अधीक्षक के हृदयबाल रिप्लेसमेन्ट एवं रिपेयर हेतु रु0 1.40 लाख की चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में	विचारोपरान्त विशेष परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार भुगतान किया गया।
28	बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के सम्मुख रोड पर स्थित आवासीय भूखण्डों को व्यवसायिक में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या : 25 के अन्तर्गत गठित उपसमिति स्थल निरीक्षण कर अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।	उपसमिति की संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

29	रायबरेली रोड स्थित मेसर्स यूनिटेक लि0 द्वारा विकसित साउथ सिटी के पूर्व में स्वीकृत तलपट मानचित्र के ब्लाक 'जे' में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड से आवासीय ग्रुप हाउसिंग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	बैठक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व्दारा अवगत कराया गया कि तलपट मानचित्र में व्यवसायिक उपयोग का प्रतिशत मानक के अनुसार रखते हुए उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–13 के समतुल्य कार्यवाही करते हुए तलपट मानचित्र को संशोधित करना उचित होगा। प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्यवाही पूर्ण कर तलपट मानचित्र संशोधित कर दिया जाय।	निर्णयानुसार धारा–13 की कार्यवाही की विज्ञप्ति 24.1.2006 को 'स्वतन्त्र भारत' एवं 'पायनियर' में प्रकाशित कराई गई।
30	भूखण्ड संख्या–13 राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक–ए में बेसमेन्ट का समपूर्ण भाग, भूतल का आंशिक भाग तथा छठे तल का लगभग 85 प्रतिशत भाग का वर्तमान में किये जा रहे व्यवसायिक उपभोग का मास्टर प्लान 2001 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान के क्रम में अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मद् संख्या : 25 के अन्तर्गत गठित समिति स्थल निरीक्षण एवं प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।	उपसमिति व्दारा मौके की जानकारी चाही गई थी जो उपलब्ध करा दी गई है। प्रकरण समिति के समक्ष विचाराधीन है।
31	रेजीडेन्सी स्थित '' ध्वनि एवं प्रकाश शो ''कार्यक्रम के संचालन एवं रखरखाव को पर्यटन विभाग को वापस करने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया ''ध्वनि एवं प्रकाश शो'' को पर्यटन विभाग को वापस किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, पर्यटन को प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति प्रेषित की जाये।	निर्णयानुसार प्रमुख सचिव पर्यटन को पत्र भेजा गया। व्यक्तिगत सम्पर्क कर 'शो' के हस्तान्त्रण हेतु प्रयास किया जा

			रहा है।
32	इलाहाबाद हाइकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति लि. 29–सी.वाई.चिन्तामनि रोड, गार्गी टाउन, इलाहाबाद को 10 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अधिकतम 10 एकड़ भूमि 25% बल्केज डिस्काउन्ट सहित आवासीय प्रयोजन हेतु इलाहाबाद हाइकोर्ट जजेज सहकारी आवास समिति को इस शर्त के साथ उपलब्ध कराई जाये कि एक आवासीय भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक नहीं रक्खा जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त संस्था का संविधान एवं सदस्यों की सूची भी मॉग ली जाये।	अनुपालन सुनिश्चित किया गया।
अन्य बिन्दु:1		श्री गोविन्द पाण्डेय, मा. पार्षद नगर निगम एवं सदस्य, ल.वि. प्रा. व्दारा अवगत कराया गया कि कानपुर रोड योजना में ल.वि.प्रा. व्दारा साइट ऐण्ड सविसेज–III के रुप में आवन्टित की गई भूमि पर लगभग 10 वर्षो से लोग निविसित हैं, उनमें से कुछ की रजिस्ट्री भी हो गई है परन्तु अन्य व्यक्तियों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। मुख्य नगर नियोजक व्दारा अवगत कराया गया कि यह हरित पट्टी अर्थात ग्रीनबेल्ट की भूमि है जिसका ले–आउट भी नियोजन विभाग व्दारा नहीं बनाया गया है। अभियन्त्रण खण्ड व्दारा स्वतः ही भूखण्ड विकसित कर दिये गये और आवन्टन की कार्यवाही कर दी गई। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया	निर्णयानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

		कि उक्त भूभाग का फिजिकल सर्वेक्षण कराकर स्थल के भू–उपयोग परिवर्तन का स्वतः स्पष्ट प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	
अन्य बिन्दुः 2		श्री . कपिल सोनी, मा. पार्षद नगर निगम एवं सदस्य, ल.वि. प्रा. व्दारा टिकैतराय तालाब के सौन्दर्यीकरण के निमित्त कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। यथा–आवश्यक कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

विषय संख्या : 03 पृष्ठ सँख्याः 26

विषयः- <u>कानपुर रोड योजना भाग-1, 2, 3 व 4 मे बेल्टिगं/गडढे हेतु अभिनिर्णय मे प्रस्तावित कटौतियो मे छूट प्रदान करने तथा कानपुर रोड योजना भाग-3 हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध मे।</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-1, 2, 3 व 4 के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रतिकर का निर्धारण किया गया था, जिसके विरूद्ध काश्तकारों द्वारा मा0 न्यायालय में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा के अन्तर्गत संदर्भ वाद दायर किये गये थे, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिकर की दर बढ़ा दी गई, जिसके फलस्वरूप कई वर्षो से लम्बित विवाद को समाप्त करने की दृष्टि से काश्तकारों से आपसी समझौता किया गया। समझौता का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम दिनॉक 19.03.05 को किया गया था, जिसके उपरान्त काश्तकारों को भुगतान प्रारम्भ किया गया तथा काश्तकारों द्वारा बेल्टिंग/गड्ढे की कटौती समाप्त करने के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न किया गया एवं डा0 राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान का कार्य प्रभावित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में काश्तकारों से पुनः वार्ता की एवं बेल्टिंग/गड्ढे की कटौती 50 प्रतिशत तक समाप्त करने की सहमति जताई गई। तदोपरान्त एक प्रस्ताव तैयार कर परिचालन के माध्यम से प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रति **संलग्न** है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विषयः- <u>कानपुर रोड योजना भाग-1, 2, 3 व 4 मे बेल्टिगं/गडढे हेतु अभिनिर्णय मे प्रस्तावित कटौतियो मे छूट प्रदान करने तथा कानपुर रोड योजना भाग-3 हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध मे।</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना भाग-1, 2 व 4 के अन्तर्गत आपसी समझौते से प्रतिकर भुगतान का प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनॉक 19.03.05 को प्रस्तुत किया गया था तथा प्राधिकरण बोर्ड बैठक द्वारा योजनान्तर्गत अर्जित भूमि का प्रतिकर आपसी समझौते से वितरित करने का निर्णय लिया गया(**संलग्नक-1**), जिसके क्रम में हितबद्ध काश्तकारों को अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) के माध्यम से समझौते की धनराशि वितरित की जा रही है एवं अभिनिर्णय मे प्रस्तावित बेल्टिगं/गडढो हेतु कटौतिया की जा रही है।

2. प्रश्नगत योजना में किसानो की अर्जित भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त होने के उपरान्त एवं बढ़ी धनराशि के भुगतान के उपरान्त भी अधिंकाश किसान अर्जित भूमि पर विकास कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। वर्तमान में डा0 राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान एवं रतन खण्ड में चल रहे विकास कार्यो में मुख्य रूप से कानपुर रोड योजना भाग-3 के किसानों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आवंटियों/प्राधिकरण के हित में प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित किसानों से वार्ता की गई एवं उनसे अवैध अवरोध उत्पन्न किये जाने के कारणो कीं जानकारी प्राप्त की गई जिससे पता चला कि सम्बन्धित किसानों में यह रोष है कि उन्हें 11(1) के अन्तर्गत समुचित भूमि का प्रतिकर प्राप्त नही हुआ जिसके कारण सभी सम्बन्धित किसान कह रहे है कि अर्जित भूमि पर समुचित भुगतान किये बगैर कार्य नहीं करने देंगे। वर्षो से चल रहे विवाद से ऊब कर समझौता करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। वे समझौते के आधार पर रू0 3.50 प्रतिवर्गफुट की दर से एवं भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अर्न्तगत सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज के साथ प्रतिकर लेने पर सहमत है, परन्तु उनकी मुख्य मॉग यह है कि समझौते की धनराशि में गडढा हेतु कटौती न की जाये।

3. कानपुर रोड येाजना भाग-3 के काश्तकारो द्वारा पूर्व मे समझौते हेतु सहमति नही दी गयी थी। फलस्वरूप इस भाग हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि के भुगतान का निर्णय उक्त बोर्ड बैठक मे नही लिया गया था। कानपुर रोड योजना भाग-4 के अन्तर्गत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समझौत से अभिनिर्णित दर रु0 1.72 पैसे प्रति वर्ग फुट के स्थान पर रु0 3.50 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से ग्राम किलामोहम्दी नगर, सालेह नगर, भदरूख, औरंगाबाद खालसा, उतरठिया एवं हैवतमऊ मवैया की अधिग्रहीत भूमि का भुगतान किया जा रहा है। कानपुर रोड योजना भाग-3 के अन्तर्गत भी ग्राम सालेहनगर, भदरूख, किला मोहम्मदी नगर, औरंगाबाद खालसा ग्रामों की ही भूमि सम्मिलित है तथा भूमि की अभिनिर्णित दर भी रु0 1.72 प्रति वर्ग फुट है। ऐसी स्थिति में कानपुर रोड योजना भाग-3 में भी अभिनिर्णित दर रु0 1.72 पैसे प्रति वर्ग फुट के स्थान पर आपसी समझौते से रु0 3.50 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से अधिग्रहीत की गई ग्राम सालेह नगर, भदरूख, किलामोहम्मदी नगर, औरंगाबाद खालसा, हसनापुर, कासिमपुर पकरी की भूमि का प्रतिकर भुगतान किया जाना उचित एवं हितकर प्रतीत होता है। अतः कानपुर रोडयोजना भाग-3 के किसानो को भी तदानुसार भुगतान प्रस्तावित किया गया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय में जो गडढो हेतु कटौतियॉ निर्धारित की गई हैं, उनके स्थान पर समझौते मे कटौती न किये जाने का किसानो

द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। प्राधिकरण एवं किसानो के मध्य जिन बिन्दुओ पर सहमति बनी है वे निम्न है:-

1. आपसी समझौते के अनुसार रू0-3.50 पै0 प्रतिवर्गफिट की दर से मुआवजे का नियमानुसार वितरण गॉव मे ही कैम्प लगाकर सुनिशचित किया जायेगा।

2. कानपुर रोड येाजना मे प्राथमिकता के आधार पर छोटी दुकानो का निर्माण करके उनका आवंटन प्राधिकरण की लागत मूल्य आसान किश्तो पर अधिग्रहण मे प्रभावित काश्तकारो को किया जाना।

3. प्रभावित गॉवो मे शमशान घाट एवं धोबीघाट का सौन्दर्यीकरण किया जाना।

4. प्रभावित गॉवो मे नाली, खडजो, सम्पर्क मार्गो का सुदृढिकरण किया जाना।

5. प्रभावित गॉवो मे सीवर, पेयजल का सुदृढिकरण किया जाना।

6. प्रभावित गॉवो मे शादी-विवाह हेतु सामुदायिक विकास केन्द्रो का निर्माण किया जाना।

7. आवासीय भूखण्डो के आवंटन हेतु भूमिहीन काश्तकारो को प्राथमिकता के आधार पर भूखण्डो का आवंटन किया जाना।

8. बेल्टिगं के चार्जेज के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी के शासकीय अधिवक्ता, प्राधिकरण के अधिवक्ता एवं किसानो के अधिवक्ता की बैठक बुलाकर प्रचलित नियमो के अर्न्तगत यदि कोई वैधानिक समस्या नही आती हो तो बढे दर पर बेल्टिगं न लिये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्राधिकरण एवं किसानो के मध्य हुये उपरोक्त समझौते की प्रति **सलंग्नक-2** पर उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में काश्तकारों से पुनः वार्ता की गई है एवं चर्चा के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि 50 प्रतिशत की सीमा तक ही कटौती की जाये अर्थात कटौती मे 50 प्रतिशत की छूट प्रदान कर दी जाये। इससे कम कटौती किया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र से भी मन्तव्य प्राप्त किया गया है। उनके द्वारा भी मन्यतव्य दिया गया है कि आपसी समझौता करने की दशा में अभिनिर्णय की शर्तो/दरों के अनुसार किये गये भुगतान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा एवं समझौता करना अवैधानिक नहीं है, लेकिन समझौता किये जाने के प्रारूप में अभिनिर्णीत की गई धनराशि के भुगतान पर दिये जाने वाले ब्याज/विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा काश्तकारों द्वारा तय की गई शर्तो का उल्लेख करना चाहिए। अधिवक्ता द्वारा दिये गये मन्तव्य की प्रति **सलंग्नक-3** पर उपलब्ध है।

कानपुर रोड योजना भाग-4 के अर्न्तगत मा0 ट्रिब्यूनल न्यायालय द्वारा श्रीमती विद्यादेवी बनाम स्टेट के मामले मे भूमि की प्रतिकर की दर का निर्धारण रू0-1.72 पै0 के स्थान पर 3.76 पै0 प्रतिवर्गफिट निर्धारित किया गया था, जिसमे कटौतिया भी निर्धारित की गयी थी परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.02.95 मे भूमि की प्रतिकर की दर विक्रय पत्र के विक्रीत दर रू0-6.69 प्रतिवर्गफिट पर 1/3 कटौती करते हुये रू0-4.50 पै0 प्रतिवर्गफिट समस्त भूमि हेतु निर्धारण कर दिया गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की दिनांक 17.01.02 को पुष्टि कर दी गयी है। स्पष्ट है कि मा0 न्यायालय द्वारा इस मामले मे स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया गया है कि बेल्टिगं/गडढो हेतु दर मे कटौती उचित नही है क्योकि समतल एवं गडढे की भूमि हेतु एक ही दर निर्धारित कर दी गयी। मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रति **सलंग्नक-4 व 5** पर

उपलब्ध है।

इस प्रकार यदि अभिनिर्णय मे प्रस्तावित कटौतियो मे समझौते के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है तो चारो भागो की योजनाओ के किसानो को इसका लाभ दिया जाना होगा/इस प्रकार चारो चरणो हेतु दरे निम्नानुसार होगी :-

क्र0	योजना का नाम	ग्राम	अभिनिर्णीत दर (प्र0व0फुट)	अभिनिर्णीत दर मे की गयी कटौतियॉ	अभिनिर्णय मे प्रस्तावितकटौतियो सहित समझौते की दर(प्र0व0फुट)	समझौते से प्रस्तावित 50प्रतिशत कटोती सहित दर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कानपुर रोड यो0-1	बरगंवा	1.50	समतल, कोई कटौती नही	3.00	3.00
				1 से 2 फुट गडढे हेतु 30 %	2.10	2.55
				2 से 3 फुट गडढे हेतु 45 %	1.65	2.32
				3 से अधिक गडढे हेतु 60 %	1.20	2.10
		बेहसा	1.35	प्रथम बेल्ट 1.35 प्र.व.फु.	2.70	2.70
				द्वितीय बेल्ट 0.90 प्र.व.फु.	1.80	2.25
				त्रितीय बेल्ट 0.68 प्र.व.फु.	1.35	2.02
2.	कानपुर रोड यो0-2	बरगंवा	2.25	प्रथम बेल्ट 2.25 प्र0व0फु0	3.00	3.00
				प्रथम बेल्ट में 3 फुट तक गडढे हेतु 10% कटौती	2.70	2.85
				प्रथम बेल्टमें 3 फिट से अधिक गडढे हेतु 15% कटौती	2.55	2.77
		बरगंवा	1.69	द्वितीय बेल्ट 1.69 प्र0व0फु0	2.25	2.25
				द्वितीय बेल्ट में 3 फुट तक गडढे हेतु 10% कटौती	2.02	2.13
				द्वितीय बेल्ट में 3 फिट से अधिक गडढे हेतु 15% कटौती	1.91	2.08
		बेहसा	1.93	समतल, कोई कटौती नही	3.00	3.00
				1से 3 फिट गडढे हेतु 10 %	2.70	2.85
				3से अधिक गडढे हेतु 15 %	2.55	2.77
3.	कानपुर रोड यो0-3	किला मो0 नगर सालेहनगर, भदरूख, औरगांबाद खालसा, कासिमपुर पकरी, हसनापुर	1.72	समंतल, कोई कटौती नही	3.50	3.50
				गडढे हेतु 60 प्रतिशत	1.40	2.45

4.	कानपुर रोड यो0-4	किला मो0 नगर,	1.72	समतल, कोई कटौती नही	3.50	3.50
		हैबतमऊ मवैया,		1 से 2 फिट		
		सालेहनगर, भदरूख,		गडढे हेतु 20 %	2.80	3.15
		औरगांबाद खालसा,		3 से 4 फिट		
		बेहसा, उतरठिया		गडढे हेतु 40 %	2.10	2.80
				5 से अधिक		
				गडढे हेतु 60 %	1.40	2.45

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभिन्न भागो मे गडढो/बेल्टिगं हेतु जो कटौतिया विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय मे निर्धारित की गयी थी वह उनके विवेकानुसार निर्धारित की गयी थी क्योकि कानपुर रोड योजना भाग-2 मे 3 फिट से अधिक गहरे गडढे हेतु मात्र 15 प्रतिशत कटौती निर्धारित की गयी जबकि कानपुर रोड योजना भाग-4 मे 3 से 4 फुट गहरे गडढे हेतु 40 प्रतिशत कटौती निर्धारित की गयी। किसानो द्वारा धारा-18 के अर्न्तगत जो वाद योजित किये गये है उनमे भी गडढो/बेल्टिगं की कटौती न करने का अनुरोध मा0 न्यायालय से किया गया है एवं कतिपय मामलो मे मा0 न्यायालय मे यह कटौती समाप्त की गयी है। अधिवक्ता द्वारा भी कटौती मे दी जाने वाली छूट पर विधिक दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की गयी है, अतः कार्यहित मे वर्षो से चल रहे किसानो के अवरोध एवं विवाद को समाप्त करने की दृष्टि से समझौते के आधार पर भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि मे 50 प्रतिशत की सीमा तक ही गडढे/बेल्टिगं की कटौतियो सहित उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-7 मे अकिंत दरो के निर्धारण पर विचार किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि जिन किसानो को प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय दिनांक 19.03.05 के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान अभिनिर्णय मे प्रस्तावित कटौतियो सहित किया जा चुका है उन्हे भी अनुपूरक अनुबन्ध करते हुये वर्तमान मे दी जा रही कटौती मे छूट का लाभ दिया जाना होगा, अन्यथा ऐसे किसानो द्वारा पुनः कार्य मे बाधा एव अवरोध उत्पन्न किया जायेगा। उपरोक्तानुसार स्तम्भ -7 मे कटौतियो सहित विभिन्न भागो हेतु निर्धारित दरो पर समझौता करने पर 15 प्रतिशत ब्याज की देयता के कारण लगातार हो रही वृद्धि को विराम लगेगा तथा अनावश्यक वाद मे लगने वाले समस्त व्यय समाप्त हो जायेगे तथा समय एवं मानव श्रम की बचत होगी, जिसका उपयोग अन्यत्र किया जा सकेगा। साथ ही स्थल पर किसानो द्वारा विगत कई वर्षो से एवं वर्तमान मे दिन प्रतिदिन किया जा रहा प्रतिरोध भी समाप्त हो जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार कानपुर रोड योजना भाग-3 के अर्न्तगत अर्जित ग्राम की भूमि का प्रतिकर आपसी समझौते से कानपुर रोड योजना भाग-4 मे पूर्व से निर्धारित समझौते की दर रू0-3.50पै0 प्रतिवर्गफिट की भाति ही भुगतान किये जाने एवं गडढो/बेल्टिगं हेतु अभिनिर्णय मे निर्धारित कटौती मे 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

M.C. DM 28/11/06 SECT. LDA VC. LDA CE(LZ)

Vacant D.I. Govind Lady T. Bano 1.2.06

19 मार्च 2005

8

निर्णय : प्रस्तुत शासनादेश दिनांक 9 फरवरी, 2005 को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 22 कानपुर रोड योजना भाग–1, 2 व 4 के अन्तर्गत अर्जित भूमि का समझौते से प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देश दिये गये कि भुगतान से आने वाले व्यय को सम्बन्धित योजना पर भारित किया जाये।

विषय संख्या : 23 भू0स0:13, राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक ए में बेसमेन्ट का सम्पूर्ण भाग, भूतल का आंशिक भाग तथा छठे तल का लगभग 85 प्रतिशत भाग का वर्तमान में किये जा रहे व्यवसायिक उपयोग की मास्टर प्लान 2001 के जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान के कम में अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : समयाभाव के कारण स्थगित किया गया।

विषय संख्या : 24 मा.डा.ए.आर.किदवई, सॉसद एवं पूर्व श्री राज्यपाल बिहार एवं पश्चिम बंगाल को आवन्टित भूखण्ड संख्या : बी–3/200 विशाल खण्ड पर आरोपित अनिर्माण शुल्क(लेवी) की माफी के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 25 डा. अम्बेडकर रैली मैदान एवं सामु.के0 तथा अन्य खुले स्थल के आरक्षण हेतु शुल्क निर्धारण से सम्बन्धित।

निर्णय : संज्ञानार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव का संज्ञान लिया गया।

विषयसंख्याः- 22

विषयः- **कानपुर रोड योजना भाग-1, 2 व 4 के अर्न्तगत अर्जित भूमि का समझौते से प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध मे।**

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कानपुर रोड योजना भाग-1, 2 व 4 के अर्न्तगत वर्ष 1976 से 1986 के मध्य भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जिस हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 की विज्ञप्तियो का प्रकाशन शासकीय गजट में हुआ था। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अपने अभिनिर्णय में विभिन्न चरणो हेतु निम्नवत दरे निर्धारित की थीः-

क्र0	योजना का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ मे)	ग्राम	अभिनिर्णीत दर (प्र0व0फुट)
1.	कानपुर रोड योजना-1	565.31	1. बरगंवा 2. बेहसा	1.50 1.35
2.	कानपुर रोड योजना-2	455.96	1. बरगंवा 2. बेहसा	2.25 1.92
3.	कानपुर रोड योजना-4	1258.026	किला मो0 नगर, सालेहनगर, भदरूख, औरगांबाद खालसा, बेहसा, उतरठिया, हैबतमऊ मवैया	1.72

2. योजना अर्न्तगत हितबद्व काश्तकारो द्वारा भूमि की अभिनिर्णीत दर से सहमत न होने की दशा में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-18 के अर्न्तगत सक्षम न्यायालय में अनेको सन्दर्भ वाद प्रस्तुत किये गये है। दायर वादो में से कानपुर रोड योजना भाग-1 के अर्न्तगत 54 वाद, कानपुर रोड योजना भाग-2 के अन्तर्गत 12 वाद एवं कानपुर रोड योजना भाग-4 के अन्तर्गत 2 वाद सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत किये जा चुके है, जिसमें निम्नानुसार दरो में वृद्वि की गयी हैः-

क्र0	योजना का नाम	ग्राम	मा0 ट्रिब्यूनल द्वारा बढाई गयी दर	मा0 उच्च न्या0 द्वारा बढायी दर
1.	कानपुर रोड यो0-1	1. बरगंवा 2. बेहसा	4.00 3.00	4.00 -
2.	कानपुर रोड यो0-2	1. बरगंवा 2. बेहसा	4.25 3.60	- -
3.	कानपुर रोड यो0-4	किला मो0नगर, सालेहनगर, भदरूख, औरगांबाद खालसा, बेहसा, उतरठिया, हैबतमऊ मवैया	3.76 2.22 1.54	4.50

3. कानपुर रोड योजना भाग-1 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णीत संन्दर्भ वाद सं0-210/83, 211/83, 212/83 व 213/83 में न्यायालय द्वारा रु0 3/- प्रति वर्गफुट की दर से प्रतिकर का निर्धारण किया गया था। उक्त वाद में प्राधिकरण पक्षकार नही था अपितु राज्य सरकार पक्षकार थी। सक्षम न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर की गयी थी, जिसमें न्यायालय द्वारा भूमि की दर पुनः निर्धारित करते हुये भूमि की दर का निर्धारण रु0 4/- प्रति वर्गफुट कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 न दायर कर उक्त दर से प्रतिकर भुगतान के निर्देश ल0वि0प्रा0 को दिये गये थे, जिसके क्रम में उक्त दर से प्रतिकर धनराशि का भुगतान हितबद्व काश्तकारो को उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 को धनराशि उपलब्ध करा दिया गया था। मा0 ट्रिब्यूनल न्यायालय द्वारा निर्णीत अन्य सन्दर्भ वादो के विरूद्ध यद्वपि प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर कर दिया गया है, परन्तु जिन काश्तकारो का धारा-18 के अर्न्तगत सन्दर्भ वाद दायर नही किये गये है। ऐसे काश्तकारो द्वारा धारा-28एके अर्न्तगत अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 के कार्यालय में बढे हुये दर से प्रतिकर भुगतान किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। जोकि विचाराधीन है।

4. कानपुर रोड योजना भाग-4 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित भूमि की प्रतिकर की दर रु0 4.50 प्रति वर्गफुट को आधार मानकर तत्कालीन अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा धारा-28ए के अन्तर्गत सम्पूर्ण योजना के लिये इसी दर से भूमि के प्रतिकर का निर्धारण कर दिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा धारा-28ए के अन्तर्गत अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा घोषितं अभिनिर्णय दिनांक 14.08.95 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-704/एम0एस0/1996 लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम ए0डी0एम0-एल0ए0 के माध्यम से चुनौती दी गयी थी, जिससे मा0

JAN05

न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.96 को बढ़े हुये दर से प्रतिकर भुगतान के आदेश को स्थगित कर दिया गया था, जिस पर सुनवाई उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भुगतान के निर्देश दिये गये, जिसके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर की गयी, परन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रु0 20.00 करोड़ की धनराशि मा0 उच्च न्यायालय में जमा कराने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में रु0 20.00 करोड़ की धनराशि वर्ष 2002 में मा0 उच्च न्यायालय में जमा कर दी गयी है।

5. इन योजनाओ के कतिपय किसानो द्वारा वर्षो से चल रही न्यायिक प्रक्रिया से उब कर समझौता करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया गया है कि सहमति के आधार पर रू0-3.50 प्रतिवर्गफुट की दर से एवं भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अर्न्तगत सोलेशियम, अतिरिक्त प्रतिकर व ब्याज के साथ प्रतिकर लेने पर सहमत है*(सलंग्नक-1/1, 1/2 व 1/3)*।

6. यह भी अवगत कराना है कि कानपुर रोड येाजना भाग-1 व 2 के अर्न्तगत 81.84 एकड़ भूमि अनार्जित थी, जिसके अधिग्रहण हेतु कानपुर रोड योजना भाग-5 बनायी गयी थी। जिसकी विज्ञप्ति धारा-4/17 व 6/17 का प्रकाशन क्रमशः दिनांक 08.07.87 व 07.08.87 को शासकीय गजट मे हुआ था। जिसमें से 12.81 एकड भूमि का ही अभिनिर्णय एवं कब्जा प्राप्त हुआ। घोषित अभिनिर्णय में भूमि की दर रू0-14.00 प्रतिवर्गफुट निर्धारित किया गया था। अवशेष भूमि का न तो कब्जा ही अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा उपलब्ध कराया गया और न ही अभिनिर्णय ही घोषित हुआ। यद्वपि अधिकांश भूमि को प्राधिकरण द्वारा नियेाजन में सम्मिलित कर लिया गया। ऐसी ही कुछ भूमि के प्रकरणो में हितबद्व काश्तकारो द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में प्रतिकर भुगतान हेतु वाद दायर किया गया था, जिसमें मा0 न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा याचीगणो से समझौता कर रू0-3.00 प्रतिवर्गफुट की दर से प्रतिकर का भुगतान किया गया है। अतः यदि योजनाअर्न्तगत अर्जित भूमि के काश्तकारो से भुगतान करने पर विचार किया जाता है तो प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज की देनदारी एव मा0 उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दायर किये जाने में होने वाले विधिक व्यय से बचा जा सकता है। वैसे भी प्राधिकरण द्वारा निर्णीत सन्दर्भ वादो को ऐनकेन प्रकरेण न्यायालय के माध्यम से रोके रखा गया है।

7. विभिन्न योजनाओ में अवशेष देयता एवं समझौता करने की स्थिति में होने वाले व्यय भार परं पी0एस0 भार्गवा एण्ड कम्पनी, चार्टड एकाउन्टेट से एक तुलनात्मक विवरण तैयार कराया गया है*(सलंग्नक-2/1, 2/2, व 2/3)*।

कानपुर रोड येाजना भाग-1 के अर्न्तगत मा0 ट्रिब्यूनल न्यायालय द्वारा ग्राम बरगंवा हेतु अधिकतम रू0-4.00 व ग्राम बेहसा हेतु रू0-3.00 प्रति वर्गफुट की दर से प्रतिकर की धनराशि का भुगतान करने हेतु बढ़ोतरी की गयी थी। इसके अनुसार योजनाअर्न्तगत अर्जित

भूमि हेतु कुल देयता रू0-3510.58 लाख बनती है। लेकिन यदि काश्तकारो से समझौते करते हुये रू0-3.00 प्रति वर्गफुट की दर से ग्राम बरगवां स्थित भूमि का तथा रु0 2.70 प्रति वर्गफुट ग्राम बेहसा स्थित भूमि का भुगतान किया जाता है तो यह धनराशि रू0-2460.22 लाख बनती है। यदि मा0 न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहता है और 3 वर्षो बाद दर का निर्धारण होता है एवं भुगतान करना पड़ता है, तब प्राधिकरण की देयता प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुये रू0-3821.23 लाख हो जायेगी, अर्थात् आज की तिथि में समझौता करने पर लगभग रु0 1050.36 लाख की बचत होगी।

कानपुर रोड योजना भाग-2 के अन्तर्गत मा0 ट्रिब्यूनल न्यायालय द्वारा ग्राम बरगवां हेतु रु0 4.25 व ग्राम बेहसा हेतु रु0 3.60 प्रति वर्गफुट की दर से प्रतिकर की धनराशि का भुगतान करने हेतु बढ़ोत्तरी की गयी थी। इसके अनुसार इसके अनुसार योजनाअर्न्तगत अर्जित भूमि हेतु कुल देयता रू0-3510.58 लाख बनती है। लेकिन यदि काश्तकारो से रू0-3.00 प्रतिवर्गफुट की दर से ग्राम बरगवां स्थित भूमि का तथा रु0 2.70 प्रति वर्गफुट ग्राम बेहसा स्थित भूमि का समझौत कर भुगतान किया जाता है तो यह धनराशि रू0-2460.22 लाख बनती है। यदि मा0 न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहता है और 3 वर्षो बाद दर का निर्धारण होता है एवं भुगतान करना पड़ता है, तब प्राधिकरण की देयता प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज जोड़ते हुये रू0-3821.23 लाख हो जायेगी, अर्थात् आज की तिथि में समझौता करने पर लगभग 1050.36 लाख की बचत होगी।

कानपुर रोड योजना भाग-4 में मा0 ट्रिब्यूनल न्यायालय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार यदि कास्तकारों को भुगतान किया जाता है तो कुल देयता वर्तमान समय तक रु0 4968.93 लाख आती है। इसमें से रु0 3281.11 लाख का भुगतान किया जा चुका है। केवल रु0 1687.82 लाख का भुगतान किया जाना है। यदि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किया जाता है तो रु0 9144.91 लाख को भुगतान करना होगा, जिसमें रु0 3281.11 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा अवशेष धनराशि रु0 5863.80 लाख का भुगतान किया जाना है। यदि कास्तकारों द्वारा मांगी जा रही समझौते की दर रु0 3.50 प्रति वर्गफुट के आधार पर भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो कुल रु0 4318.93 लाख का भुगतान करना होगा, जिसमे 3281.11 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष रु0 1037.82 लाख का भुगतान किया जाना होगा, जो कि मा0 ट्रिब्यूनल न्यायालय व उच्च न्यायालय की धनराशि के सापेक्ष काफी कम है।

योजना में निर्णीत दरो के आधार पर अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा हितबद्व काश्तकारो को धारा-28ए के अर्न्तगत बढे हुये दर से अनेको भुगतान किये गये है। जिसका विवरण आज तक प्राधिकरण को उपलब्ध नही कराया गया है। एक साथ समझौता कर भुगतान करने की दशा में धारा-28ए में बिना प्राधिकरण की सहमति से अनियमित भुगतान करने की प्रक्रिया भी समाप्त हो जायेगी।

8. यदि किसानो से समझौता कर लिया जाता है तो प्राधिकरण हित में होगा क्योकि बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान न्यायालय में वादो के माध्यम से रोक रखा गया है तथा इस हेतु विधिक व्यय लगातार किया जारहा है जो व्यर्थ ही जा रहा है। किसी भी प्रकरण में आज तक प्राधिकरण को दर घटाने में सफलता नही मिली है, क्योंकि मा0 न्यायालय का सदैव ही किसानो के प्रति सहानूभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रहता है एवं ज्यादातर मामलो में दरो में वृद्वि कर दी जाती है। भुगतान न करने की दशा में भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज की देयता भुगतान की तिथि तक संचित होती रहती है फलस्वरूप भुगतान की जाने वाली धनराशि धनराशि में सदैव वृद्वि होती रहती है। प्राधिकरण अपनी जमा धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्याज किसी भी दशा में किसी भी प्रकार अर्जित नही कर सकता है लेकिन भू-अध्याप्ति अधिनियम के प्राविधानो के अनुसार 15 प्रतिशत ब्याज काश्तकारो को दिया जाना होता है जिससे प्राधिकरण को अपूर्णीय हानि हो रही है। जिसकी प्रतिपूर्ति नही हो रही है।

9. बढ़ी दर से भुगतान धनराशि के वसूली के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव वर्ष 2000 में प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष रखा गया था कि जो भी अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया जा रहा है वह आवंटितयो से प्राप्त किया जाये। जैसा कि डीड में इस बात का उल्लेख होता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में धनराशि बढायी जाती है तो वसूली आवंटी से की जायेगी। इस प्रकरण में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा कमेटी का गठन किया गया था परन्तु न तो कमेटी की बैठक हो सकी और न ही निर्णय हो सका।

10. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हरदोई रोड एवं सीतापुर रोड योजनाओ में समझौते के आधार पर भुगतान का निर्णय प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त लिया गया था एवं तदानुसार ही भुगतान किया जा रहा है। गोमती नगर विस्तार योजना में आपसी समझौते के आधार पर अभिनिर्णय घोषित करते हुये भुगतान किया जा रहा है। अतः इन योजनाओ में भी आपसी समझौते से भुगतान कर प्रकरण का पटाक्षेप करना प्राधिकरण हित में होगा।

11. विचारणीय है कि आज की तिथि मे यदि देयता आकलित कर समस्त किसानो से समझौता करते हुये भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है तो देयता निर्धारित हो जायेगी तथा उसकी प्रतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण के समक्ष यह विकल्प होगा कि योजना के अर्न्तगत जो भूमि विक्रय हेतु अवशेष है उसमें दरो मे वृद्वि करके अथवा उसके उपयोग को परिवर्तित कर उससे इस बढ़ी हुयी धनराशि को प्राप्त करने का प्रयास किया जाये। भुगतान करने का यदि निर्णय नही होता है तो 15 प्रतिशत ब्याज के कारण लगाातार धनराशि में वृद्वि होती रहेगी। वादों में व्यय भी होता रहेगा तथा आने वाले समय में विक्रय योग्य भूमि की उपलब्धता भी समाप्त हो जायेगी। जिससे ऐसी धनराशि की वसूली किया जाना प्राधिकरण के लिये असंभव तो नही परन्तु दुष्कर अवश्य हो जायेगा।

12. उपरोक्त समस्त तथ्यो एवं श्री भार्गव चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रस्तुत गणना के दृष्टिगत योजनावार निम्नवत समझौता कर भुगतान करने पर विचार किया जा सकता है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	ग्राम	समझौते की प्रस्तावित दर (प्रति वर्गफुट में)
1.	कानपुर रोड योजना-1	1. बरगंवा 2. बेहसा	3.00 2.70
2.	कानपुर रोड योजना-2	1. बरगंवा 2. बेहसा	3.00 3.00
3.	कानपुर रोड योजना-4	किला मोहम्मदी नगर, सालेहनगर, भदरूख, औरगांबाद खालसा, बेहसा, उतरठिया, हैबतमऊ मवैया	3.50

उक्तानुसार समझौता करने पर लगभग 81.00 करोड की बचत होगी। समझौते की प्रक्रिया से 15 प्रतिशत ब्याज की देयता के कारण हो रही वृद्धि को विराम लगेगा तथा अनावश्यक वाद मे लगने वाले समस्त व्यय समाप्त हो जायेगे तथा समय एवं मानव श्रम की बचत होगी, जिसका उपयोग अन्यत्र किय जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्नक-2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना भाग-3 व 4 के प्रभावित किसानो एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मध्य समझौता।

जिलाधिकारी लखनऊ की अध्यक्षता में कानपुर रोड योजना भाग-3 व 4 मे प्रभावित किसानो के समक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन मे वार्ता की गयी। वार्ता के समय जिलाधिकारी, लखनऊ, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी-प्रशासन, लखनऊ, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री एस0एम0ए0 रिजवी-अपर जिलाधिकारी(भूमि अध्याप्ति) एवं प्राधिकरण के अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण एवं किसान प्रतिनिधियो ने भाग लिया।

वार्ता के उपरान्त निम्न बिन्दुओ के आधार पर सहमति बनी:-

1. आपसी समझौते के अनुसार रू0-3.50 पै0 प्रतिवर्गफिट की दर से मुआवजे का नियमानुसार वितरण गॉव मे ही कैम्प लगाकर सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कानपुर रोड योजना मे प्राथमिकता के आधार पर छोटी दुकानो का निर्माण करके उनका आवंटन प्राधिकरण की लागत मूल्य आसान किश्तो पर अधिग्रहण मे प्रभावित काश्तकारो को किया जाना।
3. प्रभावित गॉवो मे शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण किया जाना।
4. प्रभावित गॉवो मे नाली, खडजो, सम्पर्क मार्गो का सुदृढिकरण किया जाना।
5. प्रभावित गॉवो मे सीवर, पेयजल का सुदृढिकरण किया जाना।
6. प्रभावित गॉवो मे शादी-विवाद हेतु सामुदायिक विकास केन्द्रो का निर्माण किया जाना।
7. आवासीय भूखण्डो के आवंटन हेतु भूमिहीन काश्तकारो को प्राथमिकता के आधार पर भूखण्डो का आवंटन किया जाना।
8. बेल्टिगं के चार्जेज के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी के शासकीय अधिवक्ता, प्राधिकरण के अधिवक्ता एवं किसानो के अधिवक्ता की बैठक बुलाकर प्रचलित नियमो के अर्न्तगत यदि कोई वैधानिक समस्या नही आती हो तो बढे दर पर बेल्टिग न लिये जाने पर विचार किया जायेगा।

RAMNARESH
(Adv)

S. Shiv Kumar

Ramesh Chandra

SEC/LDA

सचिव

मैने उपरोक्त वर्णित आख्या का अवलोकन किया और मैने यह देखा है कि प्राधिकरण को मूलत: अर्जित भूमि के अभिनिर्णय के उपरान्त बहुत सारे धारा 18 के अन्तर्गत संदर्भ वाद एवं धारा 54 के अन्तर्गत अपील दायर होते हैं, जो कि कई वर्षो तक लम्बित रहते हैं और निर्णित होने में लगभग 10-15 वर्ष तक समय लगता है, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण को विभिन्न न्यायालय द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 23 के तहत जो दरें निश्चित की जाती है उस पर ब्याज की धनराशि 14-15 वर्षो में कई गुना बढ़ जाती है जो कि प्राधिकरण के हित में नहीं है, परन्तु प्राधिकरण किसानों को न्यायालय में जाने से नहीं रोक सकता है और विवश होकर काफी अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। अत: प्राधिकरण के सदैव यह हित में होगा कि किसानों से समझौता करने के उपरान्त धारा 11(2) में भूमि का अभिनिर्णय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए, परन्तु धारा 11(1) के अन्तर्गत जिन योजना में अभिनिर्णय घोषित हो चुका है परन्तु फिर भी सम्बन्धित किसानों, जिनकी भूमि अर्जित की गई है द्वारा अभिनिर्णित धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त भी अवैधानिक रूप से अवरोध जैसे कि धरना, प्रदर्शन एवं कार्य में व्यवधान तथा सिविल कोर्ट में वाद योजित कर स्थगन आदेश प्राप्त करना आदि कार्यवाही की जाती है, जिससे विकास प्राधिकरण के कार्यो में बाधा उत्पन्न होती है। विकास कार्य समय से पूर्ण नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप आवंटियों द्वारा फोरम में वाद पोषित कर दिया जाता है। फोरम द्वारा आदेशित ब्याज की धनराशि 18 प्रतिशत की दर से भुगतान करना पड़ता है जिससे प्राधिकरण पर अनावश्यक ब्याज भार बढ़ जाता है। चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 11(1) के अन्तर्गत अर्जित भूमि का अभिनिर्णय किया जा चुका है और अभिनिर्णित धनराशि भी किसानों को भुगतान की जा चुकी है। इस लिए धारा 11(2) के अन्तर्गत कोई समझौता नही किया जा सकता है। इस लिए यदि सम्बन्धित किसान अंवैधानिक रूप से अवरोध उत्पन्न न करने का आश्वासन लिखित रूप से देते है तो उन्हें अतिरिक्त धनराशि उपरोक्त आख्या में उल्लिखित प्रक्रिया एवं दर के अनुसार किया जाता है तो यह प्राधिकरण व उनके आवंटियों दोनो के हित में होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि आपसी समझौता करने की दशा में अभिनिर्णय की शर्तो/दरों के अनुसार किये गये भुगतान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा एवं समझौता करना अवैधानिक नही है, लेकिन समझौता किये जाने के प्रारूप में अभिनिर्णित भुगतान की गई धनराशि पर दिये जाने वाले ब्याज/विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा काश्तकार द्वारा तय की गई शर्तो का उल्लेख करना चाहिए, जिससे काश्तकार जब धनराशि प्राप्त कर लेगा तो वह समझौते की शर्तो को मानने के लिए बाध्य रहेगा। समझौते में यह भी उल्लेख कर दिया जाये कि यदि काश्तकार समझौते के उपरान्त कोई विवाद करेगा तो प्राप्त धनराशि एक सप्ताह के अन्दर वापस करनी होगी अथवा नियमानुसार वसूल की जायेगी।

उपरोक्तानुसार समझौते में यह भी अंकित किया जाय कि धारा 18 एवं 54 में लम्बित किसान धारा 11 के अन्तर्गत अभिनिर्णित अभिनिर्णय के विरुद्ध वाद किसी न्यायालय में नही योजित करेंगे. समझौते के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली धनराशि अन्य शर्तो से प्रकारान्तर से सम्बन्धित है विकास कार्यो में किसी भी प्रकार व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे.

उपरोक्त के दृटिगत कार्यालय की आख्या पृष्ठ संख्या 9 से 12 से मै सहमत हूँ।

(कृष्ण चन्द्र)
अधिवक्ता

F A No 18/97 [illegible]

[illegible]

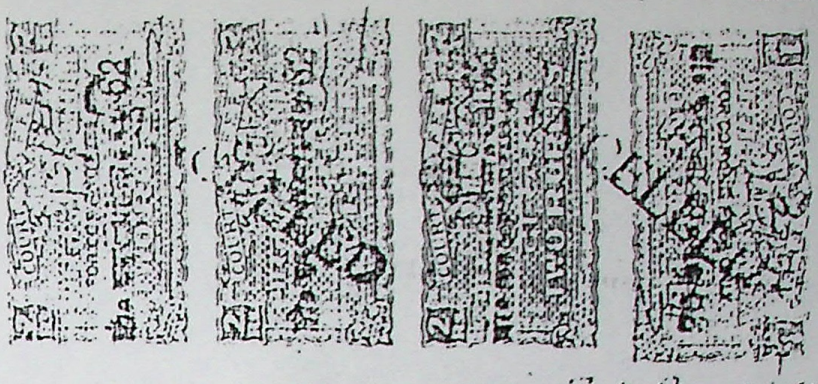

[illegible]

[illegible] With Date	14/2-95
[illegible] of Application	14/2-95
[illegible] of Preparation	17/2-95
[illegible] of Delivery	17/2-95
[illegible] of Issue	
[illegible]	

17/2-95

F.A.F.O.No. 83' of 1991

Lucknow Development Authority ..... Appellant

Versus

Smt.Vidya Devi & others ..... Respondent

Hon'ble B.Kumar, J.
Hon'ble A.N.Gupta,J.

(Delivered by Hon'ble A.N.Gupta,J.)

Plot No.335 area measuring 11 Bighas 4 Biswas 3 Biswansis, Plot No.336 measuring 11 Biswas, Plot No.337 measuring 11 Biswas 5 Biswansis, Plot No.394 measuring 1 Bigha 3 Biswas 5 biswansis, Plot No.395 measuring 1 Bigha 18 Biswas 10 biswansis and Plot No.403 measuring 15 Biswas, in all six plots having a total area of 16 Bighas 3 Biswas 3 Biswansis of village Bhadrukh, Pargana Tehsil & District Lucknow were acquired by the State Government for Kanpur Road and City Expansion Scheme, Part-4. The Notification under Section 4 of the Land Acquisition Act(hereinafter referred to as 'the Act') was issued on 11.12.1985, and a declaration under Section 6 of the Act was made on 9.1.1986. The possession of the land was taken from 3.2.87 to 30.3.87 and the Award was made on 8.1.88. The Land Acquisition Officer awarded compensation at the rate of Rs. 1.72 P.per Sq.Ft.in respect of levelled land and at the rate of Rs.1.03 P. per Sq.Ft.in respect of un-levelled land having pits 3 to 4 Ft.deep and at the rate of Rs.0.69 P.per Sq.Ft. in respect of land having pits of 5 Ft.or more.

The claimant Smt.Vidya Devi who is respondent No.1(hereinafter referred to as 'the respondent') to this First Appeal, was not satisfied with the Award

and therefore, a reference under Section 18 of the Act was made which heard and decided by the Nagar Mahapalika Tribunal by means of the impugned judgment dated June 6, 1991. The Tribunal awarded compensation @ Rs.3.76 P.per Sq.Ft. as against Rs.1.72 P.per Sq.Ft., @ Rs.2.22 P.per Sq.Ft. as against 1.03 P. per Sq. Ft., and @ 1.54 P.per Sq.Ft. as against Rs.0.69 P.per Sq.Ft. The Lucknow Development Authority for which the land was acquired, has preferred this appeal against which cross-objection has been preferred. At a latter stage of arguments, the Respondent moved an application that she confined her cross-objection so as to get compensation at the rate of Rs.6/- per Sq.Ft. She also paid court fees accordingly, that is how this First Appeal with Cross-Objection has come up before us.

Before proceeding further it may be mentioned that the acquired land came within the limits of the Nagar Mahapalika Lucknow w.e.f. 5.2.1987 i.e. after about 14 months of issue of the Notification under Section 4 of the Act.

In her claim the Respondent alleged that the entire land is a levelled land and is about two Kilometers away from Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medicine and in its vicinity are situated Power House and Hydle Colony. According to her the

land is situated by the side of Bangla Bazar Pucca Road and in the vicinity of the acquired land, is Utrathia Railway Station, a Primary School and Abadi of village Bhadrukh and as such, the acquired land possessed the building potentiality. The Circle rate fixed by the Collector for the purposes of stamp duty for registration of documents for the land in question is Rs.10/- per Sq.Ft.However,it has been proved in the evidence that the Circle rate fixed w.e.f. 25.11.84 was Rs.8/- per Sq.Ft. She claimed that she was entitled to get compensation @ Rs.30/- per Sq.Ft. However, as mentioned above, the Respondent confined her cross-objection so as to claim compensation @ Rs.6/- per Sq.Ft. The State of U.P.in its written statement denied the allegations made by the Respondent.

The appellant in its written statement before the Tribunal alleged that the compensation awarded by the Special Land Acquisition Offifer was adequate and the Circle Rate fixed for the purposes of Stamp duty for registration cannot be a guide-line for determining market value of the land. It was alleged that the acquired land was having pits 3' to 7' deep. The earth of the acquired land was sold to Shanti Brick Field. According to the appellant the acquired land was not urban land

at the time of issue of Notification but was rural agricultural land which was lying useless and had lost its building potentiality.

In support of the respective contentions, the parties have filed several exemplers but only three of them are relevant. It was not disputed before us by the learned counsel for the parties that other sale deeds filed before the Tribunal could not be connected with the acquired land in the sense that it was not established as to how far and in which locality the land involved in those sale deeds was situated. One such sale deed is dated 16.11.1983 executed by one Barati Das in favour of Maiku in respect of One Biswa 19 Biswansis of land of plot No.402. The sale consideration shown in the sale deed is at the rate of Rs.1.05 P. per Sq.Ft. The other sale deed is dated 29.11.83 which was also executed by Barati Das in favour of Sunder Prasad for an area of 3 Biswas of land of plot No.402. The sale consideration shown in the sale deed is also @ Rs.1.05 P. per Sq.Ft. As mentioned above, the Notification under Section 4 of the Act was issued on 11.12.1985 and therefore, these two sale deeds were executed a little more than two years prior to the issue of the Notification under Section 4 of the Act. The third sale deed is dated 4.8.84 executed by Maiku in favour of Jugul Kishore

in respect of two Biswas of land of plot No.408 and the consideration shown therein is at the rate of Rs.4.78 p. Per Sq.Ft. On record is the map of the area wherein the acquired plots, the land of plots No.402 and 408 covered by three exemplers and other plots have been shown. The plot No.402 which is the subject matter of the two exemplers, adjoins the acquired plot No.335 and is to the South-East of it. On the other hand, Plot No.408 lies further South to Plot No.402 and in between the acquired plot No.335 and Plot No.408 which is subject matter of the third exemplers lies another plot having big area. The Tribunal has taken the sale deed dated 4.8.84 executed by Naik in favour of Jugul Kishore in respect of 2 Biswas of land of plot No.408 as a basis of determination of compensation. There is no reason to interfere with this finding of the Tribunal because the sale deeds in respect of Plot No.408 is nearest in time with the Notification issued under Section 4 of the Act whereas the sale-deeds executed in respect of plot No.402 are little more removed in point of time with the Notification under Section 4 of the Act. The Respondent had examined her husband P.W.1 Shiv Prasad Gupta and P.W.2 Sri Savita who is resident of same village. No other evidence is led by the State Government. On the other hand, the appellant had examined D.W.1

Sri Prem Nath who is a resident of Bangla Bazar and D.W.2 Har Prasad Gupta who was Amin of the area. This oral evidence does not throw any significant light on the market value of the land. Thus, we are left with the three exemplers, two of which are in respect of Plot No.402 and the other is in respect of Plot No.408. As mentioned above, two sale deeds of Plot No.402 were executed a little more than two years prior to the issue of Notification under Section 4 of the Act whereas the sale deed regarding plot No.408 was executed about one year 4 months prior to the issue of the Notification under Section 4 of the Act. In view of this there is no other option but to accept the sale deed dated 4.8.84 executed in respect of 2 Biswas of land of plot No.408 as the basis for determination of the market value of the acquired land. We, therefore, have no hesitation in accepting the finding recorded by the Tribunal in this behalf.

As mentioned above, the sale deed regarding Plot No.408 executed on 4.8.84 has been taken to be an exempler and the basis for determining market value of the land. It need not to be repeated that the market value has to be fixed at a price which a willing purchaser is prepared to offer to the willing seller. Since the notification under Section 4 of the Act was issued on 11.12.85 i.e. about one year four

months latter than the sale deed dated 4.8.84, some addition has to be in this price because in the meantime escalation in price had taken place. The tribunal has fixed escalation at 5% by observing that no evidence is available to assess this escalation and the same can be done by imagination and prudence. It is not correct to say that no evidence is available. Sale deeds regarding Plot No.402 dated 16.11.83 and 29.11.83 executed by Barati Das in favour of Maiku and Sunder Prasad in respect of One Bigha Binteen Biswansis and three Biswas of land respectively were made at the rate of Rs.1.05 P. per Sq.Ft. Within nine months of these sale deeds i.e. on 4.8.84 the sale deed regarding plot No.408 came to be executed at the rate of Rs.4.78 P. per Sq.Ft. Thus, within a span of about nine months about 400% price rise had taken place. At least some part of the acquired land also had pits. Since it was acquired for building purposes, expenditure will have to be incurred to fill it. Considering all the circumstances of the case, in my opinion, 40% escalation in price over and above the price shown in the sale deed dated 4.8.84 of plot No.408 would be just and proper. This 40% come to Rs.1.91 P. per Sq.Ft. After adding it with Rs.4.78 P. per Sq.Ft., it comes to Rs.6.69 P. per Sq.Ft.

In this case some deductions have also to be made. The sale deed of plot No.408 was in respect of 2 Biswas of land only whereas the acquired land in dispute measures more than 16 Bighas and therefore, on account of the largeness of the area a deduction has to be made. In the State of U.P.& others V.Haj Narain Singh and another A.I.R. 1986 Allahabad 321, on the basis of the Supreme Court decisions referred to therein, it has been held that on account of the largeness of the area a deduction of 1/3rd has to be made.

Admittedly, the acquired land was undeveloped at the time when Notification under Section 4 of the Act was issued. It has been held by the Supreme Court in Triveni Devi & others V.Collector, Ranchi A.I.R. 1972 Supreme Court 1417 and Vijay Kumar Moti Lal V. State of Maharashtra A.I.R. 1981 Supreme Court 1632, that in the case of undeveloped land deduction of one third has to be made in order to provide for roads, draindge and other amenities like sewer-line, pipe-line, electricity etc.

Apart from these deductions it has to be noted that the acquired land has a building potentia In fact, it has been acquired by the Lucknow Develo ment Authority for constructing houses for resident purposes because it was acquired under Kanpur Road and City Expansion Scheme, Part-4. The land is quit

close to Jail Road and big residential scheme of Lucknow Development Authority known as Kanpur Road Scheme. Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences is also not very far from it. In its vicinity are situated Power House and Hydle Colony. By the side of the land in question is pucca Bangla Bazar Road. Considering all these circumstances, we consider that one third deduction should be made from the price i.e. from Rs.6.69 P. per Sq.Ft. After making deduction of one third, the market value of the land in question comes to Rs.4.50 P. per Sq.Ft.(round figure).

Learned counsel for the respondent argued that the Collector, Lucknow has fixed the value of the land in the area for the purposes of stamp duty @ Rs.8/- per Sq.Ft. It has been held by this court in the case of Raghubir Narain V.State of Uttar Pradesh 1986 Allahabad Law Journal 1022 that the circle rate fixed for the purposes of stamp duty is not a true guide for fixing compensation under the Act.

In view of the above, we fix the market value of the entire acquired land involved in this appeal and Cross-objection at Rs.4.50 P. per Sq.Ft.Accordingly, the appeal is dismissed with costs and the Cross-Objection is allowed in part with proportionate costs. The respondent No.1 shall also be entitled to get solatium, interest and additional compensation as ordered by the Tribunal on the amount of compensation as enhanced by this judgment.

Sd B. Kumar
Sd A.N. Gupta
13.2.1995

17-2-95

TRUE COPY
Section Officer
Copying Department
High Court Lucknow Bench
Lucknow.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA

CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 7706 OF 1995

Lucknow Development Authority .. Appellant

-versus-

Vidya Devi and others .. Respondents

ORDER

The appellant before us is the Lucknow Develppment Authority constituted under the U.P. Urban Planning and Development Act, 1973. In the year 1985, land measuring of 15 Bighas situated in village Bhaddrukh, Pargana, Tehsil & Distt. Lucknow was sought to be acquired for widening of Lucknow-Kanpur Road and City Extension Scheme (Part 4). For that purpose, the State Government issued a Notification under Section 4 of the Land Acquisition Act on 11.12.1985 proposing to acquire the aforesaid land. This was followed by a declaration under Section 6 of the Act issued on 9.1.1986. On 3.2.1987, the possession of the land was taken by the Land

Acquisition Officer. On 8.1.1988, the Special Land Acquisition Officer gave an award for the acquired land. The Land Acquisition Officer awarded different rates of compensation depending upon the number of pits and depth of pits in the land acquired. It varied from Rs. 1.72 per sq. ft. to Re. 0.69 per sq. ft. The claimants were not satisfied with the award of compensation for the acquired land and, therefore, they sought reference before the Civil Court. The Civil Court enhanced the compensation to Rs. 3.76 per sq. ft. against Rs. 1.72..Rs. 2.22 per sq. ft. against Rs. 1.03 per sq. ft. and Rs. 1.84 per sq. ft. against Re. 0.69 per sq. ft. by judgment dated 6.6.1991. Aggrieved, the Lucknow Development Authority preferred Regular First Appeal before the High Court at Allahabad, Lucknow Bench. The claimants were not also satisfied with the enhanced compensation and as such they filed cross objections. Both the matters were taken up by the High Court and after hearing the parties, the High Court awarded uniform rate of compensation for the entire land @ Rs. 4.50 per sq. ft. It is against the said judgment of the High Court, the appellant has preferred this appeal.

Shri Umesh Chandra, learned senior counsel appearing for the appellant urged that the High Court once has taken into consideration the

escalated price of the land from 16.11.1983 to ~~8.4.1985~~ 4.8.1984, it was not permissible to add further escalation in price of the land with effect from ~~8.4.1985~~ 4.8.1984 to the date of Notification issued under Section 4 of the Act, while determining the market value of the acquired land. We do not find any merit in the argument. The claimants filed three sale deeds which were exhibited on record. The first sale deed dated 16.11.1983 was executed by one Barati Das in favour of Mairu in respect of 1 Biswas 19 Biswanis of land of plot No. 402. The sale consideration shown in the sale deed was at the rate of Rs. 1.05 per sq. ft. The second sale deed dated 29.11.1983 was executed by Barati Das in favour of Sunder Prasad for an area of 3 Biswas of land of plot No. 402. The sale consideration shown in the said sale deed was also Rs. 1.05 per sq. ft. However, the third sale deed dated 4.8.1984 which was executed by Maiku in favour of Jugul Kishore in respect of 2 Biswas of land of plot No. 408, the sale consideration shown therein was at the rate of Rs. 4.78 per sq. ft. The High Court, on the basis of evidence, found that there was escalation in the price of land nearly 400 per cent within nine months from 29.11.1983 to 4.8.1984. The High Court on evidence found that the acquired land is quite close to Jail Road and big residential scheme of Lucknow Development Authority known as Kanpur Road Scheme. Further

the most prestigious Sanjay Gandhi Post-Graduate Institute of Medical Sciences is also very close to it. In its vicinity are situated Power House and Hydle Colony and by the side of the acquired land there is a pucca Bangla Bazar Road. The High Court was further of the view that the acquired land had a potential of development for building constructions. From the evidence on record the High Court concluded that there was trend of further escalation in prices of land during the period between the third sale deed dated 4.8.1984 and 11.12.1985 when the notification under Section 4 of the Act was issued. In that view of the matter, the High Court added only 40% of 400% of escalation in the price of land between that period and on that basis arrived at the market value of the acquired land which was Rs. 6.69 per sq. ft. The High Court further deducted 1/3 of the amount from the market value of the land keeping in view a large area was sought to be acquired and also the development which the appellant was to carry out. After deduction of 1/3, the market value of the acquired land came to Rs. 4.50 per sq. ft. In that view of the matter, we do not find that the principle adopted by the High Court in arriving at the market price of the acquired land was, in any way, erroneous.

For the aforesaid reasons, we do not find any merit in this appeal. The appeal fails and is accordingly dismissed. There shall be no order as to costs.

.....J.
(V. N. Khare)

.....J.
(Ashok Bhan)

New Delhi:
January 17, 2002

विषय संख्याः 04 पृष्ठ स0:55

लखनऊ विकास प्राधिकरण
का वर्ष 2005-2006 का
वास्तविक एवं वर्ष 2006-07 का
प्राविधानित आय-व्ययक।

आय-व्ययक 2006-07
BUDGET

आय-व्ययक अलग से पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत है

विषय संख्या : 05 पृष्ठ संख्या : 56

विषय : **जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोमती नगर।**

प्रस्तावना : गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है। इसका लोकार्पण दिनांक 23 मार्च, 2005 को मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। लोकार्पण समारोह में पूर्व रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा समाजवादी आन्दोलन के शोध केन्द्र एवं अध्ययन हेतु एक सभागार के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। इस संबंध में इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली की भाँति एक केन्द्र की परिकल्पना का प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रारम्भिक प्रस्ताव शासन की सहमति हेतु दिनांक 15.01.06 को प्रेषित किया गया।

इस मध्य लखनऊ नगर के भ्रमण के समय मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 8.01.06 को घोषणा की गयी कि डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के निकट निर्मित किए जाने वाले सभागार का नाम श्री जय प्रकाश नारायण के नाम पर रखा जाएगा। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा की पूर्ति हेतु जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया तथा परियोजना का शिलान्यास मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 के कर कमलों द्वारा दिनांक 23.03.06 को सम्पन्न हुआ।

परियोजना स्थल : डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क के सन्निकट प्राधिकरण भवन एवं सी0एस0आई0 ट्रांजिट हास्टल के मध्य रिक्त भूखण्ड को परियोजना की स्थापना के लिए चिन्हित किया गया है। इस भूखण्ड का क्षेत्रफल लगभग 2.5 एकड़ है। वर्तमान में लॉन के रूप में विकसित किए गए संलग्न भूखण्ड को इस परियोजना में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

भू-उपयोग एवं स्वामित्व : अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए चिन्हित स्थल प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। लखनऊ महायोजना 2021 में भूमि का भू-उपयोग 'उप नगर केन्द्र व्यवसायिक' है।

परियोजना का उद्देश्य :

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श, जीवन-दर्शन एवं विचारधारा के अध्ययन हेतु केन्द्र की स्थापना।
- समाजवादी आन्दोलन की उत्पत्ति एवं विकास के अध्ययन के साथ-साथ इसकी उपलब्धियों एवं प्रभाव का प्रचार-प्रसार करना।
- समाज की विभिन्न जातियों व वर्गों के मध्य सामंजस्य व सद्भाव की स्थापना।
- सत्य, अहिंसा व विश्व बन्धुत्व की भावना का प्रसार एवं विभिन्न समुदायों की सभ्यता के विकास का अध्ययन।
- विश्व की विभिन्न सांस्कृतिक विचारधाराओं, विशेष रूप से समाजवाद पर शोध केन्द्र की स्थापना तथा इनसे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों, गोष्ठियों, संगोष्ठियों, व्याख्यानों आदि का संचालन।

- सांस्कृतिक विचारधाराओं एवं समाजवाद पर शोध-पत्रों, पुस्तकों एवं न्यूज लेटर्स का प्रकाशन।
- प्रखर समाजवादियों, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों एवं सांस्कृतिक उत्प्रेरकों को अध्ययन एवं शोध की सुविधा प्रदान करना।
- समान प्रकार के अन्य संस्थानों से सामंजस्य स्थापित कर सत्य, अहिंसा, सामाजिक सद्भाव, विश्व बन्धुत्व एवं समाजवाद की विचारधारा के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु वातावरण तैयार करना।

समकक्ष अध्ययन : परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर यह अपेक्षा की गयी कि इस अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की विशिष्टियों एवं प्राविधान विश्वस्तरीय सभागारों के समकक्ष रखे जाएं। इस उद्देश्य से विश्व के प्रमुख सभागारों एवं कान्फ्रेंस केन्द्रों की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है जिसका विवरण परियोजना रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभागारों में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर परियोजना के स्वरूप का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

परियोजना का नियोजन : परियोजना का प्रारम्भिक कान्सेप्ट निजी वास्तुविद् मे0 आर्कीटेक्ट एण्ड एसोसिएट, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। परियोजना के शिलान्यास के समय इसके स्वरूप एवं प्राविधानों को उच्चीकृत करते हुए इसकी परिकल्पना विश्वस्तरीय सभागारों के अनुरूप रखे जाने के निर्देश प्रदान किए गए जिसके क्रम में परियोजना के प्राविधानों को संशोधित किया गया है।

परियोजना का विवरण : जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की परिकल्पना बहुमंजिले भवन के रूप में की गयी है। भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल को अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में नियोजित किया गया है तथा तृतीय तल से छठे तल तक कान्फ्रेंस सेन्टर का प्रस्ताव किया गया है जिसमें 1500 व्यक्तियों की क्षमता का मुख्य सभागार सम्मिलित है।

यह केन्द्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श एवं जीवन-दर्शन को समर्पित है। केन्द्र के प्रस्ताव को विस्तारित किया जा रहा है जिसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा। इस केन्द्र के प्रारम्भिक कांसेप्ट में इसका स्वरूप निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

जय प्रकाश नारायण प्रेक्षागृह **क्षमता 1500 व्यक्ति**

सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों के आयोजन हेतु आधुनिक सुविधाओं से युक्त पूर्णतया वातानुकूलित प्रेक्षागृह जिसमें प्रेस दीर्घा, वी.आई.पी. लाउन्ज, दर्शक गैलरी, भाषानुवाद कक्ष व प्रेक्षण सुविधायें प्रस्तावित हैं।

रामसेवक यादव कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी हाल

प्रदर्शनियों के आयोजन एवं कला के प्रोत्साहन हेतु कला दीर्घा व प्रदर्शनी हाल का प्रस्ताव किया गया है।

राज नारायण सभागार **क्षमता 300 व्यक्ति**

कर्पूरी ठाकुर सभागार **क्षमता 300 व्यक्ति**

व्याख्यानों व संगोष्ठियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त दो सभागारों का प्रस्ताव किया गया है।

मामा बालेश्वर दयाल सभाकक्ष	क्षमात 100 व्यक्ति
बद्री विशाल पित्ती सभाकक्ष	क्षमता 100 व्यक्ति

लघु गोष्ठियों एवं समूह विमर्श के लिए दो वतानुकूलित गोष्ठी कक्षों का प्रस्ताव किया गया है।

मधुलिमये पुस्तकालय

अध्ययन कक्ष, शोधार्थी एकक, इन्टरनेट, भाषानुवाद, फोटोकापी, फोटोग्राफी, कैटलॉग सुविधाओं सहित आधुनिक संयंत्रों से युक्त यह पुस्तकालय केन्द्र की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धुरी का कार्य करेगा। पुस्तकालय में गांधी दर्शन, विश्व साहित्य, विभिन्न भाषओं व संस्कृति से सम्बन्धित साहित्य का संकलन समाजवाद के विकास, उपलब्धियों एवं प्रभाव पर प्रकाशित पुस्तकों का संग्रह होगा।

अतिथि कक्ष	45
प्रशासनिक ब्लाक	
पार्किंग	

लोहिया पार्क से सम्मिश्रित सुरूचिपूर्ण लैण्डस्केपिंग

परियोजना की लागत : परियोजना के प्रस्तावित स्वरूप के लिए मे0 आर्कीटेक्ट एण्ड एसोसिएट्स द्वारा कुर्सी क्षेत्रफल दर के आधार पर कुल निर्माण लागत रू0 151.00 करोड अनुमानित की गयी है। भूमि का मूल्य व प्रशासनिक प्रभार सम्मिलित करते हुए परियोजना की कुल लागत रू0 180.00 करोड़ अनुमानित है। प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट व लागत का अनुमानित विवरण संलग्न किया जा रहा है।

परियोजना का वित्त पोषण : परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए परियोजना के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था शासन द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इसके पूर्व शासन द्वारा डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संस्थान एवं इन्दिरागांधी प्रतिष्ठान आदि परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया है। इसी आधार पर जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध शासन के किया गया है।

परियोजना का संचालन : परियोजना के निर्माण के उपरांत इसके संचालन आदि के लिए एक एसोसिएशन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। एसोसिएशन का गठन इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर के मेमोरेण्डम आफ रेग्यूलेशन्स के आधार पर प्रस्तावित है। इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर के मेमोरेण्डम आफर रेग्यूलेशन्स के प्राविधानों को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र हेतु अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति हेतु इसकी प्रति परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

परियोजना के संचालन के लिए एसोसिएशन का विधिवत् गठन किए जाने तक परियोजना के संचालन हेतु एक संचालक मण्डल के गठन का प्रस्ताव है।

संचालक मण्डल में निम्न सदस्यों को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है :-

मुख्य सचिव
कृषि उत्पादन आयुक्त
औद्योगिक विकास आयुक्त
प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री
सचिव आवास
आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ
जिलाधिकारी, लखनऊ
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण
सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण
महाप्रबन्धक, इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर
मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण - संयोजक सदस्य

इसके अतिरिक्त परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु एक तकनीकी एवं एक वित्तीय कन्सल्टेंट संचालक मण्डल की सहमति से नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है।

परियोजना का क्रियान्वयनः शासन की स्वीकृति एवं वित्त पोषण की व्यवस्था के उपरांत परियोजना की विस्तृत ड्राइंग्स व आगणन आदि तैयार कराए जाएगें तथा परियोजना का क्रियान्वयन, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट कार्यों में दक्ष एवं अनुभवी निर्माण संस्थाओं/ठेकेदारों के मध्य टू-बिड सिस्टम से निविदायें आमंत्रित कर तकनीकी अहर्ता के आधार पर उन्हें सूचीबद्ध कर कराये जाने का प्रस्ताव है।

गोमती नगर योजना में जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या : 06 पृष्ठ संख्या : 60

विषय: ग्राम औरंगाबाद खालसा, लखनऊ की 82.74 एकड़ भूमि का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:

डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान की स्थापना हेतु कानपुर रोड योजना सेक्टर-डी-1 के 40 एकड़ वाणिज्यिक उपयोग की भूमि को विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान को दिये जाने का प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से पारित कर प्राधिकरण बोर्ड की बैठक के मद संख्या-3 दिनांक 06.01.2006 में अनुमोदित किया गया है। यद्यपि महायोजना-2021 के जोनिंग प्राविधानों में व्यवसायिक उपयोग में विशिष्ठ शैक्षणिक संस्थान को अनुमन्य किये जाने का प्राविधान किया गया है किन्तु व्यवसायिक उपयोग की 40 एकड़ भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु औरंगाबाद खालसा की 82.74 एकड़ आवासीय भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव शासन को पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्या-422 दिनांक 15.02.2006 द्वारा संदर्भित किया गया है, उक्त प्रस्ताव में 82.74 एकड़ आवासीय भूमि में 6.15 एकड़ ग्राम समाज की भूमि भी सम्मिलित है, को आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित करने का प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत है।

22/4/06
EE (Legal)

22/4/2006
(सी० पी० शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

विषय संख्या : 07 पृष्ठ संख्या : 61

विषय : गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना।

प्रस्तावना :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में स्थित हरित पट्टी पर प्रख्यात समाजवादी विचारक एवं चिंतक डॉ0 राम मनोहर लोहिया की स्मृति में पार्क के विकास कार्य की परियोजना का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष परिचालन से स्वीकृत हेतु दिनांक 6.10.04 को प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया जिसकी पुष्टि लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 नवम्बर, 2004 में प्रदान की गयी। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णय के क्रम में परियोजना की डी0पी0आर0 की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष परिचालन से दिनांक 15.02.05 को प्रस्तुत किया गया। परिचालन द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव की पुष्टि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 19.03.05 में प्रदान की गयी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी परियोजना की डी.पी.आर. के अनुरूप परियोजना के कार्य पूर्ण कराए गए हैं।

परियोजना का विवरण :

मूल प्रस्ताव में 58 एकड़ क्षेत्रफल पर पार्क विकसित किये जाने का प्रस्ताव किया गया तथा इसकी सीमा पश्चिम की ओर पक्के कुकरैल नाले तक रखी गयी थी। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान इसका विस्तार करते हुए प्राधिकरण भवन के पीछे की ओर रिक्त भूमि को परियोजना में सम्मिलित किया गया जिसके फलस्वरूप परियोजना के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। बाद में कुकरैल नाला व सी0एस0आई0 ट्रांजिट हास्टल के मध्य स्थित रिक्त भूमि को परियोजना में सम्मिलित किया गया। इसके साथ साथ ताज पार्क की लगभग 2.5 एकड़ भूमि, बैडमिन्टन एकेडमी की एक एकड़ भूमि तथा विद्युत उपकेन्द्र की लगभग चार एकड़ भूमि को परियोजना में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप कुल क्षेत्रफल 80 एकड़ हो गया है। परियोजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य निर्माण/विकास कार्य कराये गये हैं :-

1. **प्रवेश प्रांगण :**

गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड की ओर स्थित 30.00 मीटर चौड़ी सड़क पर प्रवेश प्रांगण व भव्य द्वार का निर्माण किया गया है। इस द्वार की ऊँचाई 11 मीटर है दीवारों व खम्भों पर धौलपुर पत्थर व फर्श पर आधुनिक व उन्नत कोटि की विट्रीफाईड टाइल लगाई गयी है। प्रवेश हेतु अर्द्धचन्द्राकार स्टेप्स पर घास की छोटी-छोटी क्यारियों का निर्माण किया गया है। प्रवेश प्रांगण क्षेत्र को वृक्षों व घास की क्यारियों से सज्जित किया गया है, इसी स्थान पर दिनांक 12.10.04 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा परियोजना का शिलान्यास किया गया था। प्रवेश प्रांगण के मध्य भव्य पैडेस्टल पर शिलान्यास पट्टिका स्थापित है।

पार्क में प्रवेश हेतु तीन अन्य प्रवेश द्वारों का निर्माण कार्य भिन्न प्रकार की डिजाइनों में किया गया है। बाउण्ड्रीवाल एवं प्रवेश प्रांगण की दीवारों पर चिजिल सैण्ड स्टोन की क्लैडिंग की गयी है। बाउण्ड्रीवाल की संरचना कालम व बीम पर आधारित है। चारों प्रवेश प्रांगणों के साथ ही 60 - 100 वाहनों की पार्किंग हेतु व्यवस्था भी की गयी है।

2. मुख्य भ्रमण पथ :

पार्क के दक्षिण-पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर पार्क के मध्य से होते हुए उत्तर-पूर्वी कोने को जोड़ने वाले मुख्य पथ की कुल लम्बाई एक किमी0 है । यह पथ 4.50 मी0 चौड़ाई में बनाया गया है जिसके बीच में 50 सेमी. चौड़ाई में घास व मौसमी फूलों की क्यारियां स्थित हैं। इस पथ के मध्य में बिजली के सुरूचिपूर्ण खम्भें स्थित हैं। इन पर विशेष आर्कीटेक्चरल डिजाईन की लाइट्स लगायी गयी हैं जोकि रात्रि के समय चन्द्रमा के समान प्रतीत होती हैं। भ्रमण पथ पर रफ कोटा स्टोन फ्लोरिंग विशेष आर्कीटेक्चरल डिज़ाइन से की गयी है।

3. ज्योति पुंज :

प्रवेश प्रागंण से ज्योति पुंज के रूप में विभिन्न दिशाओं में पाथवे निर्मित किये गये हैं जोकि प्राकृतिक माउण्ट्स, पुष्प वाटिका व अन्य छोटे उद्यानों के बीच से होकर मुख्य पाथ पर समाप्त होते हैं। इन ज्योति भ्रमण पथों की कुल लम्बाई 2.7 किमी0 है। ज्योति पथ पर विट्रीफाइड टाइल्स से फिनिशिंग की गयी है जिसके बीच में सैण्ड स्टोन की पट्टिकाएं स्थित है।

4. अर्द्ध चन्द्राकार पथ :

मुख्य स्मारक क्षेत्र के निकट लगभग 500 मी0 लम्बाई में अर्द्ध चन्द्राकार पथ निर्मित किया गया है जिस पर 6 स्मृति स्तम्भ स्थित हैं। इन स्मृति स्तम्भों पर डॉ0 लोहिया के छः निकट सहयोगी श्री मधु लिमये, श्री राज नारायण, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री बद्री विशाल पित्ती, श्री मामा बालेश्वर दयाल, श्री राम सेवक यादव के जीवन व कृतित्व का विवरण अंकित किया गया है।

अर्द्ध चन्द्राकार पथ के एक ओर डॉ0 लोहिया के विचारों को अभिव्यक्त करते हुए शिलापट स्थापित किये गये हैं। शिलापट व स्मारक स्तम्भों की फिनिशिंग सैण्ड स्टोन से की गयी है।

5. वाटर बॉडी (झील) :

डॉ0 राम मनोहर लोहिया जी की प्रतिमा के पृष्ठ व पार्श्व के दोनों ओर कुल 15000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में झील का निर्माण किया गया है। इसमें फर्श पर ग्लास मोजैक टाइल्स व चार फ्लोटिंग फाउण्टेन लगाने लगाये गये है। इन फौव्वारों की ऊँचाई 12 मी0 है तथा प्रतिमा को दोनों ओर से 'वाटर-कास्केड' से अलंकृत करते हैं।

6. डॉ0 लोहिया कीर्ति स्तम्भ (मेमोरियल कालम) :

डॉ राम मनोहर लोहिया के चौखम्भा राज के सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए 25.0 मी0 ऊँचे चार विशाल स्तम्भों का निर्माण किया गया है। सुरूचिपूर्ण प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित यह स्तम्भ अद्वितीय वास्तुविदीय परिकल्पना का एक उदाहरण है। इन स्मृति स्तम्भों के सम्मुख भव्य पैडेस्टल पर डॉ0 राम मनोहर लोहिया की 18 फिट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गयी है। इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतार द्वारा किया गया है।

7. पुष्प वाटिका :

मुख्य स्मारक क्षेत्र के सम्मुख लगभग 2 एकड़ में पुष्प वाटिका का निर्माण किया गया है। यह क्षेत्र मौसमी फूलों से सुसज्जित है तथा इसके मध्य भाग में एक बारादरी निर्मित की गयी है। इस बारादरी का फर्श ग्रेनाइट की रंगोली के रूप में बनाया गया है।

8. वृक्षारोपण :

मुख्यतः हरे लॉन व विभिन्न प्रकार के वृक्षों के कुंजों के रूप में नियोजित डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क में लगभग 50 प्रजातियों के वृक्ष लगाये गये हैं। परियोजना को निर्धारित स्वरूप में विकसित किये जाने के दृष्टिकोण से 10 - 12 फीट ऊँचाई के बड़े वृक्ष लगाये गये हैं तथा छोटी प्रजातियों के वृक्षों को सम्मिलित करते हुए कुल 15000 वृक्ष लगाये गये हैं। परियोजना के नियोजित मानचित्र के अन्तर्गत विस्तृत खुले हरे मैदानों का विकास किया गया है जिसके अन्तर्गत लगभग 2.0 लाख वर्ग मी0 लॉन विकसित किया गया है । लान के विकास हेतु ग्रास कार्पेटिंग की आधुनिक एवं उन्नत तकनीक का प्रयोग किया गया है जिससे अत्यन्त कम समय में लॉन विकसित किया जाना संभव हो सका।

9. रेनवाटर हार्वेस्टिंग :

परियोजना में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत कुल 805 मी0 लम्बाई में रिचार्ज ट्रेन्च व 29 डीप बोर द्वारा वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है। यह कार्य सी0 एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा सम्पादित किया गया है।

परियोजना का नियोजन :

परियोजना का नियोजन प्रख्यात लैण्ड स्केप प्लानर श्री एम0 शहीर, पूर्व प्राध्यापक, कालेज आफ प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर, नई दिल्ली द्वारा किया गया है। परियोजना के निर्माण/विकास कार्य को सुचारू रूप से कराये जाने हेतु लोकनिर्माण विभाग के अवकाश प्राप्त प्रमुख अभियंता श्री एम.एम.डी. सेठ को तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

परियोजना का क्रियान्वयन :

डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना का नियोजन एवं लैण्डसकेपिंग प्लान हेतु मेसर्स शहीर एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को अनुबन्धित किया गया था। आर्कीटेक्ट द्वारा परियोजना से सम्बन्धित कान्सेप्ट, डिज़ाईन, क्रियाशील ड्राईग, मदों के विशिष्टियों एवं फिनिशिंग मदों को निर्धारित करते हुए बिल आफ क्वान्टिटी उपलब्ध करायी गयी जिसके आधार पर परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने हेतु विशिष्टि प्रकार की निर्माण संस्थाओं से निविदा मांगी गयी। निर्माण कार्य हेतु निविदाओं का परीक्षण दो चरणों में किया गया। प्रथम चरण में तकनीकी अर्हताओं का परीक्षण किया गया तथा द्वितीय चरण में निविदाओं की वित्तीय बिड पर विचार करते हुए निविदा हेतु निर्धारित प्री-क्वालीफिकेशन अहर्ताओं को पूर्ण किये जाने एवं न्यूनतम दरों के आधार पर निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी। निविदा की स्वीकृति, न्यायोचित लागत, आगणन दरों सहित क्रियान्वयन का विवरण परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

परियोजना के औद्यानिक विकास, वृक्षारोपण एवं बड़े वृक्षों के ट्रान्सप्लान्टेशन के कार्य हेतु इस क्षेत्र की विशेषज्ञ फर्मों से निविदा आमंत्रित कर कार्य कराए गए हैं। इसके अन्तर्गत परियोजना स्थल पर पूर्ण विकसित अर्जुन आदि वृक्षों का सफलता पूर्वक ट्रान्सप्लान्टेशन किया गया है। पार्क के क्षेत्रफल में विस्तार के फलस्वरूप नए क्षेत्रों में पाथवे का निर्माण ट्वायलेट ब्लाक का निर्माण एवं नये कार्यों हेतु पृथक से निविदाएं मांगी गयी जिसके आधार पर कार्य पूर्ण कराए गए। परियोजना के कार्यों को पूर्ण कर इसका लोकार्पण दिनांक 23 मार्च, 2005 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। रंगमंच एवं क्लाकटावर का निर्माण एवं निर्देशित नये निर्माण कार्य जिसमें ट्वालेट ब्लाक सम्मिलित हैं, को पूर्ण करते हुए रंगमंच का लोकार्पण दिनांक 12.10.05 को सम्पन्न हुआ। परियोजना के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है तथा नियोजित परिकल्पना के अनुसार

परियोजना पूर्ण किये जाने विषयक आर्कीटेक्ट मेसर्स एम. शहीर का पत्र परियोजना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्राधिकरण द्वारा कराये जाने वाले निर्माण एवं विकास कार्यों पर गुणवत्ता नियंत्रण के दृष्टिकोण से नमूनों की जांच पी.डब्ल्यू.डी., आई.ई.टी. लखनऊ एवं अन्य प्रयोगशालाओं में कराए जाने की व्यवस्था है। प्रयोगशाला में नमूनों की जॉच में प्रायः 1-2 माह का समय लगता है। इस परियोजना के कार्य पूर्ण किये जाने हेतु तीन माह की अति अल्पसमयावधि के दृष्टिगत गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिकोण से कार्य स्थल पर ही एक प्रयोगशाला स्थापित करते हुए नियमित रूप से नमूनों की जॉच की गयी। निर्माण के दौरान परियोजना का नियमित एवं प्रभावी पर्यवेक्षण उपाध्यक्ष व मुख्य अभियंता सहित उच्चाधिकारियों द्वारा किया गया है जिससे निर्माण कार्य में उच्चतम स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकी। परियोजना से संबंधित समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के प्रस्तावों के परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष ल0वि0प्रा0 द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया जिसमें संयुक्त सचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य अभियंता, मुख्य नगर नियोजक, अधीक्षण अभियंता, इक्जीक्यूटिव सिस्टम व अधिशासी अभियंता सदस्य थे। परियोजना से संबंधित प्रस्ताव, स्वीकृतियां एवं भुगतान इस समिति द्वारा परीक्षण एवं संस्तुति के उपरान्त ही किए गए।

परियोजना का प्रस्ताव :

प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष दिनांक 9.5.05 को परियोजना की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी। डी0पी0आर0 में सिविल कार्यों पर कुल रू0 31.32 करोड़, विद्युतीकरण, हार्टीकल्चर, भूमि का विकास, फाउण्टेन आदि के कार्यों पर रू011.85 करोड़, मूर्ति व साइनेज के कार्य हेतु रू0 0.51 करोड़, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्मित की जा रही बाउण्ड्रीवाल एवं प्रवेश प्रांगण-4 के कार्य हेतु रू0 4.50 करोड़, आर्कीटेक्ट की फीस हेतु रू0 1.10 करोड़, नए कार्यों पर रू0 8.75 करोड़ तथा अनुरक्षण कार्यों पर रू0 1.05 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

परियोजना पर व्यय :

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर. के सापेक्ष सम्पादित कराए गए कार्यों में सिविल कार्यों पर कुल रू0 32.60 करोड़, विद्युतीकरण, हार्टीकल्चर, भूमि का विकास, फाउण्टेन आदि के कार्यों पर रू0 12.47 करोड़, मूर्ति व साइनेज के कार्य हेतु रू0 0.74 करोड़, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्मित की जा रही बाउण्ड्रीवाल एवं प्रवेश प्रांगण-4 के कार्य हेतु रू0 5.90 करोड़, आर्कीटेक्ट की फीस हेतु रू0 1.04 करोड़, नए कार्यों पर रू0 8.69 करोड़ तथा अनुरक्षण कार्यों पर रू0 0.69 करोड़ के व्यय किया गया है। परियोजना पर किए गए व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

परियोजना का वित्त पोषण :-

परियोजना का प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष परिचालन से दिनांक 6.10.04 को प्रस्तुत किया गया था। प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के अनुसार परियोजना पर रू0 11.54 करोड़ की धनराशि प्राधिकरण द्वारा स्व स्रोत से तथा रू0 3.00 करोड़ की धनराशि अवस्थापना विकास निधि से व्यय किया जाना निर्धारित था। परियोजना के आकार व स्वरूप में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत में हुई वृद्धि के लिए परियोजना की संशोधित डी0पी0आर0 प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार परियोजना पर रू0 11.54 करोड का व्यय प्राधिकरण द्वारा स्वस्रोत से तथा 46.29 करोड़ का व्यय अवस्थापना विकास निधि से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। अवस्थापना विकास निधि से वित्तपोषण

हेतु प्राधिकरण की स्वीकृति के पश्चात अवस्थापना विकास निधि समिति के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

योजना की समाप्ति पर वास्तविक व्यय के अनुसार परियोजना पर रू0 11.54 का व्यय प्राधिकरण स्रोत से तथा 50.59 करोड़ का व्यय अवस्थापना विकास निधि से किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। अवस्थापना विकास निधि में रू0 50.59 करोड़ की धनराशि एक मुश्त उपलब्ध नही है। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9.05.05 को प्रदान की गयी स्वीकृति में परियोजना की तात्कालिकता व समयबद्धता के दृष्टिकोण से यह व्यवस्था की गयी कि परियोजना पर आवश्यक व्यय प्राधिकरण द्वारा स्वस्रोतों से करते हुए अवस्थापना निधि में धनराशि की उपलब्धतानुसार प्रतिपूर्ति कर ली जाय। अवस्थापना कोष में प्राप्ति के सापेक्ष इस धनराशि की प्रतिपूर्ति लगभग पॉच वर्षों में की जाएगी।

अध्यावधिक स्थिति :

डॉ0 राम मनोहर लोहिया पार्क के मुख्य स्मारक क्षेत्र, फ्लेम पाथवे, वाटर बॉडी, प्रवेश प्रांगण, मुख्य भ्रमण पथ, शेल्टर, मेमोरियल कालम, फाउण्टेन, सूर्योदय उद्यान, पुष्प वाटिका आदि का निर्माण एवं इन सभी क्षेत्रों के औद्यानिक विकास के कार्यों को पूर्ण कर इसका लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 23.03.05 व दिनांक 12.10.05 को किया गया। संप्रति यह पार्क प्रति दिन नागरिकों के भ्रमण हेतु खुला है। पार्क में समुचित रात्रिकालीन प्रकाश व्यवस्था की गयी है। यह पार्क रात्रि के 10:00 बजे तक भ्रमणार्थियों के लिए खुला रहता है।

परियोजना का अनुरक्षण :

परियोजना में विकसित किये गये उद्यान एवं अन्य औद्यानिक कार्यों का रखरखाव प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है जिसके लिए विभागीय मालियों व लेबर की व्यवस्था की गयी है। सिचाई के लिए ट्यूवबेल व स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किए गए है। पार्क में द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गयी है जिसमें गेट पर तथा पार्क के अन्दर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अनुरक्षण पर व्यय का प्रस्ताव निम्न है:-

1. सुरक्षा व्यवस्था : पार्क की सुरक्षा व्यवस्था दो एजेन्सी द्वारा तीन शिफ्ट में की जा रही है। प्रत्येक शिफ्ट में कुल 33 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इस पर वार्षिक धनांक रू0 45.00 लाख का व्यय हो रहा है।
2. सफाई : पार्क की सफाई की व्यवस्था सफाई एजेन्सी के माध्यम से 65 सफाई कर्मियों द्वारा दो शिफ्टों में की जा रही है, जिस पर वार्षिक व्यय रू0 22.00 लाख का खर्च हो रहा है।
3. सिविल कार्यः मरम्मत, रंगाई-पुताई, नाले की सफाई, झील की सफाई, फाउण्टेन की मरम्मत, एरिगेशन सिस्टम व ट्यूवबेल बोरिंग आदि के रख रखाव पर रू0 30.00 लाख का व्यय अनुमानित है।
4. विद्युत कार्य : इसमें निम्नानुसार अनुरक्षण पर व्यय किया जा रहा है।

(I)	विद्युत बिल पर व्यय	रू0 31.00 लाख
(II)	प्रकाश व्यवस्था का वार्षिक अनुरक्षण एवं रख रखाव पर व्यय	रू0 48.73 लाख
(III)	दो नग जनरेटर के रख रखाव व परिचालन पर व्यय	रू0 15.00 लाख

5. औद्यानिक कार्यो का वार्षिक अनुरक्षण एवं रख रखाव पर व्यय रू0 30.00 लाख

आय :

दिनांक 1 अक्टूबर, 2005 से लोहिया पार्क में प्रवेश हेतु टिकट व्यवस्था लागू की गयी है। पार्क में प्रवेश दर रू0 5.00 प्रति व्यक्ति निर्धारित है। मासिक पास हेतु रू0 50.00 प्रति माह प्रति व्यक्ति एवं वार्षिक पास के लिए रू0 500.00 प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित है। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में 12 वर्ष तक के बच्चों, विकलांगों तथा 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों का प्रवेश निःशुल्क है। दिनांक 12 अक्टूबर को लोहिया पार्क के शिलान्यास एवं दिनांक 23 मार्च को इसके लोकार्पण की महत्वपूर्ण तिथियॉ हैं। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में दिनांक 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर व दिनांक 23 मार्च से 25 मार्च तक पार्क में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है।

अनुरक्षण व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति संभव नहीं होती है तथापि पार्क में प्रवेश शुल्क के माध्यम से इसकी आंशिक प्रतिपूर्ति होती है। विगत छः माह में इससे प्राप्त होने वाली आय का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रसं0	माह	प्रति दिन टिकट से आय	मासिक पास से आय	वार्षिक पास से आय	कुल आय
1.	अक्टूबर, 2005	49975.00	36350.00	31000.00	117325.00
2.	नवम्बर, 2005	84130.00	14150.00	12000.00	110280.00
3.	दिसम्बर, 2005	62005.00	10100.00	8000.00	80105.00
4.	जनवरी, 2005	99660.00	8150.00	7000.00	114810.00
5.	फरवरी, 2005	67965.00	9250.00	6500.00	83715.00
6.	मार्च, 2005	58495.00	12150.00	2000.00	72645.00
				कुल आयः रू0	578880.00

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परियोजना की स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष कृत कार्यों एवं अंतिम लागत का विवरण तथा अवस्थापना विकास निधि से वित्त पोषण का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या : 08 पृष्ठ संख्या : 67

विषयः गोमती नगर विस्तार योजना भाग-2 हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

गोमती नगर विस्तार योजना भाग-1 जो अमर शहीद पथ के दोनों ओर स्थित है, के अन्तर्गत गोमती नदी एवं सुल्तानपुर रोड के मध्य वर्ष 2000 में लगभग 500 फुट चौड़ी पट्टी की भूमि अर्जित की गई थी, लेकिन अमर शहीद पथ के निर्माण के उपरान्त आसपास के क्षेत्र में सहज एप्रोच उपलब्ध हो जाने के कारण अनियोजित रूप से निर्माण एवं विकास होने की पूर्ण सम्भावना है। सुल्तानपुर रोड एवं रायबरेली रोड के मध्य स्थित क्षेत्र में मेसर्स अन्सल एवं मेसर्स सहारा द्वारा 'हाईटेक टाउन शिप' विकसित की जा रही है। ऐसी दशा में सुल्तानपुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि जो महायोजना 2021 में आवासीय प्रदर्शित हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की भविष्य की योजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसी के दृष्टिगत गोमती नदी एवं सुल्तानपुर रोड के मध्य अमर शहीद पथ के दोनों ओर स्थित लगभग 3000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना भाग-2 का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में जिलाधिकारी, लखनऊ को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4/17 एवं 6/17 के अन्तर्गत विज्ञप्तियॉ प्रकाशित करने हेतु पत्र संख्याः 2033/एसी/जी.एन.वाई./03 दिनॉक 15.01.2003 को प्रेषित किया गया है। इसकी जॉच अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) के स्तर पर की जा रही है।

प्राधिकरण द्वारा जो भूमि अब तक अर्जित की गई थी, उसे नियोजित करते हुए विक्रय की कार्यवाही की जा चुकी है और वर्तमान में प्राधिकरण के पास कोई भी भूमि बैंक उपलब्ध नहीं है, जिससे भविष्य में लखनऊ शहर के निवासियों को भूखण्ड उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा। गोमती नगर विस्तार योजना भाग-1 की निरन्तरता में स्थित भूमि भविष्य की योजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि पूर्व से अर्जित एवं विकसित की जा रही योजना की निरन्तरता में होने के कारण विकास कार्यो को जोड़ने में सुविधा होगी तथा समग्र रूप से क्षेत्रफ का विकास सुनियोजित ढंग से हो सकेगा। यदि इस क्षेत्र को शीघ्र अर्जित नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा आसपास के क्षेत्र में किये जा रहे विकास कार्यो के दृष्टिगत तेजी से अवैध कब्जा एवं निर्माण हो जायेंगे और अनियोजित रूप से इस क्षेत्र में ऐसा विकांस हो जायेगा जो एक 'स्लम एरिया' के रूप में होगा। अनियोजित ढंग से समितियों द्वारा तमाम भूमि का क्रय-विक्रय करने एवं अनियोजित निर्माणों को रोकने के लिए इस भूमि का अर्जन ही एक मात्र विकल्प है। लखनऊ शहर की जनसंख्या में दिनोदिन वृद्धि हो रही है और

मास्टर प्लान में प्रदर्शित तथ्यों के अनुसार 2021 तक जनसंख्या बढ़कर लगभग 35 लाख हो जायेगी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए ही अनेक क्षेत्रों को मास्टर प्लान 2021 में आवासीय में परिवर्तित किया गया है। चूँकि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र प्राधिकरण के लिए सुनियोजित विकास के दृष्टिगत उपयुक्त क्षेत्र है। अतः यह प्राधिकरण के भविष्य की योजना के लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा।

प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना भाग-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों की उनके सम्मुख अंकित क्षेत्रफल के अर्जन का प्रस्ताव जिसका क्षेत्रफल 1231.972 हेक्टेयर है एवं जिसके अर्जन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में जिलाधिकारी/शासन को प्रेषित किया जा चुका है:-

क्र0सं0	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल
1.	सरसवा	352.554
2.	अहमामऊ	86.255
3.	अरदौनामऊ	53.128
4.	बक्कास	450.990
5.	मस्तेमऊ	234.984
6.	माढ़रमऊ खुर्द	31.349
7.	चक कंजेहरा	5.578
8.	माढरमऊ कला	17.134

कुल योग 1231.972 हेक्टेयर

उपरोक्त योजना के लिए भूमि अर्जन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या : 09 पृष्ठ संख्या : 69

विषयः-सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981-82 मे लगभग 1144 हे0 भूमि का अधिग्रहण सीतापुर रोड योजना के अर्न्तगत किया गया था जिसका सुनियोजित विकास किया गया तथा समस्त नियोजित करते हुए विक्रय की जा चुकी है। लखनऊ महायोजना वर्ष 2021 मे सीतापुर रोड से हरदोई रोड को जोडने वाली सड़क के दोनो ओर आवासीय भू-उपयोग हेतु भूमि दर्शायी गयी है। यह भूमि आवासीय योजना हेतु उपयुक्त होने के कारण प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध नगर आवासीय योजना के अर्न्तगत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है। यही सड़क भारतीय प्रबन्ध संस्थान का भी मुख्य पहुँच मार्ग है तथा सहारा द्वारा 'सिटी होम' नामक योजना भी यहॉ प्रारम्भ कर दी गई है। यह सडक हरदोई रोड योजना के बीच से होकर गुजरती है जिससे हरदोई रोड योजना इस योजना से जुड सकेगी, जिससे इस क्षेत्र का विकास सुनियोजित रूप से हो सकेगा। अन्यथा इस क्षेत्र मे भी अनियोजित ढगं से समितियो द्वारा भूमि विक्रय करके निर्माणो को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जिससे एक स्लम एरिया विकसित हो रहा है। स्लम एरिया विकसित न हो इसके लिये आवश्यक होगा कि प्राधिकरण द्वारा सुनियेाजित विकास हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाये बढती हुयी जनसख्या के दृष्टिगत जनहित मे प्राधिकरण भी व्यक्तियो को आवासीय आवश्यकता की पूर्ति कर सके एवं सुनियोजित विकास हो सके। प्राधिकरण द्वारा अभी वर्तमान मे अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार येाजना भाग-1ए मे नियोजित व्योम खण्ड एवं हरदोई रोड योजना हेतु पंजीकरण खोला गया था जिसमे लगभग 11000 व्यक्तियो ने भूखण्ड हेतु पंजीकरण कराया जबकि इन योजनाओं में मात्र 800 भूखण्ड ही नियेाजित किये गये थे। इससे स्पष्ट है कि प्राधिकरण के भूखण्ड की मांग जनता मे अत्याधिक है तथा उनकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये भूमि की आवश्यकता है। वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पास कोई 'लैण्ड बैंक' नहीं है। फलस्वरूप अपने वाले समय में बढ़ती आबादी के लिये जनता की मॉग पर भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु भूमि का अर्जन आवश्यक है, जिसके लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबन्ध नगर आवासीय योजना के नाम से योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके अर्न्तगत निम्न ग्रामो की भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है:-

क्रमांक	ग्राम	क्षेत्रफल
1.	सेमरा गौढी	135.795
2.	रायपुर	104.702
3.	मुतक्कीपुर	139.407

4.	अल्लूनगर डिगुरिया	357.241
5.	भिठौली खुर्द	71.309
6.	रहीम नगर डिडौली	136.132
7.	घैला	548.271
8.	ककौली	99.788
9.	नरहरपुर	155.474

कुल योग 1748.119 हे0

उपरोक्त गॉव के अर्न्तगत 1748.119 हे0 भूमि का अधिग्रहण जनहित मे प्रस्तावित किया जा रहा है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या : 10 पृष्ठ संख्या : 71

बोर्ड का प्रस्ताव

विषय :- कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना, एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि नीगोशिएशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या :-

विगत कई वर्षो से उपरोक्त योजनाओं के सीवर डिस्पोजल की कोई व्यवस्था नही है। सीवर डिस्पोजल का कार्य दो मैनहोलों में सबमर्सिबेल पम्प डालकर समीप के नाले में किया जाता रहा है। इस कारण नाले में सिल्टिंग होती है तथा मैनहोल में पम्प की ऊंचाई तक सीवेज जमा होने के कारण योजना की समस्त ट्रंक सीवर लाइनें सिल्टेड हो गयी है एवं पूरी सीवेज व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर हे। नाले में सिल्टिंग के कारण विगत वर्षो योजना में जलभराव की समस्या हुई है जिसे काफी व्यय कर सफायी करायी गयी है।

उपरोक्त समस्या के निदान तथा कानपुर रोड योजना के नये सेक्टर्स ओ, पी, ओ विस्तार आदि के सीवेज निस्तारण की दृष्टि से ट्रंक सीवर लाइन का विस्तार आगे करते हुए लखनऊ महायोजना में इस क्षेत्र के लिए सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु निर्धारित स्थल पर प्रथम चरण में सम्पवेल बनाये जाने का प्रस्ताव हे। प्राधिकरण द्वारा इस हेतु एक कन्सल्टेन्ट की नियुक्ति की जा चुकी है एवं उसके द्वारा सीवर लाइन का विस्तार किये जाने की परियोजना तैयार कर दी गयी है। सम्पवेल के निर्माण एवं कन्सेप्ट की ड्राइंग तैयार हो चुकी है तथा इसके डिजाइन का कार्य चल रहा है।

सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए कुल 40 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। जिसे प्रथम चरण में अर्जित किया जाना इसलिय आवश्यक है कि भविष्य में अतिक्रमण आदि के कारण सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु भूमि सुरक्षित रह सकें। इस स्थान के पास ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध है जिस पर मौके पर खेती हो रही है परन्तु अभिलेखों में तालाब दर्ज होने के कारण यह भूमि जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्राधिकरण को मूल्य के विरूद्ध हस्तांतरित नहीं की जा सकी।

सम्पवेल एवं भूमि अर्जन का वित्त पोषण सेक्टर ओ, पी एवं ओ विस्तार में प्राधिकरण को होने वाले सरप्लस राशि से किया जायेगा (संलग्नक-1)।

सम्पवेल के निर्माण का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 12.10.2005 को सम्पन्न किया जा चुका है। इस क्षेत्र के कृषक 40 एकड़ भूमि आपसी समझौते के आधार देने हेतु सहमत है। अत: कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर शासनादेशों में उपलब्ध प्राविधानों के क्रम में प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

AVAILIBILITY OF FUNDS FOR SUMPWEL & SEWERAGE TREATMENT PLANT

COST OF DIFFERENT TYPES OF SALEABLE LAND

SI	SECTOR	SCHEME AREA AS PER LAYOUT (IN SQM)	SALEABLE LAND (LAND USE)	AREA (IN SQM)	RATE (RS/SQM)	AMOUNT
1	P	231123.00	PLOTS	76135.00	1900.00	144656500.00
			COMMERCIAL	6108.00	6000.00	36648000.00
			FACILITIES	1604.00	3000.00	4812000.00
			SCHOOL	6384.00	1200.00	7660800.00
			FOR FUTURE	13772.00	3000.00	41316000.00
2	O-I	194168.00	PLOTS	59679.00	1900.00	113390100.00
			COMMERCIAL	18228.00	6000.00	109368000.00
			FACILITIES	6310.00	3000.00	18930000.00
			SCHOOL	3000.00	1200.00	3600000.00
3	O-II	174607.00	PLOTS	74696.00	2400.00	179270400.00
			COMMERCIAL	7575.00	6000.00	45450000.00
			SCHOOL	13728.00	1200.00	16473600.00
4	O-III	133062.00	PLOTS	54906.00	3000.00	164718000.00
			COMMERCIAL	3051.00	6000.00	18306000.00
			FACILITIES	2338.00	3000.00	7014000.00
			SCHOOL	3922.00	1200.00	4706400.00
4	O-IIII	416738.00	PLOTS	277002.00	3000.00	831006000.00
			COMMERCIAL	19686.00	6000.00	118116000.00
			FACILITIES	11100.00	3000.00	33300000.00
			SCHOOL	20747.00	1200.00	24896400.00
			GROUP HOUSING	31443.00	4500.00	141493500.00
	TOTAL AREA	**1149698.00**	1. TOTALRECOVRIES AT PRESENT RATE			**2065131700.00**
			2. TOTAL EXPEDITURE AS,PER DETAIL ATTACHED			887241067.60
			3. NET BALANCE FUND TO BE AVAILABLE			**1177890632.40**

प्रस्ताव बोर्ड के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

मानसरोवर योजना के अंतर्गत सेक्टर–ओ I&II में विकास कार्य

1	9 से 24 मी0 चौड़ी सड़कों का विकास कार्य	19123321.00
2	भाग–2 के विकास कार्य	15074000.00
3	अवशेष नाली व पार्क का निर्माण कार्य	3500000.00
4	भूखण्डों हेतु सीवर व वाटर कनेक्शन का कार्य तथा आन्तरिक सड़को पर प्रीमिक्स कार्पेट का कार्य	4245875.00
5	सड़कों पर बीएम एवं एसडीसी का कार्य	12037000.00
6	ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य	6560000.00
7	पार्को का निर्माण कार्य (पार्ट 1 से 5)	4700000.00
8	पम्प हाउस व राइजिंग मेन का निर्माण कार्य	4000000.00
9	आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य	9400000.00
10	साइट आफिस का निर्माण	1150000.00
11	सीवर लाइन डालने का कार्य	3292107.00
12	जलापूर्ति लाइनें डालने का कार्य (भाग–1)	1026260.00
13	पार्को में औद्योनिक विकास कार्य	5500000.00
14	अनफारसीन वर्क	5000000.00
15	प्लाट फिलिंग (प्रस्तावित)	20000000.00
	TOTAL	114608563.00

मानसरोवर योजना के अंतर्गत सेक्टर–पी में विकास कार्य

1	आन्तरिक विकास कार्य	13558890.00
2	पार्को का निर्माण कार्य	1800000.00
3	ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य	6580000.00
4	आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य	4500000.00
5	कब्रिस्तानों का विकास कार्य	1558000.00
6	पम्प हाउस व राइजिंग मेन का निर्माण कार्य	4000000.00
7	पार्को में औद्योनिक विकास कार्य	800000.00
8	सड़कों पर बीएम एवं एसडीसी का कार्य	3690000.00
9	भूखण्डों में मिट्टी भराई (प्रस्तावित) व अन्य कार्य	5000000.00
	TOTAL	41486890.00

मानसरोवर योजना के अंतर्गत सेक्टर–ओ फेज–3 में विकास कार्य

1	आन्तरिक विकास कार्य	34202000.00
2	आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य	6000000.00

3	पम्प हाउस व राइजिंग मेन का निर्माण कार्य	2000000.00
4	पार्को में औद्योनिक विकास कार्य	2000000.00
5	सड़कों पर बीएम एवं एसडीसी का कार्य	3600000.00
6	भूखण्डों में मिट्टी भराई (प्रस्तावित) व अन्य कार्य	8000000.00
7	अनफारसीन वर्क	2000000.00
	TOTAL	57802000.00

मानसरोवर योजना के अंतर्गत सेक्टर–ओ फेज–4 में विकास कार्य

1	सड़क का कार्य कुटाई लेवल तक	60000000.00
2	पार्को का निर्माण कार्य	6000000.00
3	सीवर एवं वाटर सप्लाई का कार्य	60000000.00
4	नाली एवं नालों का निर्माण कार्य	30000000.00
5	आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य	15000000.00
6	पम्प हाउस व राइजिंग मेन का निर्माण कार्य	6000000.00
7	पार्को में औद्योनिक विकास कार्य	3000000.00
8	सड़कों पर फर्स्ट कोट पेन्टिंग बीएम एवं एसडीसी का कार्य	20000000.00
9	भूखण्डों में मिट्टी भराई (प्रस्तावित)	20000000.00
10	वाटर पार्क का कार्य	25000000.00
11	अनफारसीन वर्क	5000000.00
	TOTAL	250000000.00

A	TOTAL COST DEVELOPMENT OF ALL SECTORS	463897453.00
B	COST OF RAW LAND@ 37.7 PER SQM AREA 1149698.0 SQM	43343614.60
C	EXTERNAL DEVELOPMENT	
1	STREANTHANING OF TP NAGAR ROAD	40000000.00
2	STREAT LIGHTING ON TP NAGAR& BIJNOR ROAD	10000000.00
3	CONSTRUCTION OF RCC NALA & CULVERTS ON QUILA MOH. DRAIN	40000000.00
4	ELECTRIC SUBSTATION	50000000.00
5	UNFORSEEN WORKS	50000000.00
	TOTAL COST OF EXTERNAL DEVELOPMENT	190000000.00
	TOTAL COST (A+B+C)	**887241067.60**

विषय संख्या : 11 पृष्ठ संख्या : 75

बोर्ड का प्रस्ताव

विषय :- कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर-डी1 में साइट एण्ड सर्विसेज-।।। में ग्रीनबेल्ट की भूमि पर आवंटित भूखण्डों के कारण स्थल का भू-प्रयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

आख्या :-

कानपुर रोड योजना के उपरोक्त सेक्टर में एक लेआउट प्लान बनाकर ग्रीनबेल्ट में साइट एण्ड सर्विसेज के 184 भूखण्ड काट दिये गये थे। इसका भू-विन्यास मानचित्र न तो अभियन्त्रण खण्ड द्वारा बनाया गया एवं न ही नियोजन विभाग द्वारा बनाया जाना स्वीकार किया गया है। इस पाकेट का क्षेत्रफल 2.57 एकड़ है तथा इसमें 184 भूखण्ड काटे गये है। इन भूखण्डों के आवंटन की पत्रावलियों में श्री डी0एन0 सिंह योजना सहायक, श्री शीतला पाल सिंह सहायक नगर अधिकारी, श्री उपेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, श्री जगदीश चन्द्र आदर्श संयुक्त सचिव, श्री आर0के0 सिंह सचिव, श्री राजीव कुमार सिंह सचिव आदि के हस्तारक्षर से आंवटन किया गया है। इसकी प्रारम्भिक जांच में जो अभियन्त्रण खण्ड से लीज प्लान जारी किये गये बताये गये है वह भी फर्जी है तथा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से जारी नहीं किये गये है।

सम्पत्ति विभाग से जारी पत्र संख्या 303/जेएस(बी)/ल0वि0प्रा0 दिनांक 22.01.2002 को इस क्रम में संयुक्त सचिव (बी) द्वारा जारी पत्र (संलग्नक-1) के उत्तर में अधिशासी अभियन्ता जोन-5 द्वारा जारी पत्र 1383/अ0अ0जोन-5 दिनांक 3.04.2002 जोन से जारी नहीं हुआ है एवं फर्जी है (संलग्नक-2)।

साइट एण्ड सर्विसेज-।।। सेक्टर-डी1 की इस पाकेट में 35 भूखण्डों की रजिस्ट्री हो गयी है। अतः इन आवंटियों की समस्याओं के निदान के दृष्टिगत इस हरित पट्टी के 2.57 एकड़ भूमि का भू-प्रयोग परिवर्तन किये जाने एवं इतनी ही भूमि कानपुर रोड योजना के अंतर्गत महायोजना में प्रदर्शित आवासीय भूमि को हरित पट्टी के रूप में छोड़े जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

SS-III TYPE PLOT SECTOR D1

क्रं0	आवंटी का नाम	आवंटी का पता	भूखण्ड संख्या	पंजीकरण तिथि	निबन्धन है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1	श्री हरीश कुमार	464/52/1 तहसीनगंज	60	28.01.1992	नहीं है।
2	श्री सुनील कुमार		61	1992	नहीं है।
3	श्री श्रीमती सुमन		62	1992	नहीं है।
4	श्री प्रदीप कुमार		63	1992	नहीं है।
5	श्रीमती अनुपमा	II/183 वी0जी0 कालोनी, आलमबाग	64		निबन्धन है।
6	श्री अवधेश कुमार	II/181 वी0जी0 कालोनी, आलमबाग	65		निबन्धन है।
7	श्रीमती कालिन्दी	ग्राम व पोस्ट चितवड़ा गांव, जिला-बलिया	66	1992	नहीं है।
8	श्री राजीव रंजन	ग्राम व पोस्ट चितवड़ा गांव, जिला-बलिया	67	1992	नहीं है।
9	श्रीमती रेनू	542/II राजेन्द्र नगर	68	1992	नहीं है। (रिफण्ड)
10	श्री संजय सिंह		69		नही है। (रिफण्ड)
11	श्री सुरेन्द्र सिंह	ग्राम-रकसा पो0-रतसड़ जिला बलिया	70	20.01.1992	नहीं है। (रिफण्ड)
12	श्रीमती बीटन	ग्राम व पो0 - तमलपुरा जिला-गाजीपुर	71	13.01.1992	नहीं है।

GREENBELT PLOT (D1)

([illegible] पाण्डेय)

पो० ।

(अटल बिहारी तिवारी)

प्रधान लिपिक

लखनऊ विकास प्राधिकरण

13	श्री आनन्दा कुमार	ग्राम व पो0- तमलपुरा जिला-गाजीपुर	72	10.01.1992	नहीं है।
14	श्री लल्लन सिंह	ग्राम-मिरचा, पो0-दिलदार नगर, जिला-गाजीपुर	73	17.12.1991	नहीं है।
15	श्री सुनील कुमार सिंह	ग्राम-मिरचा, पो0-दिलदार नगर, जिला-गाजीपुर	74	17.12.1991	नहीं है।
16	श्री हरे राम	ग्राम व पो0 - नगवा जिला-बलिया	75	16.01.1992	नहीं है।
17	श्रीमती प्रतिभा	ग्राम व पो0 - नगवा जिला-बलिया	76	23.01.1992	नहीं है।
18	श्री अरूण प्रकाश	एस.एस. II/440/डी। मानसरोवर कालोनी	77	28.01.1992	नहीं है।
19	श्री कमल किशोर	एस.एस. II/440/डी। मानसरोवर कालोनी	78	27.01.1992	नहीं है।
20	श्री सुभाषचन्द्र		79		नहीं है।
21	श्री संतोष कुमार		80		नहीं है।
22	श्री राम लखन	ग्राम-बिहारीपुरवा पो0-बरौठा	81	14.01.1992	नहीं है।
23	श्री रमेश कुमार	हिन्द नगर कालोनी, कानपुर रोड	82	14.01.1992	नहीं है।
24	श्रीमती मीना सिंह	ई.डी1/152/डी। एल0डी0ए0 कालोनी,	83	9.01.1992	निबन्धन है।
25	श्री अमर नाथ पाण्डेय	डीएस/142/जी एल0डी0ए0 कालोनी,	84		निबन्धन है।
26	श्री सुरेश कुमार	ग्राम-मऊ मंसूरपुर पो0-सफीपुर	85	1992	नहीं है।
27	श्रीमती राजरानी	ग्राम-मऊ मंसूरपुर पो0-सफीपुर	86	19.01.1992	नहीं है।

GREENBELT PLOT (D1)

(किरन[illegible] पाण्डेय)
[illegible]

(अतुल [illegible] तिवारी)
[illegible]

28	श्रीमती मंजू	ग्राम व पोस्ट – समेरा जिला–गाजीपुर	87		नहीं है।
29	श्री अरविन्द कुमार	ग्राम व पोस्ट – समेरा जिला–गाजीपुर	88	1992	नहीं है।
30	श्रीमती गीता देवी	ग्राम व पोस्ट – शेरपुर जिला–गाजीपुर	89	24.01.1992	नहीं है।
31	श्री विजय कुमार	एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड	90		नहीं है।
32	श्री कुलदीप		91		नहीं है।
33	श्रीमती बीना	ग्राम–मउवारी पो0–पत्थरदेवा	92	20.01.1992	नहीं है।
34	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	ग्राम–मउवारी पो0–पत्थरदेवा	93	10.01.1992	नहीं है।
35	श्री राजाराम	476/एमडी। एल0डी0ए0 कालोनी,	94	5.09.1992	नहीं है।
36	श्री पंकज	एमएम/476/डी। मानसरोवर लखनऊ	95	20.09.92	नहीं है।
37	श्रीमती किरन	एमएम/476/डी। मानसरोवर लखनऊ	96	20.09.92	नहीं है।
38	श्री अनुज कुमार	वी0एम0 सर्विस स्टेशन	97	26.08.92	नहीं है।
39	श्रीमती ज्ञानलता	वी0एम0 सर्विस स्टेशन	98	26.08.92	नहीं है।
40	श्रीमती संध्या	554/175 छोटा बरहा आलमबाग	99	26.11.92	नहीं है।
41	श्री सर्वेश कुमार	554/175 छोटा बरहा आलमबाग	100	7.01.93	नहीं है।
42	श्री प्रेमशंकर	रजा मंजिल आर्या नगर	101	26.11.92	नहीं है।

43	श्रीमती शशिबाला	रत्ना मंजिल आर्या नगर	102	26.11.92	नहीं है।
44	श्री विजय शंकर	554ब/53 विशेश्वर नगर	103	26.11.92	नहीं है।
45	श्रीमती शारदा	554ख/53 विशेश्वर नगर	104	7.01.93	नहीं है।
46	श्रीमती अर्मिला	मानसरोवर कालोनी	105	26.11.92	नहीं है।
47	श्री प्रताप सिंह	ग्राम व पोस्ट बरौनी जिला-हरदोई	106	26.11.92	नहीं है।
48	श्री विनोद कुमार	1682 मानसरोवर कालोनी	107	20.09.92	नहीं है।
49	श्रीमती गिरजा देवी	567/62 आनन्द नगर	108	2.01.92	नहीं है।
50	श्री दया शंकर	ग्रा0 व पो0 शेरपुर, गाजीपुर	109	30.01.92	नहीं है।
51	श्रीमती कवलपति	ग्रा0 व पो0 शेरपुर, गाजीपुर	110	29.01.92	नहीं है।
52	श्रीमती नीलम	ग्राम-चन्दनी, पो0-कुण्डेसर,	111	27.01.92	नहीं है।
53	श्री विजय कुमार	ग्राम-चन्दनी, पो0-कुण्डेसर,	112	1992	नहीं है।
54	श्री रामायण	ग्रा0 व पो0 गोड़अर, गाजीपुर	113	24.01.92	निबन्धन है।
55	श्रीमती लाल मुनी	ग्रा0 व पो0 गोड़अर, गाजीपुर	114	4.01.92	निबन्धन है।
56	श्री संतोष कुमार	ग्रा0 व पो0 कोटवा, नरायन पुर, जिला-बलिया	115	1992	नहीं है।
57	श्री श्याम जी	ग्रा0 व पो0 कोटवा, नरायन पुर, जिला-बलिया	116	1991	नहीं है।

( )
पो0

(अटल बिहारी तिवारी)
प्रधान लिपिक

58	श्रीमती इन्द्रावती		117	1992	नहीं है।
59	श्रीमती मुन्नी देवी	ग्रा० व पो० वारा, गाजीपुर	118	10.01.92	नहीं है।
60	श्रीमती सुधा	554ख/53 विशेश्वर नगर	119	3.02.92	नहीं है।
61	श्री राम बचन	ग्रा० व पो० वारा, गाजीपुर	120	1992	नहीं है।
62	श्री प्रभात चन्द राजवेदी	मोती नगर	121	1992	निबन्धन है।
63	श्रीमती कमला	432 मोती नगर	122	1992	निबन्धन है।
64	श्री राम आसरे	116/645-ए रावतपुर कानपुर	123	12.12.91	नहीं है।
65	श्रीमती सुशीला.	116/645 रावतपुर कानपुर	124	31.12.91	नहीं है।
66	श्री चन्द्रभान	भदरूख बंगला बाजार	125	31.01.92	निबन्धन है।
67	श्रीमती उपमा	भदरूख बंगला बाजार	126	31.01.92	निबन्धन है।
68	श्री अखिलेश कुमार	ग्रा० व पो० रहीमनगर पड़ियाना	127	1992	निबन्धन है।
69	श्रीमती अनुराधा	ग्रा० व पो० रहीमनगर पड़ियाना	128	1992	नहीं है।
70	श्री अवधेश कुमार		129	1992	नहीं है।
71	श्रीमती गायत्री	ग्राम-भिखारीपुर, पोस्ट-यन्हौना, [illegible]	130	23.01.92	नहीं है।
72	श्रीमती मिथलेश	ग्राम-भिखारीपुर, पोस्ट-यन्हौना, जिला-रायबरेली	131	22.01.92	नहीं है।

([illegible])
पो० सहा० ([illegible])

(अटल बिहारी तिवारी)
[illegible]
[illegible]

73	श्री विनोद कुमार	ग्रा० व पो० जीराबस्ती, जिला-बलिया	132	30.01.92	नहीं है।
74	श्रीमती रंजना		133	1992	नहीं है।
75	श्रीमती लीलावती		134	1992	नहीं है।
76	श्री सुनील नरायन सिंह		135	1992	नहीं है।
77	श्रीमती गीता		136	1992	नहीं है।
78	श्रीमती सुधा	40 क्वार्टर 11/19/सी आलमबाग	137	1992	नहीं है।
79	श्री विनोद कुमार		138	1992	नहीं है।
80			139		भूखण्ड उपलब्ध नहीं
81	श्रीमती राम कुमारी		140		नहीं है।
82	श्रीमती सरला	70 सी सिंगार नगर, आलमबाग	141	30.01.92	नहीं है।
83	श्री मोतीलाल	10 सी सिंगार नगर, आलमबाग	142	28.01.92	नहीं है।
84	श्रीमती राम दुलारी		143	1992	नहीं है।
85	श्री बेलीराम		144	1992	नहीं है।
86	श्री विनोद कुमार	29/1 चन्दर नगर, आलमबाग	145	1992	नहीं है।
87	श्रीमती अनीता	24/1 चन्दर नगर, आलमबाग	146	1.02.92	नहीं है।

88			147		भूखण्ड उपलब्ध नहीं
89	श्री प्रभात कुमार		148	1992	नहीं है।
90	श्री पीयूष		149	1992	नहीं है।
91	श्रीमती वन्दना	554/192क छोटा बरहा	150	1992	नहीं है।
92	श्री गिरीश कुमार	554/192क छोटा बरहा	151	3.02.92	नहीं है।
93	श्रीमती निर्मला देवी	554/192क छत्तरपुरा	152	19.12.91	नहीं है।
94	श्री राकेश		153		नहीं है।
95	श्रीमती आरती	11/259 मानसरोवर	154	26.08.92	नहीं है।
96	श्रीमती विमला देवी	रोक्टर-सी अलीगंज	155	18.01.92	नहीं है।
97	श्री गोपाल कृष्ण	छोटीलालकुर्ती बाजार दिलकुशा	156	15.12.91	नहीं है।
98	श्री जगदीश		157	1992	नहीं है।
99	श्रीमती शोभा		158	1992	नहीं है।
100	श्रीमती इन्द्रावती	राहुल नगर कालोनी, वाराणसी	159	9.01.92	नहीं है।
101	श्री सतीश कुमार	राहुल नगर कालोनी, वाराणसी	160	16.01.92	नहीं है।
102	श्री मन्नालाल		161	1992	नहीं है।

103	श्री अशोक कुमार		162		नहीं है।
104	श्रीमती मीरा देवी		163		नहीं है।
105	श्रीमती अमृता देवी	ग्रा० व पो० बिहड़ा, जिला-जौनपुर	164	19.12.91	नहीं है।
106	श्री प्रेमशंकर	ग्रा० व पो० बिहड़ा, जिला-जौनपुर	165	19.12.91	नहीं है।
107	श्री राजकुमार	ग्रा० व पो० बिहड़ा, जिला-जौनपुर	166	19.12.91	नहीं है।
108	श्रीमती जामवन्ती	मानसरोवर कालोनी	167	1992	नहीं है।
109	नीरजा	ग्रा० व पो० विरहाना, जिला-जौनपुर	168	15.01.92	निबन्धन है।
110	श्री श्यामजीत	ग्राम-शंकरपुर, पोस्ट-चिरईगांव, [illegible]	169		नहीं है।
111	श्री बरसाती		170	1992	नहीं है।
112	श्री सुदर्शन वर्मा	ग्राम-डिउवापार, पोस्ट-देवगढ़, [illegible]	171		नहीं है।
113	श्रीमती दशरथा देवी	ग्राम-करियापुर, पोस्ट-गोसाईगंज, जिला-फैजाबाद	172	15.01.92	नहीं है।
114			173		भूखण्ड उपलब्ध नहीं है।
115			174		भूखण्ड उपलब्ध नहीं है।
116	श्री अवधेश कुमार		175	1992	नहीं है।

([illegible])

([illegible] बिहारी तिवारी)
प्रधान लिपिक
लखनऊ विकास प्राधिकरण)

117	श्री नरेन्द्र प्रकाश	ग्रा० व पो० लरिनी, जिला–बलिया	176	15.01.92	नहीं है।
118	श्रीमती माधुरी सिंह	ग्रा० व पो० लरिनी, जिला–बलिया	177	15.01.92	नहीं है।
119	श्रीमती मीरा	मधुवत नगर, आलमबाग	178	25.01.92	नहीं है।
120	श्री आकाश	मधुवत नगर, आलमबाग	179	23.01.92	नहीं है।
121	श्री रमेशचन्द्र	मधुवत नगर, आलमबाग	180	30.01.92	निबन्धन है।
122			181		भूखण्ड उपलब्ध नहीं
123			182		भूखण्ड उपलब्ध नहीं
124	श्रीमती सुमन सिंह	एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड	183	4.02.92	नहीं है।
125	श्रीमती अंजू सिंह	एल०डी०ए० कालोनी, कानपुर रोड	184	1992	नहीं है।
126	श्रीमती उर्मिला	सदर–बाजार कैन्ट	185		निबन्धन है।
127	श्री शिवमंगल सिंह	ग्राम व पोस्ट करम्मरपुर, जिला–बलिया	186		निबन्धन है।
128	श्री अजय कुमार सिंह	ग्रा० व पो० करम्बर, जिला–बलिया	187		निबन्धन है।
129	कु० रिंकी	ग्रा० व पो० करम्बर, जिला–बलिया	188		निबन्धन है।
130	श्रीमती सरिता देवी	ग्रा० पो० धमनीखेड़ा, जिला–उन्नाव	189	31.01.92	नहीं है।
131	श्री राजकुमार	ग्राम–कमरौली, पोस्ट–जगदीशपुर,	190	10.01.92	नहीं है।

(अपर जिलाधीश)

132	श्रीमती राधा	ग्राम-कमरौली, पोस्ट-जगदीशपुर, जिला-सुल्तानपुर	191	9.01.92	नहीं है।
133	श्री कान्त	ग्रा० व पो० मोहान, जिला-उन्नाव	192	23.01.92	नहीं है।
134	श्रीमती नीता	ग्रा० व पो० मोहान, जिला-उन्नाव	193	1992	नहीं है।
135	श्रीमती नीरा	ग्रा० व पो० राम नगर, बाराबंकी	194	1992	नहीं है।
136	श्री रवीन्द्र कुमार	ग्रा० व पो० राम नगर, बाराबंकी	195	23.01.92	नहीं है।
137	श्रीमती राम किशोरी देवी	551ख/129 कुरियाना, आलमबाग	196	31.01.92	नहीं है।
138	श्री ललित कुमार	557ख/129 कुरियाना, आलमबाग	197	22.01.92	नहीं है।
139			198		भूखण्ड उपलब्ध नहीं है।
140			199		भूखण्ड उपलब्ध नहीं है।
141	श्री सुशील कुमार	344/180 भवनीगंज, लखनऊ	200	27.01.92	नहीं है।
142	श्रीमती कान्ती	344/180 भवनीगंज, लखनऊ	201	1992	नहीं है।
143	श्री शिवाकांत	17/2 भवनीगंज, लखनऊ	202	31.01.92	निबन्धन है।
144	श्रीमती विभा	17/2 भवनीगंज, लखनऊ	203	31.01.92	निबन्धन है।
145	श्रीमती रानी	255/233 कुण्डरी रकाबगंज, लखनऊ	204	31.01.92	निबन्धन है।

(किरनलता पाण्डेय)

146	श्री अभय कुमार	255/253 कुण्डरी रकाबगंज, लखनऊ	205		निबन्धन है।
147	श्रीमती शोभा वर्मा	एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड	206	1992	नहीं है।
148	श्री रवि शंकर	एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड	207	1992	नहीं है।
149	श्री कुंज बिहारी	एलडी-22/एच रनिंग रोड कालोनी आलमबाग	208	3.11.92	नहीं है।
150	श्री रसिक बिहारी	एलडी-22/एच रनिंग रोड कालोनी आलमबाग	209	29.01.92	नहीं है।
151	श्री विनीत कुमार	एसएस-3/210/डी। एल0डी0ए0 कालोनी,	210		निबन्धन है।
152	श्री नवीन	ग्राम-शुक्लापुर, पोस्ट-मल्लावा, जिला-हरदोई	211		निबन्धन है।
153	श्रीमती सविता	एमडी।-214मानसरोवर कालोनी, लखनऊ	212	1992	नहीं है।
154	श्री प्रेम नरायन श्रीवास्तव	एसएस-।।।/213/डी। एलडीए कालोनी कानपुर	213	15.01.92	निबन्धन है।
155	श्री दिनेश कुमार	401/214 मानसरोवर कालोनी	214	14.01.92	निबन्धन है।
156	श्री विकास	401/214 मानसरोवर कालोनी	215	31.12.91	नहीं है।
157	श्री हरीशंकर		216	1992	नहीं है।
158	श्रीमती शकुंतला देवी	7/4 बादशांह नगर	217	13.01.92	नहीं है।
159	श्रीमती गुड़िया	एल-7/4 बादशाह नगर कोलानी	218		निबन्धन है।

160	श्री गुरू दयाल वर्मा	एलडी–22/एच रनिंग रोड कालोनी आलमबाग	219	30.01.92	नहीं है।
161	श्रीमती राम कला	एलडी–22/एच रनिंग रोड कालोनी आलमबाग	220	31.01.92	नहीं है।
162			221		भूखण्ड उपलब्ध नहीं है
163			222		भूखण्ड उपलब्ध नहीं है
164	श्री स्वामी नाथ	एसएस–।।/130/डी। एलडीए कालोनी कानपुर	223	18.01.92	भूखण्ड उपलब्ध नहीं है
165	श्री शंकर लाल	रेसकोर्स केन्टोनमेन्ट	224	8.02.93	भूखण्ड उपलब्ध नहीं है।
166	श्री वंशीलाल	एमडी। एलडीए कालोनी, लखनऊ	225	26.10.91	निबन्धन है।
167	श्रीमती संतोष कुमारी	एमडी। एलडीए कालोनी, लखनऊ	226		निबन्धन है।
168	श्रीमती उषा	एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड	227	1992	नहीं है।
169	श्री राजदीप	एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड	228	1992	नहीं है।
170			229		भूखण्ड उपलब्ध नहीं है
171	श्री प्रेम शंकर	एसएस–।।।/230/डी। एलडीए कालोनी कानपुर	230	30.01.92	निबन्धन है।
172	श्रीमती उषा	एसएस–।।।/231/डी। एलडीए कालोनी कानपुर रोड लखनऊ	231		निबन्धन है।
173	श्री उमंग	एसएस–।।।/232/डी। एलडीए कालोनी कानपुर रोड लखनऊ	232	31.12.87	निबन्धन है।

(अटल बिहारी शिवारी)
प्रधान लिपिक
लखनऊ विकास प्राधिकरण;

174	श्रीमती सुधा		233	1992	नहीं है।
175	श्रीमती आशा	मानसरोवर कालोनी	234	20.04.92	नहीं है।
176	श्री अनिल कुमार	378 मानसरोवर कालोनी	235	29.01.92	नहीं है।
177	श्री नितेश कुमार	378 मानसरोवर कालोनी	236	29.01.93	नहीं है।
178	श्री सुनील कुमार	एमडी1-378 मानसरोवर कालोनी	237	2.04.92	नहीं है।
179	श्रीमती सुषमा	378 मानसरोवर कालोनी	238	26.10.91	नहीं है।
180	श्रीमती शिखा	378 मानसरोवर कालोनी	239	29.01.92	निबन्धन है।
181	श्री ओम प्रकाश अवस्थी	एसएस-III/240/डी1 एल0डी0ए0 कालोनी,	240	16.01.92	निबन्धन है।
182	श्रीमती शिखा	एसएस-III/240/डी1 एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ	241	26.10.91	निबन्धन है।
183	श्री त्रिलोक नाथ अवस्थी	एसएस-III/242/डी1 एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ	242	29.07.92	निबन्धन है।
184	श्री करूणा शंकर	मानसरोवर कालोनी	68 A	9.01.1992	नहीं है।

(किरनलता पाण्डेय)
पो० महा० (का०प०रो०)

(अटल बिहारी तिवारी)
प्रधान लिपिक
लखनऊ विकास प्राधिकरण;

विषय संख्या : 12 पृष्ठ संख्या : 89

विषयः कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर–''जी'' में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पड़ी भूमि पर निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि पर छोटे व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाने के संबंध में।

प्रस्तावः

कानपुर रोड योजना के सेक्टर–जी में भवन संख्याः एमआईजी–206 व 208 के मध्य रिक्त पड़ी भूमि तलपट मानचित्र में सुलभ शौचालय निर्माण हेतु आरक्षित है। अभियन्त्रण जोन की आख्यानुसार उक्त भूमि के आंशिक भाग पर सुलभ शौचालय निर्मित भी किया गया है तथा आधे भाग पर गुमटी इत्यादि रखी गयी हैं। इस संबंध में मा0 विधायक श्री उदयराज यादव द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जो भी रिक्त भूमि पड़ी है उसे उन्हें आवासीय उपयोग हेतु आवंटित कर दी जाये। चूँकि प्रश्नगत भूमि तलपट मानचित्र में सुलभ शौचालय हेतु आरक्षित है, अतः भू–उपयोग विपरीत होने के कारण इसे आवास हेतु आवंटित नहीं किया जा सकता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत भूमि पर सामुदायिक शौचालय का प्राविधान कमजोर वर्ग के मकानों में शौचालय का प्राविधान न होने के फलस्वरूप किया गया था। क्योंकि कमजोर वर्ग के मकानों के सामने सीवर लाइन न होने के कारण शौचालय नहीं बन पाये थे। अब सीवर लाइन का प्राविधान हो गया है एवं मकानों में शौचालय निर्मित हो गये हैं इसलिये सामुदायिक शौचालय का उपयोग वहाँ के आवासियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, अतएव सामुदायिक शौचालय निष्प्रयोजित हो गये हैं। अतः प्रश्नगत भूखण्ड को वहाँ के आवासियों की व्यवसायिक सुविधा हेतु तलपट मानचित्र में सार्वजनिक शौचालय से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित किया जाना उचित प्रतीत होता है, इससे प्राधिकरण को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा तथा भूमि को अनाधिकृत कब्जों से भी बचाया जा सकेगा।

अस्तु प्रस्ताव है कि उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के समतुल्य कार्यवाही कर, प्रश्गनत भूखण्ड को सामुदायिक शौचालय से व्यवसायिक भू–उपयोग में परिवर्तित कर दिया जाये। प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10/4/2006

(सी० पी० ज०)
मुख्य नगर नियोजक

विषय:– लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित चालकों को आवास विकास परिषद की भाँति हैवी ड्यिुटी एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में नियमित चालकों की संख्या–53 है। इन चालकों को अधिकतर कार्यालय समय से पूर्व और कार्यालय समय के पश्चात् कार्यहित में ड्यिुटी करनी पड़ती है। कार्यालय समय के पूर्व और कार्यालय समय के पश्चात् ड्यिुटी करने के लिए उक्त चालकों को कोई अतिरिक्त भत्ता अथवा ओवर टाइम नहीं दिया जाता है ।

चालकों के उक्त परिश्रम को दृष्टिगत रखते हुए आवास विकास परिषद द्वारा आदेश संख्याः 5807/ प्रशा0–एक, दिनांक 19.03.2004 के माध्यम से चालकों को हैवी ड्यिुटी एलाउन्स के रुप में रु0 300/– प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया है (आदेश की छाया–प्रति संलग्न पताका 'क') ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के चालकों द्वारा आवास विकास परिषद की भाँति रु0 300/– हैवी ड्यिुटी एलाउन्स दिये जाने हेतु शासन स्तर पर प्रत्यावेदन दिया गया था जिस पर शासन से यह निर्देश प्रदान किये गये हैं कि अपने स्तर पर निर्णय लेकर नियमानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।

अतः प्राधिकरण में कार्यरत चालकों द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो जैसे कार्यविधि से पूर्व एवं पश्चा् किये जाने वाला कार्य, अवकाश के दिनों में की जाने वाली ड्यिुटी, अतिक्रमण अभियान के तहत ड्यिुटी को दृष्टिगत रखते हुए समस्त चालकों को रु0 300/– प्रतिमाह हैवी ड्यिुटी एलाउन्स दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

कृपया प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उक्त प्रकरण पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है ।

4-4-06

5/4/06

राजीव कुमार
विशेष कार्याधिकारी
लखनऊ विकास प्राधिकरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
(प्रशासन अनुभाग)
104—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ ।

संख्या 5807 /प्रशा0—एक दिनांक 19-3-2004

कार्यालय—आदेश

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यरत ड्राइवरों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—3 के नियम—38 के अन्तर्गत कार्यालय आदेश संख्या 5013/प्रशा0—एक दिनांक 02.01.98 द्वारा दिनांक 01.01.98 से हैवी ड्यूटी एलाउन्स रू0 200.00 (दो सौ मात्र) प्रतिमाह अनुमन्य है। वाहन चालको की मांग पर सम्यक विचारोपरान्त परिषद में कार्यरत ड्राइवरों को हैवी ड्यूटी एलाउन्स रू0 300.00 (रू0 तीन सौ मात्र) प्रतिमाह इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि उन्हे कोई ओवर टाइम भत्ता न दिया जाता हो।

उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगें।

(विद्यानन्द गर्ग)
आवास आयुक्त

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वित्त नियन्त्रक/मुख्य अभियन्ता/मुख्य वास्तुविद नियोजक।
2. समस्त संयुक्त आवास आयुक्त।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक/अधिशासी अभियन्ता/उप निदेशक।
4. अध्यक्ष/आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव के निजी सचिव।
5. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

(रूद्र प्रताप सिंह)
संयुक्तआवास आयुक्त(प्रशासन)

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 02 मई, 2006

में विचारणीय अन्य विषय

कमांक	विषय	पृष्ठ सं0
14.	बैडमिन्टन अकादमी को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में आवंटित प्ले–फील्ड की भूमि का भू–उपयोग प्ले–फील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में ।	92
15.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।	93
	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी,2006 के विषय संख्या–15 पर गठित उपसमिति की आख्या ।	115
	लखनऊ विकास प्राधिकरण दिनांक 6/13 जनवरी,06 के विषय संख्या–30 पर गठित उपसमिति की आख्या।	118

विषय: बैडमिंटन अकादमी को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में आवंटित प्ले-फील्ड की भूमि का भू-उपयोग प्ले-फील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव:

डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर के समीप निर्मित बैडमिंटन अकादमी को आपसी समन्वय के आधार पर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में 7.9 एकड़ का प्ले-फील्ड अकादमी के निर्माण हेतु आवंटित किया गया है। डा0 विजय सिन्हा अवैतनिक सचिव, उ0प्र0 बैडमिंटन संघ ने अपने पत्र दिनांक: 03.04.2006 में मांग की है कि उक्त 7.9 एकड़ भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर आवासीय में परिवर्तित कर दिया जाये क्योंकि जोनिंग रगुलेशन्स के आधार पर प्ले-फील्ड में केवल 5 प्रतिशत भू-आच्छादन अनुमन्य किया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन अकादमी के निर्माण हेतु बैडमिन्टन कोर्ट एवं उसके आनुसागिंक प्रयोग हेतु 2.5 एकड़ भूमि पर निर्माण किये जाने की आवश्यकता होगी जो कि लगभग 30 प्रतिशत भूमि आच्छादित करेगा। इस परिसर में केवल बैडमिन्टन कोर्ट का निर्माण किया जायेगा। अत: अकादमी के सचिव का अनुरोध है कि प्ले-फील्ड के भू-उपयोग को आवासीय में परिवर्तित कर दिया जाता है तो भू-आच्छादन मानक 30 से 35 प्रतिशत हो जायेगा एवं उसमें बैडमिंटन कोर्ट इत्यादि के निर्माण में कोई तकनीकी व्यवधान उत्पन्न नही होगा।

उक्त भूमि का महायोजना-2021 में भू-उपयोग आवासीय दर्शाया गया है तथा तलपट मानचित्र में प्ले-फील्ड अंकित है। विजयंत खण्ड का तलपट मानचित्र वर्ष 1987 में तैयार किया गया था। उस समय पार्क एवं प्ले-ग्राउन्ड के लिए कुल क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत प्रस्तावित किया जाता था। जिसके सापेक्ष 12.97 प्रतिशत भूमि पार्क एवं प्ले-ग्राउन्ड में प्रस्तावित की गयी है। बैडमिंटन अकादमी चूंकि अन्तराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर के आयोजन करेगा जिस हेतु कई कोर्टो की आवश्यकता होगी। जबकि प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग प्ले-फील्ड होने के कारण महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार मात्र 5.00 प्रतिशत ही अनुमन्य होगा जो कि आवश्यकता से काफी कम है। अत: आच्छादन के दृष्टिगत प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग तलपट मानचित्र मे परिवर्तन के अन्तर्गत किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-13 के समतुल्य कार्यवाही की जानी होगी।

उपरोक्त प्ले-फील्ड को तलपट मानचित्र में आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

29/4/2006

(सी० पी० शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक

विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुसचिव, उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-6 के पत्र संख्या 1778/आ-5-2005 दिनांक 24 जून 2005 के साथ संलग्न उ0प्र0 शासन, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3 (घोषणा प्रकोष्ठ) के पत्र संख्या 371/घोषणा /एम0एस0-2/2005 दिनांक 11.04.2005 के बिन्दु-1 के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वे0आ02-315-दस-97 स्था0नि0-3-89 दिनांक 13 फरवरी 1990 के कम मे संशोधित शासनादेश संख्या वे0आ0-2-182/दस-97-स्था नि0-03-89 दिनांक 20 फरवरी 1997 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय, जिला परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के पूर्ण कालिक कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या वे0आ0-2-183/दस-45 (एम)/99 वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 31 जनवरी 2001 में लिखित राज्य कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या वे0आ0-2-560/दस-45(एम)/99 दिनांक 02 दिसम्बर 2000 द्वारा समयमान वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की लागू की गई व्यवस्था स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिये भी मार्गदर्शी व्यवस्था होगी, उसी के अनुरूप प्राधिकरण कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/प्रोन्नति वेतन की सुविधा अन्य विकास प्राधिकरणों में स्वीकृत की जा चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसे कार्मिकों की संख्या अत्यधिक है, जिन्हें पदोन्नति के पदों की कमी के कारण उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और वह एक ही पद पर कार्य करते हुए सेवा निवृत्त हो गये, और हो रहे हैं। इस कारण उन्हें आर्थिक हानि भी हो रही है। शासन द्वारा विकास प्राधिकरण कार्मिकों को मिलने वाला समय मान वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाये जाने हेतु समयमान वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान का लाभ कर्मचारियो को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा समयमान वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की घोषणा को लुखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को उक्त वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के कर्मचारी संघ ; एवं उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर संघ द्वारा मांग पत्र देकर बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। उपरोक्त के सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना उपयुक्त होगा कि राज्य सरकार द्वारा जो भी सुविधायें राज्य कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं, वह उसी रूप में प्राधिकरण कर्मियों को भी प्रदान हो रही हैं। उदाहरण स्वरूप महंगाई भत्ता, बोनस इत्यादि। राज्य कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा मिले 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, जबकि प्राधिकरण कर्मचारियों को यह सुविधा स्वीकृत होने के बाद भी अभी तक नहीं मिल पाई है, जिस कारण उनके

(डा० राम विलास यादव)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अवशेष के भुगतान का भी व्यय भार भी बढ़ रहा है, जबकि प्राधिकरण को सभी भुगतान अपने संसाधनों से ही वहन करना है।

माननीय मुख्य मंत्री जी की समयमान वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की घोषणा के उपरान्त यह सुविधा गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, फैजाबाद विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृति प्रदान कर भुगतान किया जा रहा है कि यदि शासन से इस सम्बन्ध में अन्यथा आदेश होते हैं तो सम्बन्धित कार्मिकों से उसकी वसूली कर ली जायेगी।

अत: उपरोक्त वर्णित स्थिति एवं कर्मचारी संघों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य कर्मचारियों एवं अन्य विकास प्राधिकरणों की भाति समयमान वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान की स्वीकृति इस प्रातिबन्ध के साथ प्रदान करने का कष्ट करें, कि यदि शासन से इस सम्बन्ध में विपरीत आदेश होते है, तो सम्बन्धित कार्मिकों से उसकी प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

(राजीव कुमार)
विशेषकार्याधिकारी

(ड0 राम बिलास यादव)
सचिव

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुमोदित।

(बी0बी0 सिंह)
उपाध्यक्ष

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा/सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या–1778/आठ–5–2005

प्रेषक,

आर0एन0 सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

2– उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2005

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 7.4.2005 को जनपद–लखनऊ के भ्रमण के दौरान की गयी घोषणाओं के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ठ) के पत्र संख्या–371/घोषणा/एम0ए0–23/2005, दिनांक 11.4.2005 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(शिव जनम चौधरी)
अनु सचिव।

CM-208/ [illegible]

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3
(घोषणा प्रकोष्ठ)

संख्या-371/घोषणा/M.S.-23/2005
लखनऊ : दिनांक- 11.4.2005

प्रमुख सचिव/ सचिव,
लोक निर्माण विभाग

1092/SH/05
12.5.05

VS (R)

(जे० [illegible] मिश्र) 4-[illegible]
आवास [illegible] नियोजन
उ० [illegible] शासन

मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 07/04/2005 को जनपद लखनऊ के भ्रमण के दौरान निम्न घोषणा/ घोषणाएं की गई हैं :-

क्रमांक	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
1	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312591)	समयमान वेतनमान की सुविधा की तिथि 31.12.2005 तक बढ़ायी जायेगी।
2	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312592)	6 करोड़ रूपये से अधिक कार्यभार होने पर नये खण्डों के सृजन किये जाने के संबंध में पूर्ण स्थिति पर पुर्नविचार किया जायेगा।
3	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312593)	5 वर्ष में एक बार रिफेशर कोर्स हेतु अभियन्ताओं को अवश्य भेजा जायेगा। शासन ने इस संबंध में एक प्रतिशत बजट प्रशिक्षण हेतु निर्धारित किया है।
4	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312594)	अभियंत्रण सेवा संवर्गों का कैडर रिव्यु कराने के कठोर निर्देश समस्त विभागों/ विभागाध्यक्षों को तत्काल दिये जा रहे हैं।
5	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312595)	लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति के पद सृजित है अन्य विभागों में विभागीय माँग की स्थिति में प्रतिनियुक्ति रिजर्व के पद सृजित किये जायेगें।
6	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312596)	अभियंत्रण विभागों में रिक्त पदो पर समय से पदोन्नतियाँ किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
7	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312597)	लंबित स्थायीकरण एवं विनियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

VS (S)
Awas-2
21.4.05

(रामगुरु प्रसाद)
विशेष सचिव,
[illegible] शहरी नियोजन

(अजय कुमार सिंह)
[illegible] नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312598)	सेवा नियमावलियों का शीघ्र प्रख्यापन किया जायेगा।
9	M.S.-23/2005 (क.स.- 40190312599)	सेवानिवृत्तिक देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुरोध है कि कृपया आप उपर्युक्त घोषणा/ घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से मुख्य मंत्री कार्यालय के घोषणा प्रकोष्ठ को एक पक्ष में अवगत कराने का कष्ट करें।

(आनन्द मिश्रा)
सचिव, मुख्यमंत्री

संख्या-371 (1)/घोषणा/M.S.-23/2005, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
प्रमुख सचिव, वित्त/ नियोजन विभाग/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ नगर विकास/लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/ आवास/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(मुहम्मद अखलाक खाँ)
अनु सचिव, मुख्यमंत्री

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

मुख्य लिपिक / अनुसचिव,

कृपया पत्रावली के सम्मुख रखे श्री शील कुमार जैन पद अव(आ) के आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । इनके द्वारा शासनादेश अनुसार 4 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर एक वेतन वृद्धि तथा 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने की दिनांक 4 से 19 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण किये जाने पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 वे0आ0–2–182/दस–97 –स्था0नि0–3–89 , दिनांक 20 फरवरी 1997 में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 5–11–85 से पूर्व नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित, ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष हो अथवा जो 58 वर्ष पर अधिवर्षता का विकल्प दें और जिनके वेतनमान का पुनरीक्षित वेतनमान रू0 3500/– तक है, उन्हें 8 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा 1 मार्च 95 को अथवा उसके बाद अथवा आगामी तिथि को सम्बन्धित पद पर पूर्ण करते हैं सलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रकम पर निर्धारित कर दिया जाय । जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया जाय, 8 वर्ष की सेवा के पश्चात एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा । ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि का लाभ 1 मार्च 1995 से पूर्व प्राप्त हो चुका है, ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हैं उनकी जब 6 वर्ष की अनवरत सेवा सलेक्शन ग्रेड के उक्त लाभ की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है । पदोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देते हुए उनका वेतन उस वेतन के अगले उच्च प्रकम पर निर्धारित किया जाय । ऐसे संवर्ग पद जिनके लिये पदोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान जिसमें वे कार्यरत हैं, से अगला वेतनमान देय होगा । वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान देने के लिये सलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा आवश्यक है । सलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतनवृद्धि मिल चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी ।

उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी जब वह वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/ अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 19 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/ अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रकम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा । किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत वेतनमान/ अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा की गणना पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है, उसे संज्ञान में लिया जायेगा । उदाहरण स्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान / अगला वेतनमान 1 फरवरी 1992 को मिल चुका है तो एक फरवरी 1997 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी ।

उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नत/ अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि की लाभ की तिथि से 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 24 वर्ष की सेवा

के उपरान्त प्रोन्नत/ अगला वेतनमान अनुमन्य होगा । अर्थात ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है को प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा और ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा ।

श्री शील कुमार जैन अवर अभियन्ता की नियुक्ति प्राधिकरण में दिनांक 9-3-87 को हुई है । ये वेतनमान रू0 1400–2300/– आहरित कर रहे थे, जिसका पुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500–125–7000/– है । तथा इनके द्वारा अपनी विगत 10 वर्ष की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों की फोटो प्रति उपलब्ध कराई गयी है । इनकी व्यक्तिगत पत्रावली / सेवा पुस्तिका के रिकार्ड अनुसार इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे इनको दिये जाने वाले सैलेक्सन ग्रेड/ प्रोन्नति वेतनमान/ अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ न दिया जाये । श्री शील कुमार जैन अवर अभियन्ता 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 9.3.95 को, 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 9.3.01 को पूर्ण कर रहे हैं । जिसके कारण उक्त सलेक्सन ग्रेड इन्हें दिनांक 1.3.95 को मिल चुका है तथा प्रोन्नति वेतनमान (रू0 8000–13500/–)/ का लाभ दिया जाना है । कृपया तदानुसार इन्हें उक्त लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्रावली लेखानुभाग को अग्रसारित करने का कष्ट करें । सेवा पुस्तिका

संलग्न है

Rank 20.1.06

23/01/2006 (रमेशचन्द्र) मु.लि.प्र.

F.C. 23/1/06

अरिल राणा
अनुसचिव
वाणियावाद विकास प्राधिकरण

लेखाकार/ विष्ट निम-एक/ सचिव

कृपया अधिष्ठान की उपरोक्त आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री शील कुमार जैन अवर अभियन्ता को 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 9.3.95 को, 14 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 9.3.01 को पूर्ण कर रहे हैं शासनादेश दिनांक 2.12.2000 के प्रस्तर (2) के अनुसार प्राप्त किये एक वेतन वृद्धि की तिथी से 8 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नति वेतन मान रूपये 8000 - 13500 का लाभ दिया जाना है। अतः उपरोक्तानुसार सन्दर्भ के क्रम में दिनांक 9.3.01 से प्रोन्नति वेतन मान व्यक्तिगत रूप से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

24/1/06

Rank 25/1

Sushil 25.1.06 F.C.

28.1.06

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

मुख्य लिपिक / अनुसचिव / सचिव

कृपया पूर्व पृष्ठ पर सचिव महोदय के आदेश दिनांक 28–1–06 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री शील कुमार जैन, अवर अभियन्ता को दिनांक 9–3–2001 से पदोन्नति का अगला वेतनमान रू0 8000–275–13500/– दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनके कारण इनका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होना है ।

1– वेतनमान 4500–125–7000/– में दिनांक 1–3–2001 को प्राप्त मूल वेतन रू0 6125/–

2– दिनांक 9–3–2001 को पदोन्नति का अगला वेतनमान रू0 8000–275–13500/– दिये जाने पर अगला प्रकम/ मूल वेतन रू0 8000/–

3– दिनांक 1–3–2002 को मूल वेतन रू0 8275/–

4– दिनांक 1–3–2003 को मूल वेतन रू0 8550/–

5– दिनांक 1–3–2004 को मूल वेतन रू0 8825/–

6– दिनांक 1–3–2005 को मूल वेतन रू0 9100/–

कृपया उपरोक्तानुसार वेतन निधारित किये जाने हेतु पत्रावली लेखानुभाग को अग्रसारित करने का कष्ट करें ।

01/02/2006 (रमेश चन्द्र) मु. लि. प्रशा.

01/2/06

F.C.

01/2/06

वेतन निर्धारण सही है।

कृपया अनुमोदनार्थ।

1.2.06

F.C.

2.2.06

139
1/2/06

मु. लि. / अनुसचिव

कृपया उपरोक्त स्वीकृति अनुसार रुपया पुनस्तरण को प्रवृत्ति हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

03/02/2006 (रमेश चन्द्र) मु. लि. प्रशा.

03.2.06

3/2/06

मु० लि० / अनुसचिव

कृपया सम्मुख रखें श्री शील कुमार जैन अवर अभियन्ता का प्रस्तुत चिकित्सा बिल का अवलोकन प्रेषण कर रहे जो प्राधिकरण द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत किया गया है। यह बिल इनके स्वयं के इलाज का बिल है। बिलों को अवलोकन कर डा० द्वारा मात्र रु० 7953/- का भुगतान की संस्तुति की गयी है। अतः संस्तुति अनुसार बिलों का अवलोकन कर जाँच एवं भुगतान हेतु पत्रावली लेखा अनुभाग को अग्रसारित प्रेषण कष्ट करें।

03.2.06

03/02/2006
(रमेशचन्द्र)
मु० लि० प्रशा०

F.C.

3/2/06
U.S.

~~सेवाकार / विशेष नियन्त्रक / सचिव / उपाध्यक्ष~~

कृपया अधिष्ठान की उपरोक्त आख्या का अवलोकन करने का कष्ट करें। श्री शील कुमार जैन अवर अभियन्ता द्वारा अपने स्वयं के हार्ट का इलाज करवा कर कुल रुपये 9224/- के चिकित्सा बिल प्रस्तुत किये हैं जो सम्मुख ओर संलग्न है। प्राधिकरण द्वारा नामित डा० द्वारा प्रस्तुत बिलों के से रुपये 7953/- के बिल सत्यापित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत किये हैं अतः अधिष्ठान की उपरोक्त संस्तुति के क्रम में श्री शील कुमार जैन अवर अभियन्ता को चिकित्सा बिलों के विरुद्ध कुल रुपये 7953/- के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

336
4/2/06

3/2/06

3/2/06

Sushil
4.2.06
F.C.

4.2.06

डॉ० पी० सिंह

7/2/06

BANK
2/11/Feb/06
420599
8/02/06
7953-00

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

(टिप्पणियां एवं आदेश)

मु० लि०/ अनुसचिव

कृपया पूर्व पृष्ठ पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त स्वीकृति अनुसार Rs 7953=0 का प्रासंगिक बिल का दिया गया है। अतः बिल पर हस्ताक्षर तथा भुगतान हेतु पत्रावली लेखानुभाग को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

Rajib 7.2.06

07/02/2006 (रमेशचन्द्र) मु.लि.प्रशा.

E.C 7/2/06

मु. लि./ अनुसचिव D.S.D(P)

कृपया श्री शीहा कुमार जैन गृह भी वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1-3-06 को देय है। चुकी है। यह वेतनमान रु० 8000-275-13000 में मूलवेतन रु० 9100/- प्रति माह पा रहे हैं। इनकी यह देय वेतन वृद्धि स्वीकृत होने पर मूलवेतन रु० 9375/- प्रति माह हो जायेगा अतः उपरोक्त देय वेतन वृद्धि भी स्वीकृति प्रदान करना चाहें।

Rajib 2-3-06

02/03/2006 (रमेशचन्द्र) मु.लि.प्रशा.

3/3/06

प्रमिला ...
अनुसचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

6.3.06

566
7/3

सु० लि०/अनुसचिव

कृपया पूर्व पृष्ठ पर वेतनवृद्धि की स्वीकृति अनुसार सेवा पुस्तिका की प्रविष्टि हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत है।

[signature] 07/03/2006
(रमेशचन्द्र)
सु० लि० प्रथम

[signature] 7/3/06

662
7/3/06

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

कार्यालय आदेश

पत्रांक:– 59 /एक–अधि0/06 दिनांक:– 03/3/06

अनुरक्षित, उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 के पत्र संख्या 1778/आ–5–2005 दिनांक 24 जून, 2005 के साथ संलग्न उ0प्र0 शासन माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ठ) के पत्र संख्या 371/घोषणा/एम0एस0–23 /2005 दिनांक 11–4–2005 के बिन्दु–1 के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण मे कार्यरत प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को वे0आ0–2–315–दस–97–रथा0नि0–3–89 दिनांक 13 फरवरी 1990 के क्रम में संशोधित शासनदेश संख्या वे0आ0–2–182/दस–97–रथा0नि0–3–89 दिनांक 20 फरवरी 1997 के आधार पर समयमान/प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने हेतु कार्यालय आदेश पत्रांक 25/एक–अधि0/2006 दिनांक 27–1–2006 के अन्तर्गत उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 24–1–06 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री महेन्द्र सिंह राठी अवर अभियन्ता ने वेतनमान 485–860 में दिनांक 17–11–84 को कार्यभार ग्रहण किया। शासनादेशानुसार वेतनमान 485–860 के पुनरीक्षित वेतनमान 1400–2300 में श्री महेन्द्र सिंह राठी का दिनांक 1–1–86 के मूल वेतन 1400 निर्धारित किया गया। श्री महेन्द्र सिंह राठी द्वारा अधिवर्षता आयु 58 वर्ष का विकल्प दिये जाने के उपरान्त 10 वर्ष की नियमित सेवा पर दिनांक 17–11–94 को समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु एक वेतन वृद्धि दिये जाने के उपरान्त दिनांक 17–11–94 को मूल वेतन 1760 निर्धारित किया गया।

प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त संदर्भित शासनादेश एवं स्वीकृति के आधार पर समयमान/प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा लागू किये जाने के उपरान्त श्री महेन्द्र सिंह राठी, अवर अभियन्ता को दिनांक 17–11–98 को 14 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त प्रथम प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु वेतनमान 8000–275–13500 में दिनांक 17–11–98 को मूल वेतन 8000 में निर्धारित किये जाने एवं दिनांक 17–11–2003 को 19 वर्ष की सेवा के उपरान्त वेतनमान 8000–275–13500 में समयमान वेतनमान का लाभ दिये जाने हेतु मूल वेतन 9375 के स्तर पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिये जाने की उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 18–2–06 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय के आदेश के अनुपालन में श्री महेन्द्र सिंह राठी का वेतन संलग्न प्रारूप के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 1.2.2006 से नकद भुगतान किया जायेगा। उक्त दिनांक तक की देय अतिशेष धनराशि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते मे सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त कर जमा की जायेगी।

यदि उपरोक्त स्वीकृति के विरूद्ध शासन द्वारा कोई आपत्ति इंगित की जाती है,तब उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप हुए अधिक भुगतान की धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के वेतन से एकमुश्त वसूल कर ली जायेगी।

सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– वित्त नियंत्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण,
2– वैयक्तिगत पत्रावली/ सेवा पुस्तिका हेतु।
3– सम्बन्धित कर्मचारी

3/3/06
सचिव
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

का0आ0संख्या 172 एचओ 06

दिनांक 12-3-06

कार्यालय आदेश

उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 09.03.06 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या वे0आ0--2-560/दस-45(एम)/99 दिनांक 02.12.2000 एवं वे0आ0--2-470ए/दस-2002 ओ0मा0 99 टी सी दिनांक 12.05.05 में निहित शर्तों के प्राविधानों के तहत आगरा विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को समर्थमान/प्रोन्नत वेतनमान इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया है यदि शासन से कोई विपरीत आदेश प्राप्त होते हैं तो इसकी वसूली सम्बन्धित से कर ली जायेगी।

सचिव

प्रतिलिपि :--

1. उपाध्यक्ष महोदय का अवलोकनार्थ ।
2. वित्त नियन्त्रण को सूचनार्थ ।
3. विशेषकार्याधिकारी को सूचनार्थ ।
4. कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
5. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रवाली ।

सचिव

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

पत्रांक [illegible] दिनांक

कार्यालय आदेश

अनुसचिव, उ0प्र0शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 5 के पत्र सं0 1778/आ–5–2005 दिनांक 24 जून, 2005 के साथ संलग्न उ0प्र0शासन माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ठ) के पत्र सं0 371/घोषणा/ एम0एस0–23 /2005 दिनॉक 11.04.2005 के बिन्दु–1 के अन्तर्गत प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचारार्थ एवं परीक्षणार्थ उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनॉक 08–03–2006 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि शासनादेश सं0 वे0आ0–2–182/दस–97–स्था0 नि0–3–89 दिनॉक 20 फरवरी, 1997 के अन्तर्गत स्थानीय निकाय, जिला परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

शासनादेश सं0 2405/9आ–5–98–175ई/97 दिनॉक 13 अगस्त, 1998 प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में विभिन्न पदों का दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के बिन्दु–4 के अन्तर्गत समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा स्थगित कर दी गयी ।

उ0प्र0शासन, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ठ) के पत्र सं0 371/घोषणा/ एम0एस0–23 /2005 दिनॉक 11.04.2005 के बिन्दु 1 के अन्तर्गत समयमान वेतनमान के सम्बन्ध में घोषणा की गयी जिसकी प्रतिलिपि अनु सचिव उ0प्र0शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 के पत्र सं0 1778/आ–9–2005 दिनॉक 24 जून, 2005 द्वारा समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरणों को माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाओं का अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रेषित की गयी ।

अध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण कर्मचारी संगठन के पत्र दिनॉक 01.02.2006 के साथ सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्रांक 447/प्रा0अनु0 /2006 दिनॉक 10.10.2006 एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांकः 25/एफ–अधि0/2006 दिनॉक 27.01.2006 की छाया प्रतियॉ प्रेषित की गयी है जिसके अन्तर्गत गाजियाबाद एवं मेरठ विकास प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा लागू किये जाने एवं उसकी सूचना से शासन से अवगत करा दिया गया है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शासन के पत्र सं0 1778/आ–9–2005 दिनॉक 24 जून, 2005 के साथ संलग्न उ0प्र0शासन माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–3 (घोषणा प्रकोष्ठ) के पत्र सं0 371/घोषणा/ एम0एस0–23/2005 दिनॉक 11.04.2005 के अनुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत प्राधिकरण के पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को संगत शासनादेश संख्या सं0 वे0आ0–2–182/दस–97–स्था0 नि0–3–89 दिनॉक 20 फरवरी, 1997 द्वारा अनुमन्य किए गए समयमान वेतनमान की सुविधा को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0अव9–2–560/दस–45(एम)–99 दिनॉक 02.12.2000 की शर्तो के अनुसार समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा लागू किये जाने की संस्तुत की जाती है एवं समिति यह भी निर्णय लेती है कि इससे शासन को अवगत करा दिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि शासन स्तर से उपरोक्त लाभ दिये जाने के संबंध में विपरीत आदेश पारित किये जाते है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से कटौती कर ली जायेगी। समिति के संस्तुति के आधार पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनॉक 25.03.2006 द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

सचिव
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. वित्त नियंत्रक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अधिकारी–अधिष्ठान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त

अर्द्धशा0प0सं0–वे0आ0–2–183/दस–45(एम)/99
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक :3\जनवरी, 2001

प्रिय महोदय,

स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों तथा विकास प्राधिकरणों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–182/दस–97–स्था0नि0–3–89, दिनांक 20 फरवरी, 1997 द्वारा समयमान वेतनमान का लाभ अनुमन्य किया गया था। शासनादेश संख्या–प0मा0नि0–360/दस–22(एम)/97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था को स्थगित करने विषयक निर्णय के क्रम में स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों में उनके प्रशासकीय विभागों द्वारा भी समयमान वेतनमान के लाभ की सुविधा को स्थगित करने के आदेश किये गये थे। इस विषय में आपको यह सूचित करना है कि राज्य कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–560/दस–45(एम)/99, दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 द्वारा समयमान वेतनमान की व्यवस्था कतिपय संशोधन के साथ पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

2. शासन के उपर्युक्त निर्णय के क्रम में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ निकायों/संस्थाओं के कर्मचारियों के विषय में सम्बन्धित स्थानीय निकाय/संस्था की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पुनरीक्षित वेतनमानों में समयमान वेतनमान का लाभ पुनर्स्थापित करने हेतु आवश्यक आदेश वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए अपने स्तर से निर्गत कराने का कष्ट करें। इस विषय में यह स्पष्ट करना है कि राज्य कर्मचारियों के लिए लागू की गयी समयमान वेतनमान की व्यवस्था स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों के लिये मार्गदर्शी होगी। अतः कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि आपके स्तर से स्वीकृत समयमान वेतनमान सम्बन्धी लाभ राज्य कर्मचारियों के लिये स्वीकृत उपर्युक्त लाभों के अधीन ही

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

(वी0 के0 शर्मा)

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

आवास अनुभाग-6
उ० प्र० शासन

संख्या–वे०आ०–2-182/ दस–97– स्था० नि०-3-89

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ० प्र०,
4–प्राग नारायण रोड, लखनऊ।

(2) निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उ० प्र०, लखनऊ।

(3) समस्त अध्यक्ष,
जिला पंचायतें, उ० प्र०।

(4) समस्त नगर प्रमुख,
नगर महापालिका, उ० प्र०।

(5) समस्त अध्यक्ष,
नगर पालिका/टाउन एरिया कमेटी/ नोटीफाइड एरिया कमेटी, उ० प्र०।

लखनऊः दिनांक 20 फरवरी, 1997

विषयः स्थानीय निकाय, जिला परिषद, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरणों के पूर्णकालिक कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–वे०आ०–2-315/ दस–स्था० नि०-3-89, दिनांक 13 फरवरी, 1990, जहाँ तक इसका संबंध स्थानीय निकाय, जिला परिषद, जल संस्थान तथा विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक सेवा के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान के लाभ से है, के प्रस्तर–3 (9) तथा प्रस्तर-3 (10) को दिनांक 1 मार्च, 1995 से समाप्त करते हुए इसी तिथि अर्थात् 1-3-1995 से ही उक्त कोटि के कर्मचारी जिनके पुनर्रक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500/- तक है, के संबंध में निम्न व्यवस्था लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1–दिनांक 5-11-85 से पूर्व नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित, ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवर्षिता आयु 58 वर्ष हो अथवा जो 58 वर्ष पर अधिवर्षता का विकल्प दें और जिनके पुनर्रक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500/- तक है:–

(क) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो 8 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा 1 मार्च, 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि को संदर्भित पद पर पूर्ण करते हैं, सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनर्रक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले क्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को, जिसे इस लाभ अनुमन्य कराया जाय, 8 वर्ष की सेवा के पश्चात् एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि का लाभ 1 मार्च, 1995 से पूर्व प्राप्त हो चुका है, ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो संबंधित पद पर नियमित हो चुके हैं उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के उक्त लाभ की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है, पदोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देते हुए उनका वेतन उस वेतन के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद नहीं है उनको उस वेतनमान जिसमें वे कार्यरत हैं, से अगला वेतनमान देय होगा। वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा आवश्यक है। सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतनवृद्धि मिल चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी।

(ग) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी जब वह वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 19 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात् उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका है तो 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा। उदाहरणस्वरूप यदि पदधारक को वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान 1 फरवरी, 1992 को मिल चुका था तो 1 फरवरी, 1997 को उक्त व्यवस्था के अधीन एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

(घ) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि से 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नत/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। अर्थात् ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा और ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

2—उपरोक्त कोटि के दिनांक 4 नवम्बर, 1985 के पश्चात् नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित, ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवार्षिता आयु 60 वर्ष है अथवा जो अधिवार्षिता आयु 60 वर्ष बनाये रखने का विकल्प दें और जिनके पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रु० 3500/- तक है :—

(क) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो 10 वर्ष की संतोषजनक अनवरत सेवा 1 मार्च, 1995 को अथवा उसके बाद आगामी तिथि को संबंधित पद पर पूर्ण करते हैं, सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु उनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार प्रत्येक कर्मचारी को, जिसे यह लाभ अनुमन्य कराया जाय, 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में मिलेगा। ऐसे पदधारक जिन्हें पूर्व व्यवस्था के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि का लाभ 1 मार्च, 1995 के पूर्व प्राप्त हो चुका है, ऐसे मामलों में अब लागू की जा रही व्यवस्था के उपरान्त वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) उक्त कोटि के ऐसे कर्मचारी जो संबंधित पद पर नियमित हो चुके हैं उनकी जब 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा सेलेक्शन ग्रेड के उक्त लाभ की सेवा को सम्मिलित करते हुए कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी हो जाती है, पदोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देते हुए उनका वेतन, उस वेतनमान के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए पदोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान जिसमें वे कार्यरत हैं, से अगला वेतनमान देय होगा। वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान देने के लिए सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा आवश्यक है। सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की सेवा गणना हेतु पूर्व में इसके अन्तर्गत यदि एक वेतनवृद्धि मिल चुकी है तो उस वास्तविक दिनांक से गिनी जायेगी।

(ग) उक्त कोटि का प्रत्येक नियमित कर्मचारी जब वह वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रोन्नत/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 21 वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में वेतन उस तिथि को अगले प्रक्रम पर निर्धारित कर दिया जाय अर्थात् उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ उसी वेतनमान में अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 20 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नत वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल गया है तो 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा की गणना में पूर्व में जिस दिनांक से यह लाभ मिला है उसे संज्ञान में लिया जायेगा।

(घ) उक्त कोटि के प्रत्येक नियमित कर्मचारी को प्रोन्नत/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के लाभ की तिथि से 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा तथा कुल 26 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रोन्नत/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। अर्थात् ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध है, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान देय होगा। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

3—उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 1990 उक्त सीमा तक दिनांक 1 मार्च, 1995 से संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

विनोद कुमार मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–वे० आ०–2–182 (1)/दस–97 स्था० नि०–3–89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6— निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ० प्र०, इलाहाबाद।
7— मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त उपाध्यक्ष, निकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
9— समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
10— समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे स्थानीय निकायों के संबंधित अधिकारी को बुलाकर उक्त शासनादेश में वेतन निर्धारण हेतु उल्लिखित समस्त प्राविधानों को पूर्ण [illegible] है तथा इसका निरीक्षण करके भी देखा जाय कि उनका पालन सही प्रकार से किया जा रहा है।

आज्ञा से,
आर० सी० अग्रवाल,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०–129 स्था० वित्त–22-2-97—(1782)—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

संख्या वे०आ०-2-560/दस-45 (एम)-99

श्री एस० सी० मिश्र

प्रेषक,

श्री बी० के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 2 दिसम्बर, 2000

विषय: वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

प्रथम वेतनवृद्धि

1- (1) उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी, जो एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते हैं, उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगला वेतनमान

(2) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत दय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/ कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तों की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतनवृद्धि

(3) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर 1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान/ अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उसे उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से 4 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान

(4) प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

वेतन निर्धारण/ पुनर्निर्धारण

2—(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर (1) तथा 1(3) के अन्तर्गत वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को वेतन अनुमन्य की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् वेतनवृद्धि की तिथि वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न मिलने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहाँ समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि या लाभ मंजूर में कनिष्ठ कर्मचारी की दिनांक 1-1-1996 के पूर्व तथा कनिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर-1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद की तिथि तक अनुमन्य हो गया हो, तो उस दशा में पुनरीक्षित वेतनस्केल में उसका वेतन उस पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदधारक को अनुमन्य पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अलग-अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पदधारक, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुकूली विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिये अर्ह होता है, तो उसे सदृश्य वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे दिनांक 1-1-1996 या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिल रहा था, तो ऐसे पद पर उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से-1 के मूल नियम 22-सी(1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूलनियम 22-डी के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वित्त(वेतन) संख्या-प० मा० नि० 357/दस-21(एस)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर-8(1) तथा प्रस्तर-8(2) निरस्त समझे जायें।

वृद्धिरोध वेतनवृद्धि

3—(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रू० 10500 तक है, जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुँच जायें, तो उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर तीन वेतन वृद्धियों की धनराशि जोड़ कर बढ़ा दिया जाये। यह वेतन वृद्धि सम्बन्धित पदधारक को निर्बाध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के अव्यवहित पश्चात् अनुमन्य की जायेगी। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु सम्बन्धित पदधारक द्वारा पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक, जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रू० 10500 से अधिक है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में अधिक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुपम्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुपम्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुपम्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना जायेगा। तथा मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

4. (1) उपर्युक्त प्रस्तर 1(2) तथा 1(4) में अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुपम्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हों तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुपम्य होगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे, वह वेतनमान अनुपम्य होगा जो शासनादेश संख्या-पत्र सं० वित्त(वे-1)/एस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के संलग्नक-ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुपम्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुपम्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुपम्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा।

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा मार्ग-दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या 761/वित्त-1-93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है। अतः समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुपम्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण शासनादेश दिनांक 30-6-1993 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

(5) किसी अधिकारी/कर्मचारी को वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इंकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात् की तिथि से देय सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुपम्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है।

(5) जिस कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के बाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है, यदि उस कर्मचारी को सेवा अवधि के आधार पर एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य में देय है, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा।

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुपम्य अधिकतम चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नहीं मिलेगा। उसे तत्पश्चात् देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुपम्य होगा।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा। अतः किसी पुनरीक्षित कर्मचारी को यह लाभ अनुपम्य होने पर तत्सम्बन्धित आदेश जारी किये जायें। परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके हैं, उनमें नये पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुपम्य करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

5. ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000-13500 या उससे अधिक है, के लिये समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतनमान में भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक लागू रहेगी। दिनांक 1 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात् ऐसे संवर्गीय वेतनमान के पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश बाद में जारी किये जायेंगे।

अवशेष के भुगतान की प्रक्रिया

6—(1) सम्पादमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-4-2000 से भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से दिनांक 31-3-2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जो दिनांक 31-3-2002 तक निकाली नहीं जा सकेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दे दी जायेगी।

(2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनका देय धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान नकद किया जायेगा।

7—उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिए पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को उपर्युक्तानुसार लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

8—(1) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) शासनादेश संख्या-प०मा०नि०-356/दस-22(एम)-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 का प्रस्तर-4 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 एवं उसके साथ पठित अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,

बी० के० मित्तल,

प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-वे०आ०-2-560/दस-45(एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) मा० सत्यकाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।

(2) रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश उच्चन्यायालय, इलाहाबाद।

(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(4) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।

(5) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार, निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या-वे०आ०-2-560/दस-45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या-वे०आ०-2-560/दस—45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

आर० एस० सिंह,

विशेष सचिव, वित्त।

पी०एस०यू०पी० प्र०पी० 107 सा० वित्त—4-11-2000—(4590)—20,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 6/13 जुलाई, 2006 में प्रस्तुत विषय संख्याः 15 पर गठित उपसमिति की आख्या

सरल शमन योजना–2002 के अन्तर्गत श्री बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल के भवन संख्याः 34ए, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के आवासीय भू–उपयोग को व्यवसायिक/कार्यालय में परिवर्तन के संबंध में गठित उप समिति की आख्या

प्रश्नगत प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांकः 6/13 जनवरी, 2006 में विषय संख्या–15 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विचारोपरान्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई, जिसमें मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. 'सदस्य' तथा मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के 'संयोजक' नामित हैं। उपसमिति से स्थल निरीक्षण के उपरान्त संस्तुतियॉ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा है।

2. प्राधिकरण बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में प्रकरण से संबंधित लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्रावली संख्या–152/प्र.प्र.–3/04 में उपलब्ध सूचनाओं तथा सरल शमन योजना–2002 के प्राविधानों के आधार पर परीक्षण किया गया एवं दिनांकः 24.3.2006 को संयुक्त स्थल निरीक्षण भी किया गया, जिसके कम में समिति की आख्या एवं संस्तुति निम्नवत् है :–

(i) सरल शमन योजना–2002 के अनुसार बेसिक एफ.ए.आर. का अधिकतम 33 प्रतिशत अतिरिक्त तल क्षेत्रफल शमनीय है। प्रश्नगत भूखण्ड का क्षेत्रफल 613 वर्गमीटर है, जिस पर 1.25 बेसिक एफ.ए.आर. के अनुसार 766.25 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल का निर्माण किया जा सकता है तथा शमनीय एफ.ए.आर. 33 प्रतिशत (251.33 वर्गमीटर) सहित कुल 1017.58 वर्गमीटर फ्लोर एरिया (1.66 एफ.ए.आर.) का निर्माण अनुमन्य हो सकता है, जबकि प्रश्नगत भवन में कुल 1562.89 वर्गमी0 (2.12 एफ.ए.आर.) निर्मित है इस प्रकार भवन में निर्मित 445.2 वर्गमीटर तल क्षेत्रफल शमनीय नहीं है।

(ii) सरल शमन योजना के अनुसार अनुमन्य भू–आच्छादन के अतिरिक्त भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 15 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन शमनीय है। प्रश्नगत भूखण्ड आवासीय होने के दृष्टिगत इसके क्षेत्रफल के आधार पर 45 प्रतिशत 275.85 भू–आच्छादन अनुमन्य है, जिसका 15 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन (91.95 वर्गमीटर) सहित कुल 60 प्रतिशत (367080 वर्गमीटर) भू–आच्छादन

शमनीय है, परन्तु निर्मित भवन में भू–आच्छादन 53.05 प्रतिशत (325. 22 वर्गमीटर) है, जो शमनीय सीमा के अन्तर्गत है।

(iii) सरल शमन योजना के प्राविधानों के अनुसार भू–उपयोग के विपरीत किये गये निर्माण में सेटबैक मूल भू–उपयोग हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार होंगे। प्रश्नगत भूखण्ड के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार आगे 6.10 मीटर तथा पीछे 7.62 मीटर और एक साइड में 4.57 मीटर सेटबैक छोड़े जाने चाहिए, जबकि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्मित भवन में आगे 9 मीटर तथा एक साइड में 4 मीटर सेटबैक छोड़ा गया है और पीछे मौके पर कोई सेटबैक उपलब्ध नहीं है।

(iV) सरल शमन योजना के अनुसार भवन में पार्किगं व्यवस्था मानकों के अनुसार उपलब्ध होने के उपरान्त ही अनधिकृत निर्माण शमनीय है। प्रश्नगत भूखण्ड में किये गये निर्माण (व्यवसायिक एवं कार्यालय) के आधार पर 18 कार पार्किगं की व्यवस्था आवश्यक है, जिसके सापेक्ष सेमी–बेसमेंट में 5 तथा भू–तल पर 8 पार्किगं व्यवस्था दर्शाई गई है, जबकि अवशेष पार्किगं की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त मानकों के अनुसार 18 कार पार्किगं के लिये 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता है, परन्तु मानचित्र के अनुसार 298 वर्गमीटर क्षेत्रफल उपलब्ध है। सेमी–बेसमेन्ट में दी गई पार्किगं हेतु मौके पर किये गये निर्माण के अनुसार वाहनों के जाने के लिये रैम्प का प्राविधान नहीं किया गया है।

(V) उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रश्नगत भवन में किये गये अनधिकृत निर्माण का शमन निम्नलिखित बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विचारणीय है:–

(i) भवन में निर्मित अतिरिक्त तल क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.) तथा सेटबैक के अन्तर्गत भू–आच्छादन, जो सरल शमन योजनान्तर्गत शमनीय नहीं है, को आवेदक द्वारा ध्वस्त किया जाना होगा। इसके संबंध में प्राधिकरण की अपेक्षानुसार आवेदक से 'एफीडेविट' लिया जाना होगा।

(ii) पार्किगं हेतु भूखण्ड के परिसर में ही मानकों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी तथा बेसमेन्ट में वाहनों के आने–जाने के लिये न्यूनतम 3.6 मीटर की चौड़ाई का रैम्प जिसका न्यूनतम 1:8 ग्रेडियन्ट का ढ़ाल हो, की व्यवस्था की जानी होगी। इसके अतिरिक्त पार्किगं के लिये ड्राइव–वे, वाहनों के मुड़ने, आदि के स्थान नियमानुसार होने चाहिए।

(ii) पार्किगं हेतु भूखण्ड के परिसर में ही मानकों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी तथा बेसमेन्ट में वाहनों के आने–जाने के लिये न्यूनतम 3.6 मीटर की चौड़ाई का रैम्प जिसका न्यूनतम 1:8 ग्रेडियन्ट का ढ़ाल हो, की व्यवस्था की जानी होगी। इसके अतिरिक्त पार्किगं के लिये ड्राइव–वे, वाहनों के मुड़ने, आदि के स्थान नियमानुसार होने चाहिए।

(iii) प्रश्नगत भवन चूँकि फ्रेम स्ट्रक्चर के अनुसार निर्मित किया गया है, अतः भवन की स्ट्रक्चरल सैफ्टी के संबंध में सुसंगत शासनादेशों के अनुसार आवेदक द्वारा स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

(iV) प्रकरण सरल शमन योजना–2002 के अन्तर्गत आवेदित है जोकि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पारित शासनादेश संख्या–335/9–आ–3–2004–215काम्प/2003 दिनांकः 29.01.2004 के पूर्व का है। प्रकरण का निस्तारण कतिपय कारणों से नहीं हो सका, यदि शासनादेश के पूर्व, शमनित व भू–उपयोग परिवर्तन हो जाता तो वर्तमान में यह परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती। अतः इस प्रकरण का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विचारणीय है।

अतः उपरोक्त आख्या/संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(सी0पी0शर्मा)	(एन0आर0वर्मा)	(सन्तोष कुमार)
मुख्य नगर नियोजक	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	नगर आयुक्त
ल0 वि0 प्रा0	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग	नगर निगम
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ

3.4.2006

ल०वि०प्रा० की बैठक दिनांक 6/13 जुलाई, 2006 में प्रस्तुत विषय संख्याः 30 पर गठित उपसमिति की आख्या

भूखण्ड संख्याः 13, राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक–ए में किये जा रहे उपयोग को लखनऊ महायोजना, 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के क्रम में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में विभागीय आख्या।

प्रश्नगत् प्रकरण लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में विषय सं. 30 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसपर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि मद सं. 25 के अन्तर्गत गठित समिति स्थल निरीक्षण एवं प्रकरण का परीक्षणोपरांत अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें।

2– प्राधिकरण बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में प्रकरण से सम्बन्धित लखनऊ विकास प्राधिकरण की पत्रावली संख्या–252/ए.ए.पी.–1/04 में उपलब्ध सूचनाओं, लखनऊ महायोजना–2021, शमन उपविधि तथा वर्तमान में सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के आधार पर परीक्षणोपरांत आख्या निम्नवत् हैः–

ब्लाक 'ए' के सम्बन्ध में

2.1 प्रस्तावित भूखण्डः– 13 राणा प्रताप मार्ग जिसका नेट क्षेत्रफल 6207.20 वर्गमीटर है, दिनांक 15.6.04 को शमन करने हेतु महायोजना–2001 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन प्रस्तावित किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड की समिति की बैठक दिनांक 09.07.05 में प्रस्तुत प्रकरण जोनिंग रेगुलेशन्स–2001 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने के कारण प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया था क्योंकि तद्समय महायोजना–2021 लागू थी, अतः प्रस्ताव को लखनऊ महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन विचार किया जाना सम्भव था।

2.2 प्रस्तुत प्रकरण में शमन हेतु प्रस्तावित तल को लखनऊ महायोजना, 2001 के जोनिंग रेगुलेशन्स–2021 के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण लखनऊ महायोजना, 2001 के अन्तर्गत कार्यालय उपयोग हेतु स्वीकृत मानचित्र का उल्लंघन है। बेसमेंट तथा अन्य तलों पर कार्यालय के स्थान पर व्यावसायिक(भवन का लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्रफल) भू उपयोग के अन्तर्गत हो रहा है। लखनऊ महायोजना, 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार कार्यालय भू उपयोग में सशर्त (अनुषांगिक उपयोग हेतु) व्यावसायिक उपयोग अनुमन्य है, परन्तु जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत निर्माण हेतु अनुज्ञा भवन निर्माण से पूर्व दी जाती है, स्वीकृत मानचित्र के विचलन जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन नियमित किया जाना अनुमन्य नहीं है।

2.3 पार्किंग के सम्बन्ध में शमन विधि के अनुसार भवन में पार्किंग हेतु स्वीकृत/आरक्षित भूमि पर किया गया निर्माण शमनीय नहीं है। इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में जारी शासनादेश संख्या 355/9–आ–3–2004–45 काम्प/2003, दिनांक 29.01.2000 के अनुसार यह निर्देश दिए गए हैं कि बहुमंजिली इमारतों में पार्किंग के लिये चिन्हित बेसमेन्ट का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिये कदापि न होने पाये और

इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश भी लगाया जाय। अतः प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त शासनादेश के अवलोकन में नीतिगत निर्णय लिया जाना होगा।

ब्लाक 'सी' के सम्बन्ध में

3.0 प्रश्नगत भूखण्ड लखनऊ महायोजना, 2021 में दर्शाये गये भवनों की प्रतिबन्धित ऊँचाई क्षेत्र (लो राइज जोन) के अन्तर्गत स्थित है, जिसमें भवनों की अधिकतम ऊँचाई 12.5 मीटर तक प्रतिबन्धित है। प्रस्तावित भूखण्ड में एक नये ब्लाक "सी" का प्रस्ताव कार्यालय उपयोग हेतु किया गया है, जिसकी ऊँचाई 18.0 मीटर दर्शायी गई है जोकि अनुमन्य सीमा 12.5 मीटर से अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ महायोजना, 2021 में चिन्हित लो राइज जोन क्षेत्र के अन्तर्गत भौतिक वातावरण एवं कियाकलापों में संतुलन एवं सामंजस्य बनाये रखने हेतु भवनो की ऊँचाई प्रतिबन्धित की गई है। अतः किसी भूखण्ड विशेष के हित में महायोजना प्रस्तावो का विचलन औचित्यपूर्ण नहीं है।

3.1 प्रस्तावित भूखण्ड में ब्लाक 'ए', ब्लाक 'बी' तथा ब्लाक "सी" को मिलाकर भूखण्ड का एफ.ए.आर. 1.71 तथा भू–आच्छादन 28.16 प्रस्तावित है, जो भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कार्यालय के लिये अनुमन्य अधिकतम भू–आच्छादन 30 प्रतिशत एवं एफ.ए.आर. 2.0 के अन्तर्गत है।

3.2 प्रश्नगत भूखण्ड के अन्तर्गत प्रस्तावित पार्किंग सेट–बैक क्षेत्र में दर्शाई गई है, जबकि सेट–बैक का क्षेत्र अवरोधमुक्त होना चाहिए ताकि फायर हैजार्ड या अन्य संकट की स्थिति में बचाव कार्य सुविधाजनक रूप से सम्पादित हो सके तथा फायर टेण्डर, आदि को भवन के ब्लाक तक निर्बाध रूप से पहुँचने में कठिनाई न हो।

प्रश्नगत भवन मानचित्र चूंकि कार्यालय भू–उपयोग में कार्यालय हेतु स्वीकृत है, अतः उपरोक्त आख्या के क्रम में भवन के 'ए' ब्लाक के बेसमेंट, भूतल एवं छठवें तल को व्यवसायिक में परिवर्तित किया जाना शमन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्त आख्या प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

6.4.2006

(सी.पी.शर्मा)
मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

6.4.06

(एन.आर.वर्मा)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ.प्र., लखनऊ।

6/4/06

(सन्तोष कुमार)
नगर आयुक्त
लखनऊ नगर निगम,
लखनऊ।

आय - व्ययक

वित्तीय वर्ष

2006-2007



लखनऊ विकास प्राधिकरण

बजट 2006-2007 की विषय सूची

क्र०सं०	विषय विवरण	पृष्ठ संख्या
1-	प्रस्तावना	1-5
2-	वर्ष 2006-07 के बजट का तुलनात्मक सारांश	6
3-	राजस्व /पूंजीगत आय पर संक्षिप्त टिप्पणी	7-10
4-	राजस्व आय	11-12
5-	पूंजीगत आय	13-16
6-	राजस्व/पूंजीगत व्यय पर संक्षिप्त टिप्पणी	17-19
7-	राजस्व व्यय	20-22
8-	पूंजीगत व्यय	23-26
9-	अधिष्ठान/व्यय प्रस्ताव परिशिष्ट	27-28
10-	योजनावार विकास/निर्माण पर व्यय प्रस्ताव परिशिष्ठ	29-35

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

2006-2007

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना

सर्वप्रथम लखनऊ नगर में आवास कार्यों का संचालन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत फरवरी 1960 से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लखनऊ नगर महापालिका के विकास विंग के रूप में, शहर के आवास और विकास कार्यो का संचालन करने लगा। शहर की बढ़ती आबादी के कारण यह अनुभव किया गया कि नगर में विकास और आवास के कार्यो के सुनियोजित ढंग से करने पर ही समस्या को सुलझाना सम्भव होगा। इसके समाधान की दृष्टि से वर्ष 1973 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की रचना की गयी और इसके अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति सं. 3923/37- वि.प्रा. -72 दिनांक 11.9.1974 द्वारा लखनऊ नगर को योजनाबद्ध विकास हेतु विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका (नगर निगम) की सीमा के अन्दर का क्षेत्र तथा महापालिका सीमाओं में 8 किलो मीटर दूरी का क्षेत्र (कन्टोनमेंट एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा जल-थल नभ सेवा हेतु आरक्षित किये गये क्षेत्र छोड़कर) विकासशील सम्मिलित क्षेत्र घोषित किया गया, इस विकासशील क्षेत्र का सुनियोजित ढंग से विकास करने की दृष्टि से लखनऊ विकास प्राधिकरण, की स्थापना शासकीय विज्ञप्ति सं० 2829/37 - 1-स-2 वि.

प्रा. दिनांक 13-9-1974 द्वारा की गयी। इस प्रकार अपने सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ लखनऊ नगर महापालिका से अलग होकर प्राधिकरण एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करने लगा।

1.2 संगठन

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार है:-

1.	आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ	उपाध्यक्ष
3.	नगर आयुक्त, (नगर निगम) लखनऊ	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य (पदेन)
5.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य (पदेन)
6.	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र०	सदस्य (पदेन)
7.	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम,	सदस्य (पदेन)

8. जिलाधिकारी, लखनऊ — सदस्य (पदेन)

9. शासन द्वारा मनोनीत सदस्य

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में विभिन्न पदों पर 1527 अधिकारी तथा कर्मचारी कार्यरत हैं एवं 624 दैनिक वेतन भोगी एवं वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं।

1.3 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-7 के अनुसार प्राधिकरण, का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजनानुसार विकसित करना है। इस प्रयोजन हेतु इसका कार्य निम्न प्रकार हैः-

(1) प्राधिकरण के कार्यो हेतु भूमि तथा अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्यवस्था करना।

(2) विकास/निर्माण कार्य, तथा अन्य सम्बन्धित कार्यो को निष्पादित करना।

(3) जल, बिजली के प्रदाय के सम्बन्ध में योजनाओं को निष्पादित करना।

(4) मल का व्ययन करने और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।

(5) नगर की अवस्थापना सुविधा से सम्बन्धित कार्य।

1-4 कार्य कलाप

उपरोक्त पैरा में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास प्राधिकरण को विशेष रूप से निम्नांकित कार्यवाही करनी पड़ती है।

(1) भूमि अर्जन

(2) भूमि विकास

(3) आवासीय भवनों/दुकानों तथा व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण

(4) मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना

(5) भूमि विकास एवं निर्माण विनियम का पालन सुनिश्चित करना।

(6) शासन के निर्देशों के अनुसार नजूल भूमि तथा सम्पत्ति का प्रबन्ध।

(7) पार्कों का निर्माण/सौन्दर्यीकरण/रख-रखाव तथा वृक्षारोपण।

(8) शासन द्वारा निर्देशित अन्य कार्य।

2006-2007 में प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में, कानपुर रोड़, गोमती नगर, सीतापुर रोड़, जानकीपुरम् विस्तार, हरदोई रोड, शारदा नगर, मानसरोवर तथा गोमती नगर विस्तार योजना इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी योजनायें भी हैं। गोमती नगर योजना के वास्तु खण्ड, विनम्र खण्ड, विजयन्त खण्ड, विभव खण्ड, विक्रान्त खण्ड, विराज खण्ड, विशेष खण्ड, ग्राम पारा योजना, आश्रय विहीन योजना, शारदा नगर, कानपुर रोड, हरदोई रोड, मानसरोवर तथा गोमती नगर विस्तार योजनाओं के विभिन्न खण्डों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि इनके विकास कार्य/भवन निर्माण पूर्ण हो जायें।

1.5 ऋणों के पुर्नभुगतान में एच.डी.एफ.सी. बैंक के ऋणों को पूर्णतया चुका दिया गया है। हड़को ऋण से पूर्ण अवमुक्ति हेतु प्रयास चल रहा है शासकीय ऋण रूपये 1060.58 लाख की वापसी वर्ष 2004-05 में तथा रूपये 3009.97 लाख की वापसी वर्ष 2005-06 में की जा चुकी है।

1.6 वर्ष 2006-2007 हेतु बजट प्रस्ताव योजनावार संकलित करके प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

वर्ष 2005-2006 का वास्तविक एवं वर्ष 2006-2007 के प्राविधानित आय-व्यय का सारांश

(रूपये लाख में)

क्रमांक	मद का विवरण	मूल बजट 2004-05	वास्तविक 2004-05	मूल बजट 2005-06	पुनरीक्षित 2005-06	वास्तविक 2005-06	प्रस्तावित 2006-07
1.	प्रारम्भिक अवशेष	12044.64	12044.64	26398.63	26398.63	26398.63	37089.50
2.	राजस्व आय	3831.00	2519.42	3181.00	3440.00	2567.28	4531.00
3.	पूंजीगत आय	48308.00	41302.32	37422.00	51852.00	65483.23	62448.00
4.	कुल आय (2+3)	52139.00	43821.74	40603.00	55292.00	68050.51	66979.00
	योग (1+4)	**64183.64**	**55866.38**	**67001.63**	**81690.63**	**94449.14**	**104068.50**
5.	राजस्व व्यय	4670.00	4436.73	7859.00	8209.00	7600.43	5110.00
6.	पूंजीगत व्यय	31758.00	25031.02	28566.00	46537.00	49759.21	59110.00
7-	कुल व्यय (5+6)	36428.00	29467.75	36425.00	54746.00	57359.64	64220.00
8.	अन्तिम अवशेष	27755.64	26398.63	30576.63	26944.63	37089.50	39848.50
	योग (7+8)	**64,183.64**	**55866.38**	**67001.63**	**81690.63**	**94449.14**	**104068.50**

(पारस नाथ)
लेखाधिकारी

(डा० मोहन यादव)
वित्त नियंत्रक

(डा० राम विलास यादव)
सचिव

मूल बजट 2006-2007 के राजस्व/पूँजीगत, लेखे पर संक्षिप्त टिप्पणी

आय-पक्ष

राजस्व लेखे की आय पक्ष में आवर्तक मदों से प्राप्त होने वाली आय जमा की जाती है। इस लेखे में प्रमुख मदें विभिन्न किरायों से आय, भवन विभाग से आय विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों से आय तथा पार्कों से आय सम्मिलित है।

किराये की मद में लीज किराया, भवनों, दुकानों के किराये शामिल हैं। इसके प्राविधान पूर्व वित्तीय वर्ष के वास्तविक प्राप्ति, बकाया तथा बजट वर्ष की मांग पर आधारित है। वर्ष 2005-2006 में यह आय रू० 590.00 लाख प्रस्तावित थी जिसके सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रू० 567.65 लाख की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2006-07 में इस मद हेतु रू० 670.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

भवन नियंत्रण विभाग से मानचित्र, समाधान शुल्क, लाइसेंस फीस, विकास तथा मलवा चार्जेज की मदों से आय प्राप्त होती है। वर्ष 2005-2006 में इस मद से आय प्राप्त करने हेतु रू० 950.00 लाख का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रू० 714.79 लाख की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2006-07 में इस मद हेतु रू० 841.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। नई आवास नीति के अंतर्गत 100 मीटर तक भवनों के मानचित्र पारित कराना अनिवार्य नहीं है, परन्तु एल0डी0ए0 के मानक के अनुसार निर्माण करना आवश्यक है।

पूँजी लेखा, विकास प्राधिकरण के लेखों का मुख्य भाग है जिससे भूमि भवन व्यावसायिक केन्द्र की विक्री, शासन एवं संस्थागत ऋणों की प्राप्ति दर्शायी जाती है। इस समय जानकीपुरम् विस्तार, सीतापुर रोड सेक्टर-जे, कानपुर रोड इत्यादि योजनाओं में भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले वर्ष में देय किश्तों की धनराशि पूर्व वर्षों की बकाया धनराशि तथा बजट वर्ष में नई मांग को ध्यान में रख कर प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। इसी प्रकार शारदा नगर योजना, कानपुर रोड योजना, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम् विस्तार योजना विकल्प खण्ड, गोमती नगर विस्तार, मानसरोवर तथा हरदोई रोड योजना इत्यादि में भी कार्य चल रहे हैं तथा अगले वर्ष में भी योजनाबद्ध रूप से कार्य कराये जाने के प्रस्ताव हैं। भूमि/भवन की विक्री की मदों में निम्नवत् रूप से प्राविधान रखे गये हैं।

सम्पत्ति की बिक्री	मूल बजट 2005-06	पुनरीक्षित बजट 2005-06	वास्तविक 2005-06	प्रस्ताव 2006-07
भूमि/भूखण्ड की बिक्री	21000.00	32000.00	38225.61	46000.00
भवनों, दुकानों/किराये की सम्पत्ति की बिक्री	6100.00	4700.00	4532.11	3600.00

उपरांकित प्रस्ताव में पूर्व वर्षो की वास्तविक प्राप्ति को ध्यान में रखा गया है तथा अधिक से अधिक बकाये तथा चालू वर्ष की मांग की वसूली को दृष्टि में रखा गया है। साथ ही साथ शासन से अनुदान तथा डिपाजिट कार्य से प्राप्त आय की मद में वर्ष 2006-2007 में रू0 4993.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

व्यवसायिक भूखण्डों की किस्तें/बिक्री तथा बल्क सेल मद में वर्ष 2005-06 में रू० 17000.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रू० 21486.56 लाख की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2006-07 में इस मद से प्राप्त होने वाली आय रू० 28000.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

भवनों की बिक्री:-

भवनों की किश्तों/बिक्री तथा हायर परचेज से प्राप्त होने वाली आय की मद में वर्ष 2005-2006 हेतु रू0 4000.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रू० 4191.00 लाख की आय प्राप्त हुई है। इस मद हेतु रू० 3000.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

पूँजी लेखे की प्रमुख मद पंजीकरण से प्राप्त होने वाली आय है। वर्ष 2005-2006 हेतु रू0 7700.00 लाख का प्राविधान रखा गया था जिसके सापेक्ष वर्ष वर्ष 2005-06 में रू० 14357.67 लाख की आय प्राप्त हुई है। इस मद से आय प्राप्त करने हेतु रू० 5000.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार वर्ष 2006-2007 में कुल रू० 66979.00 लाख की आय प्राप्ति का अनुमान रखा गया है।

आय पक्ष

राजस्व आय

(रूपये लाख में)

मद क्रमांक		मद का विवरण	मूल वजट 2004-05	वास्तविक 2004-05	मूल वजट 2005-06	पुनरीक्षित 2005-06	वास्तविक 2005-06	प्रस्तावित 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	1-	किराया						
01010		1- समस्त योजनाओं का लीज किराया/फ्री होल्ड शुल्क	800.00	248.74	500.00	500.00	507.17	600.00
01020		2- भवनों/दुकानों/कार्यालय भवनों का किराया	70.00	45.22	70.00	70.00	26.75	40.00
01060		3- सामुदायिक केन्द्रो का किराया	10.00	21.19	20.00	20.00	33.73	30.00
		योग	**880.00**	**315.15**	**590.00**	**590.00**	**567.65**	**670.00**
02	2-	स्टाम्प डियूटी से आय	1000.00	1060.58	1000.00	1000.00	-	2000.00
05100	3-	योजनाओं के वाटर/सीवर चार्जेज	100.00	57.18	50.00	50.00	59.72	60.00
04030	4-	विनियोगों पर व्याज तथा अन्य ब्याज	200.00	36.84	100.00	200.00	70.93	300.00
		योग	**1300.00**	**1154.60**	**1150.00**	**1250.00**	**130.65**	**2360.00**
5-भवन नियंत्रण विभाग से आय								
05010		1- मानचित्र शुल्क	25.00	31.13	25.00	29.00	59.35	50.00
05090		2- लेवी चार्जेज	100.00	55.20	60.00	60.00	75.80	70.00
05020		3- समाधान शुल्क (कम्पाउन्डिंग)	500.00	263.74	500.00	500.00	199.90	500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05030	4-	लाइसेंस शुल्क	1.00	0.49	1.00	1.00	-	1.00
05050	5-	विकास शुल्क/सृदृढ़ीकरण	200.00	80.87	100.00	250.00	255.38	100.00
05060	6-	मलवा चार्जेज	80.00	51.22	60.00	60.00	52.64	60.00
050407	7-	सुपरवीजन चार्ज	75.00	33.12	50.00	50.00	71.72	60.00
		योग	**981.00**	**515.77**	**796.00**	**950.00**	**714.79**	**841.00**
06	6.	विभिन्न प्रपत्रों की बिक्री से आय						
06010		1. फार्म/रजिस्ट्रेशन प्रपत्रों / नक्शे की बिक्री से आय	15.00	12.07	15.00	15.00	10.73	15.00
14	7.	लेकेदार पंजीकरण शुल्क	20.00	9.01	20.00	25.00	54.07	20.00
11	8.	पार्को से आय						
		1. प्राधिकरण पार्को से आय (नजूल पार्क सहित)	75.00	39.40	50.00	50.00	48.74	60.00
		2. अम्बेडकर मैदान से आय	25.00	8.71	25.00	25.00	2.66	25.00
12	9.	हस्तान्तरण शुल्क	35.00	29.29	35.00	35.00	38.28	40.00
09	10.	अन्य आय	500.00	435.42	500.00	500.00	999.71	500.00
		योग	**670.00**	**533.90**	**645.00**	**650.00**	**1154.19**	**660.00**
		महायोग योग	**3831.00**	**2519.42**	**3181.00**	**3440.00**	**2567.28**	**4531.00**

पूंजीगत आय

(रूपये लाख में)

मद क्रमांक		मद का विवरण	मूल वजट 2004-05	वास्तविक 2004-05	मूल वजट 2005-06	पुनरीक्षित 2005-06	वास्तविक 2005-06	प्रस्तावित 2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	1	**शासन से अनुदान**						
53005		1. डा० अम्बेडकर स्मारक (अनुरक्षण)	150.00	-	180.00	180.00	75.00	220.00
53010		2. डा० अम्बेडकर स्मारक	-	-	-	-	-	-
53015		3. रमाबाई अम्बेडकर पर्यटक स्थल	-	-	10.00	10.00	-	300.00
53025		4. डा० अम्बेडकर मैदान	-	-	-	-	-	300.00
53020		5. नजूल पार्को हेतु	25.00	-	25.00	25.00	-	28.00
53040		6. पं०दीनदयाल पार्क अनुरक्षण हेतु		-	10.00	10.00	-	10.00
		7. श्रीमती इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान	-	1000.00	-	3000.00	6049.98	3100.00
		8. जयप्रकाश अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र	-	-	-	-	-	1000.00
		योग	**175.00**	**1000.00**	**225.00**	**3225.00**	**6124.98**	**4958.00**
59	2	**डिपाजिट कार्य**						
59010		1. सी.एस.आई.गोमती नगर	300.00	-	250.00	250.00	-	-
		2. सी.एस.आई. (राजभवन)	-	-	35.00	35.00	-	35.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59040		3. कानपुर रोड योजना में हरिओम आश्रम हेतु	200.00	-	-	-	-	-
59050		4. विकल्प खण्ड गोमती नगर में विशेष सुरक्षा बल हेतु भवनों का निर्माण कार्य	300.00	363.41	370.00	-	-	-
		5. सी.बी.सी.आई.डी.मुख्यालय परिवर्तन कार्य-		-	89.00	89.00	-	-
59030		6. अन्य डिपाजिट कार्य	-	600.00	-	-	16.45	-
		7. सी.एस.आई.भवन अनुरक्षण हेतु	-	-	100.00	100.00	-	-
		8- 100 दसवे का निर्माण हरदोई रोड	85.00	-	-	-	-	-
		योग	**885.00**	**963.41**	**844.00**	**474.00**	**16.45**	**35.00**
50	3	**सम्पत्ति के आवंटन से आय**						
50010		1. आवासीय भूखण्डों की किस्तें एवं बिक्री	12500.00	16094.55	11000.00	15000.00	16739.05	18000.00
50020		2. व्यावसायिक भूखण्डों की बिक्री एवं बल्क सेल	15000.00	11962.37	10000.00	17000.00	21486.56	28000.00
51		3. भवनों की बिक्री/किस्त से आय	8000.00	6114.95	5000.00	4000.00	4191.00	3000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51060		4. व्यावसायिक/दुकानों की किरतें/बिक्री	1000.00	109.39	900.00	500.00	161.15	500.00
51080		5. किराये की सम्पत्ति की बिक्री रो आय	200.00	8.38	200.00	200.00	179.96	100.00
		योग	**36700.00**	**34289.64**	**27100.00**	**36700.00**	**42757.72**	**49600.00**
60	4.	पंजीकरण से आय						
		भूखण्ड/भवन/दुकान	8000.00	3873.66	6500.00	7700.00	14357.67	5000.00
52	**5-**	**भण्डारण की कटौतियॉं**						
52010		1. सीमेंट	200.00	261.37	300.00	300.00	312.78	400.00
52020		2. स्टील तथा अन्य	100.00	69.84	200.00	200.00	201.28	200.00
		योग	**300.00**	**331.21**	**500.00**	**500.00**	**514.06**	**600.00**
57	6-	विविध आय	200.00	793.24	200.00	1200.00	1188.63	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55030	7	**भवन/वाहन अग्रिम वापसी तथा विनियोगों का आहरण**						
55020		1. कर्मचारियों से वाहन ऋण की वापसी	3.00	4.44	3.00	3.00	4.13	5.00
55010		2. कर्मचारियो से भवन ऋण वापसी	45.00	46.72	50.00	50.00	42.32	50.00
55030		3. विनियोगों का आहरण	2000.00	-	2000.00	2000.00	477.27	2000.00
		योग	**2048.00**	**51.16**	**2053.00**	**2053.00**	**523.72**	**2055.00**
		कुल योग	**48308.00**	**41302.32**	**37422.00**	**51852.00**	**65483.23**	**62448.00**

व्यय पक्ष

राजस्व/पूँजीगत लेखे

पूँजीगत लेखा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों का प्रमुख अंश है इस लेखों से प्राधिकरण के कार्य-कलापों की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा उससे सम्बन्धित व्यय सम्पन्न किये जाते हैं। प्रमुख मदों पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत प्रस्तुत है:-

1- भूमि अर्जन:

इस मद से प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की जाती है उसका प्रतिकर भुगतान किया जाता है, प्राधिकरण की स्थापना से वर्ष 2005-2006 तक जिसका निरन्तर भुगतान करने का प्रयास किया जाता रहा है अवशेष प्रतिकर के सम्बन्ध में भुगतान पर अत्यन्त जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2006-2007 में अवशेष तथा गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत नई अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु रू0 12500.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। इस धनराशि के भुगतान करने के लिए प्राधिकरण श्रोतों से भुगतान करने हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

2- मशीनरी एवं संयंत्रों/फर्नीचर का क्रय:-

इस मद में कुल प्राविधान रू0 95.00 लाख वर्ष 2005-2006 में प्रस्तावित था। भारी वाहन क्रय तथा विभागों के समन्वित कम्प्यूटरीकरण एवं फर्नीचर क्रय हेतु इस मद में रू० 65.00 लाख का प्रस्ताव वर्ष 2006-2007 में रखा गया है।

3- योजनाओं के विकास कार्य:-

विभिन्न योजनाओं के विभिन्न खण्डों में तीव्र गति से विकास के कार्य चल रहे हैं जिनमें सड़कों के निर्माण, सीवर बिछाने का कार्य जल व्यवस्था तथा प्रकाश व्यवस्था पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। गोमती नगर में विकल्प, विनीत, विभूति, विपुल, विराट, विराज तथा वास्तु खण्ड तथा गोमती नगर विस्तार योजना इत्यादि में आन्तरिक तथा वाह्य विकास शीघ्रता के साथ पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जायेगा, शारदा नगर के खण्डों, कानपुर रोड़ की मानसरोवर योजना तथा सीतापुर रोड़ में जानकीपुरम् विस्तार योजना सहित, हरदोई रोड़ योजना, सीतापुर रोड सेक्टर-जे तथा अन्य योजनाओं में विकास कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाना है।

वर्ष 2005-2006 में विकास कार्य तथा अनुरक्षण हेतु रू० 19349.00 लाख तथा डा० राम मनोहर लोहिया पार्क के विकास/निर्माण हेतु रू० 3000.00 लाख का प्राविधान रखा गया था जिसके सापेक्ष क्रमशः रू० 10458.71 तथा रू० 2938.38 लाख का वर्ष 2005-06 में व्यय हुआ है। वर्ष 2006-07 में विकास/अनुरक्षण कार्य हेतु रू० 24960.00 लाख तथा इसके अतिरिक्त बाढ़ सुरक्षा हेतु रूपया 1000.00 लाख के व्यय का प्रस्ताव रखा गया है।

सामान्य योजनाओं में विकास कार्यो के अतिरिक्त, योजनाओं तथा अन्य स्थानों पर मनोरंजन स्थल, सौन्दर्यीकरण, पार्को का विकास करने के उद्देश्य से तथा निकटवर्ती ग्रामों के विकास इत्यादि हेतु प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास के लिए अवस्थापना निधि से कार्य कराये जाने हेतु रू0 1500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

4- भवन निर्माण:-

इस समय प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् विस्तार, सीतापुर रोड सेक्टर-जे ग्राम पारा कानपुर रोड तथा अन्य योजनाओं में भवन निर्माणाधीन है।

भवनों के निर्माण हेतु रू0 1033.00 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया था भवन निर्माण के अतिरिक्त दुकानों तथा सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु रू0 675.00 लाख तथा प्राधिकरण भवन निर्माण हेतु रू0 150.00 लाख अन्य निर्माण कार्यो हेतु रू0 155.00 लाख, इस प्रकार निर्माण कार्यो हेतु कुल रू0 2013.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया था जिसके सापेक्ष वर्ष 2005-06 में रू० 467.07 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2006-07 में निर्माण कार्य हेतु रू० 4300.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

प्राधिकरण अपनी योजनाओं के विकास कार्य एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त शासन तथा अन्य संस्थाओं के निर्माण कार्यो को भी करती है इस हेतु डिपाजिट कार्यो को भी बजट में प्राविधानित किया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, संत गाडगे जी महाराज पार्क, विकल्प खण्ड में पुलिस विभाग हेतु भवन निर्माण तथा अन्य डिपाजिट कार्यो हेतु रू0 7535.00 लाख का व्यय वर्ष 2006-07 में प्राविधानित किया गया है।

भवन सामग्री क्रय हेतु रू0 1500.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। प्राधिकरण को हुड़को से प्राप्त ऋणों पर ब्याज के रूप में भुगतान करना होता है अतः इस मद हेतु रू0 50.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

इस प्रकार राजस्व तथा पूँजीगत लेखा में रू0 64220.00 लाख का व्यय प्राविधानित है। प्राधिकरण कृपया वर्ष 2005-2006 का वास्तविक तथा वर्ष 2006-2007 का प्रस्तावित बजट पारित करने का कष्ट करें।

व्यय पक्ष

राजस्व व्यय

(रूपये लाख में)

मद क्रमांक	मद का विवरण	मूल बजट 2004-05	वास्तविक 2004-05	मूल बजट 2005-06	पुनरीक्षित 2005-06	वास्तविक 2005-06	प्रस्तावित 2006-07
1	2 3	4	5	6	7	8	9
24	1- अधिष्ठान के वेतन भत्ते	2259.00	2209.20	2633.00	2648.00	2326.70	2790.00
26	2- मशीनरी संयंत्र, वाहन मरम्मत/ पेट्रोल/डीजल पर व्यय						
26010	1. वाहन/मशीन अन्य मरम्मत	60.00	76.96	80.00	87.00	103.76	80.00
26020	2. पेट्रोल/ईधन पर व्यय	120.00	162.81	150.00	200.00	207.48	200.00
25040	3. कानूनी व्यय	40.00	42.94	50.00	50.00	90.63	50.00
25010	4. स्टेशनरी/प्रिंटिंग	90 00	125.33	110.00	110.00	112.70	105.00
25060	5. वर्दी	7.00	-	8.00	10.00	9.84	2.00
25070	6. टेलीफोन	25.00	33.63	25.00	25.00	28.92	25 00
25090	7. बिजली	400.00	442.20	400.00	400.00	310.37	350.00
25100	8. विज्ञापन	260.00	319.03	300.00	300.00	318.01	300.00
25190	9. स्थानीय गृहकर एवं जलकर	15.00	3.45	15.00	30.00	27.98	20.00
25230	10. उपाध्यक्ष विवेकाधीन कोष	5.00	1.20	5.00	5 00	2.30	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25130		11. जलपान व्यय	15.00	13.02	15.00	10.00	7.55	10.00
25160		12. आडिट फीस	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	100.00
25210		13. सामान्य स्टोर क्रय	15.00	28.95	20.00	20.00	37.95	30.00
25180		14. पुस्तकालय पत्रिका	1.00	0.31	1.00	1.00	0.15	1.00
25240		15. मानदेय	10.00	18.94	10.00	30.00	30.35	15.00
25170		16. क्रीडा/प्रतियोगिताओं हेतु	4.00	2.25	2.00	2.00	2.18	2.00
25250		17. बैंक/शासकीय गारन्टी कमीशन	2.00	-	2.00	2.00	-	1.00
27		18. कार्यालय भवन का रख–रखाव (विद्युत अनुरक्षण सहित)	80.00	65.40	100.00	100.00	111.40	100.00
27010		19. आवासीय भवन/दुकानों का रख–रखाव	5.00	1.72	1.00	2.00	1.94	2.00
27020		20. सा0 केन्द्र का रख–रखाव	2.00	0.24	2.00	2.00	0.94	2.00
27050		21. योजनाओं में सीवरेज/जल सम्पूर्ति संचालन एवं रख–रखाव	30.00	7.04	20.00	20.00	19.95	20.00
27060		22. हाट मिक्स प्लान्ट का रख–रखाव	30.00	5.20	25.00	50.00	9.07	10.00
25110		23. कम्प्यूटर आदि का रख–रखाव	10.00	15.78	10.00	10.00	18.14	20.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25111	24. कम्प्यूटर संचालन तथा पर व्यय	-	-	50.00	50.00	30.04	25.00	
27030	25. पार्कों के रख–रखाव पर व्यय	140.00	172.66	200.00	200.00	206.41	200.00	
27040	26. अम्बेडकर मैदान का रख–रखाव	20.00	37.13	25.00	25.00	27.88	25.00	
33	27. सर्वे कार्य पर व्यय	50.00	19.11	30.00	50.00	36.00	50.00	
25220	28. विविध व्यय	300.00	513.86	300.00	500.00	497.58	500.00	
	29. अर्नेस्ट मनी (ठेकेदारों को) वापसी	20.00	12.49	10.00	10.00	8.02	10.00	
	30. सामुदायिक केन्द्र की जमानत वापसी	5.00	5.88	10.00	10.00	5.49	10.00	
	3. ऋणों पर देय ब्याज की वापसी							
32010	1. शासन	500.00	-	3000.00	3000.00	2910.70	-	
32020	2. हुडको	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00	
	योग-	**4670.00**	**4436.73**	**7859.00**	**8209.00**	**7600.43**	**5110.00**	

पूंजीगत व्यय

(रूपये लाख में)

मद क्रमांक	मद का विवरण	मूल बजट 2004-05	वास्तविक 2004-05	मूल बजट 2005-06	पुनरीक्षित 2005-06	वास्तविक 2005-06	प्रस्तावित 2006-07
1	2 3	4	5	6	7	8	9
70	1. भूमि का प्रतिकर						
	अध्यापित द्वारा	8000.00	889.57	8000.00	10000.00	10798.17	12500.00
	योग	**8000.00**	**889.57**	**8000.00**	**10000.00**	**10798.17**	**12500.00**
71	2. अचल सम्पत्ति पर व्यय						
71010	1- मशीनरी संयंत्र/भारी वाहनों का क्रय	100.00	67.73	55.00	55.00	35.95	50.00
71030	2- विभिन्न विभागों हेतु कम्प्यूटर क्रय	20.00	32.77	20.00	20.00	8.45	5.00
71040	3- फर्नीचर	20.00	16.82	20.00	20.00	20.60	10.00
	योग	**140.00**	**117.32**	**95.00**	**95.00**	**65.00**	**65.00**
72	3. भूमि विकास पर व्यय						
	1- योजनावार (परिशिष्ट–क)	12518.00	7893.58	10440.00	17340.00	9897.36	24426.00
72017	2- बाढ सुरक्षा हेतु	2150.00	168.00	1500.00	1500.00	127.74	1000.00
72435	3- डा० राम मनोहर लोहिया पार्क	1500.00	2925.37	2500.00	3000.00	2938.38	-
	योग	**16168.00**	**10986.95**	**14440.00**	**21840.00**	**12963.48**	**25426.00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	4-	योजना अनुरक्षण पर व्यय	415.00	614.39	396.00	509.00	433.61	534.00
		योग	**415.00**	**614.39**	**396.00**	**509.00**	**433.61**	**534.00**
73	5.	निर्माण पर व्यय						
		योजनावार (परिशिष्ट–ख)	1910.00	327.96	1100.00	2013.00	467.07	4300.00
		योग	**1910.00**	**327.96**	**1100.00**	**2013.00**	**467.07**	**4300.00**
74	6.	भण्डार व्यय						
74010		1. सीमेंट	275.00	285.87	300.00	400.00	408.94	500.00
74020		2- स्टील/पाइप आदि	650.00	553.32	700.00	800.00	783.53	1000.00
		योग	**925.00**	**839.19**	**1000.00**	**1200.00**	**1192.47**	**1500.00**
76	7.	ऋणों का प्रतिदान						
76010		1 शासन	1000.00	1060.58	1000.00	100.00	99.27	-
		योग	**1000.00**	**1060.58**	**1000.00**	**100.00**	**99.27**	**-**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8.	डिपाजिट वर्क						
31010	1.	सी0एस0आई० गोमती नगर	200.00	45.09	-	-	-	-
31030	2-	अन्य डिपाजिट कार्य	-	502.93	5.00	5.00	-	15.00
31120	3-	विकल्प खण्ड गोमती नगर में विशेष सुरक्षा बल हेतु भवनों का निर्माण।	400.00	125.84	291.00	291.00	101.61	200.00
31150	4-	कानपुर रोड योजना में हरिओम आश्रम हेतु भवनो का निर्माण	200.00	-	-	-	-	-
	5-	सी०बी०सी०आई०डी० मुख्यालय हेतु परिवर्तन कार्य	-	-	89.00	89.00	5.86	-
31190	6-	सी०एस०आई०भवन अनुरक्षण हेतु	-	-	100.00	100.00	6.44	-
31090	7.	डा० भीमराव अम्बेडकर अर्न्तराष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन पुस्तकालय एवं संग्रहालय	-	-	-	-	-	-
31020	8-	डा० अम्बेडकर स्मारक	-	27.99	-	-	0.60	
31100	9-	डा० अम्बेडकर स्मारक (अनुरक्षण)	150.00	-	180.00	180.00	14.32	220.00
31040	10-	जयप्रकाश अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र	-	-	-	-	-	1000.00
31060	11-	पं0 दीन दयाल पार्क	-	-	10.00	10.00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31130		12- डा० भीमराव अम्बेडकर रैली मैदान	-	16.44	-	-	-	-
31080		13- कैसरबाग/हेरीटेज जोन	-	-	-	25.00	23.09	-
		14- रमाबाई पर्यटक स्थल अनुरक्षण	-	-	10.00	10.00	-	-
31180		15- श्रीमती इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान	-	1179.46	-	3000.00	3000.28	6100.00
		योग	**950.00**	**1897.75**	**685.00**	**3710.00**	**3152.20**	**7535.00**
28	8.	जमा धन/पंजीकरण की वापसी	1000.00	2232.98	1500.00	5000.00	5832.42	5000.00
75	9.	भवन/वाहन अग्रिम	50.00	47.11	50.00	50.00	18.94	50.00
80	10.	सावधि जमा/पुर्न विनियोजन	1000.00	5817.06	1000.00	1000.00	13711.88	2000.00
79	11.	अन्य व्यय	200.00	200.16	200.00	1020.00	1024.70	200.00
		योग	**2250.00**	**8297.31**	**2750.00**	**7070.00**	**20587.94**	**7250.00**
		कुल योग	**31758.00**	**25031.02**	**28566.00**	**46537.00**	**49759.21**	**59110.00**

वर्ष 2006-2007 में अधिष्ठान पर व्यय प्रस्ताव

(रूपये लाख में)

बजट कोड	क्र०सं०	विभाग का नाम	धनराशि
1	2	3	4
24050	1.	लेखा विभाग	76.00
24070	2.	अर्जन विभाग	35.50
24110	3.	भवन विभाग	107.37
24410	4.	चौकीदार विभाग	160.91
24160	5.	कामर्शियल विभाग	16.83
24200	6.	कास्टिंग विभाग	32.18
24100	7.	मुख्य अभियंता एवं अभियंत्रण विभाग	609.78
24201	8.	कम्प्यूटर विभाग	58.60
24270	9.	विद्युत यांत्रिक विभाग	70.39
24010	10.	अध्ष्ठिान विभाग	137.78
24280	11.	हाट मिक्स प्लान्ट ड्राइवर	62.93
24020	12.	विधि विभाग	36.43
24040	13.	नगर महापालिका ट्रिब्यूनल	14.17
24230	14.	नजूल विभाग	71.93
24250	15.	प्लानिंग विभाग	34.91
24170	16.	पुलिस विभाग	44.37
24030	17.	जन सम्पर्क विभाग	27.96

1	2	3	4
24060	18.	सम्पत्ति विभाग गोमती नगर	106.91
24061	19.	सम्पत्ति विभाग कानपुर रोड योजना/रायबरेली, हरदोई रोड योजना	88.25
24180	20.	रेण्ट विभाग	21.95
24307	21.	सफाई कर्मचारी विभाग	38.29
24210	22.	उद्यान नजूल विभाग	45.15
24296	23.	उद्यान सामान्य विभाग	203.99
24330	24.	विहित प्राधिकारी विभाग	11.94
24340	25.	उपाध्यक्ष कार्यालय	6.76
24260	26.	वर्कचार्ज कर्मचारी	303.64
24140	27.	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी	94.76
24304	28.	संविदा कर्मचारी/अधिवक्ता/चिकित्सक	8.32
24150	29.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50.00
24305	30.	पेंशन अंशदान	200.00
24310	31.	सामूहिक बीमा अंशदान	4.00
24325	32.	कर्मचारी कल्याण कोष अंशदान	6.00
25030	33	यात्रा भत्तं व्यय	2.00
		योग	2790.00

वर्ष 2006-2007 में विकास कार्यों तथा अनुरक्षण पर व्यय प्रस्ताव

(परिशिष्ट-क)

(रूपये लाख में)

बजट कोड	क्रम सं०	योजना का नाम	भूमि विकास सड़क निर्माण	मल, नाली जलोत्सारण	जल सम्पूर्ति	पार्क	विद्युतीकरण	गांवों का विकास	विकसित कायों का रख-रखाव	योग
			72010	72020	72024	72025	72021	72029	81020	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11
G-1008	1.	विनम्र खण्ड	30.00	10.00	5.00	5.00	10.00	-	-	60.00
G-1003	2.	वास्तु खण्ड	50.00	5.00	5.00	5.00	10.00	-	-	75.00
G-1018	3.	विशेष खण्ड	35.00	10.00	2.00	5.00	10.00	-	6.00	68.00
G-1016	4.	विराट खण्ड	25.00	-	-	2.00	5.00	-	20.00	52.00
G-1014	5.	विराज खण्ड	150.00	70.00	50.00	50.00	200.00	15.00	10.00	545.00
G-1010	6.	विनीत खण्ड	70.00	30.00	15.00	5.00	10.00	5.00	30.00	165.00
G-1006	7.	विजयन्त खण्ड	120.00	10.00	5.00	2.00	-	-	10.00	147.00
G-1020	8.	विक्रान्त खण्ड	150.00	10.00	5.00	5.00	-	-	9.00	179.00
G-1004	9.	विभूति खण्ड	300.00	100.00	5.00	15.00	50.00	-	25.00	495.00
G-1002	10.	विभव खण्ड	100.00	5.00	25.00	10.00	15.00	5.00	10.00	170.00
G-1022	11.	विकल्प खण्ड	80.00	-	20.00	5.00	100.00	-	-	205.00
M-1001	12.	व्योग	300.00	100.00	50.00	50.00	50.00	-	-	550.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11
G-1028	13.	गोमती नगर विस्तार / वाह्य विकास	1500.00	1500.00	500.00	-	200.00	50.00	-	3750.00
M-1001	14.	मानसरोवर	500.00	1000.00	100.00	50.00	100.00	20.00	30.00	1800.00
G-1025	15.	गोमती नगर/वाह्य विकास	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
G-1026	16.	गोमती नगर विस्तार	1300.00	700.00	300.00	200.00	200.00	50.00	-	2750.00
S-1016	17.	शारदा नगर	500.00	100.00	25.00	50.00	20.00	20.00	30.00	745.00
T-1001	18.	ट्रान्सपोर्ट नगर	500.00	30.00	25.00	-	20.00	20.00	10.00	605.00
K-1017	19.	कानपुर रोड	1000.00	300.00	100.00	1000.00	30.00	50.00	50.00	2530.00
	20.	G-1019, G-1005, G-1017 विश्वास, विजय, विशाल G-1007, G-1015, G-1009 विकास, विराम, विनय G-1027, 1013 विवेक, विपुल खण्ड	50.00	-	20.00	25.00	10.00	-	100.00	205.00
S-1013	21.	सीतापुर रोड	40.00	100.00	40.00	30.00	-	100.00	50.00	360.00
S-1017	22.	सीतापुर रोड सेक्टर–जे	100.00	50.00	40.00	30.00	50.00	10.00	10.00	290.00
S-1003	23.	प्रियदर्शिनी योजना	100.00	50.00	10.00	10.00	-	20.00	20.00	210.00
S-1002	24.	जानकीपुरम् विस्तार	400.00	500.00	100.00	50.00	100.00	50.00	20.00	1220.00
H-1000	25.	हरदोई रोड	600.00	350.00	100.00	100.00	300.00	20.00	20.00	1490.00
G-1029	26.	घसियारी मण्डी	5.00	1.00	4.00	-	-	-	-	10.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11
C-1004	27.	कैटिल कालोनी	10.00	10.00	5.00	-	-	-	2.00	27.00
S-1001	28.	रिन्डेरा डम्प	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00
O-1000	29.	पुराना आर०टी०ओ०	5.00	5.00	2.00	-	5.00	-	5.00	22.00
A-1019	30.	आजाद नगर	10.00	7.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	33.00
G-1029	31.	ग्राम पारा	20.00	-	-	5.00	5.00	-	-	30.00
N-1002	32.	नन्दा खेड़ा	3.00	3.00	2.00	-	-	-	-	8.00
A-0001	33.	अलीगंज	30.00	10.00	-	5.00	-	-	20.00	65.00
T-1000	34.	टिकैतराय	15.00	10.00	5.00	5.00	1.00	-	2.00	38.00
G-1001	35.	नेहरू इन्क्लेव	-		30.00	-	-	-	20.00	50.00
R-1000	36.	राम नगर	15.00	5.00	2.00	2.00	2.00	-	-	26.00
G-1027	37.	विपिन खण्ड	25.00	10.00	2.00	-	5.00	-	5.00	47.00
O-1010	38.	अन्य योजनायें	50.00	20.00	-	-	10.00	-	10.00	90.00
S-1015	39.	रतन खण्ड	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	1000.00
		योग	**8988.00**	**5211.00**	**1701.00**	**1823.00**	**1620.00**	**440.00**	**534.00**	**20317.00**

कोड सं०	क्रम सं०	विवरण	योग रू०	20317.00	लाख
72026	1.	योजनाओं का नगर निगम को हस्तान्तरण		300.00	
72035	2.	कुडियाघाट तट विकास (प्राधिकरण द्वारा)		30.00	
72036	3.	सूरज कुण्ड पार्क		15.00	
72032	4.	33 के०वी० लाईन सिफ्टिंग का कार्य।		50.00	
72031	5.	स्ट्रीट लाइट गोमती नगर, कानपुर रोड शारदा नगर, जानकीपुरम् विस्तार एवं अन्य योजनाएं		100.00	
72439	6.	वि०/यां० द्वारा सड़कों का रख–रखाव		200.00	
72450	7.	क्लब बिल्डिंग बसन्त कुंज का निर्माण कार्य		25.00	
72451	8.	इंस्टीट्यूशनल/कामर्शियल बसन्त कुंज योजना		25.00	
72452	9.	रोड साइनेज		20.00	
72030	10.	विकासदीप का समस्त अनुरक्षण		15.00	
72443	11.	गोमती तटबन्ध		1500.00	
72470	12.	जमुना झील का विकास कार्य		25.00	
72037	13.	अलीगंज सम्पवेल		30.00	
72453	14.	अवध अपार्टमेंट का रखरखाव		20.00	
72038	15.	अलीगंज स्टेडियम का विकास कार्य		20.00	
72041	16.	लाप्लास में फायर फाइटिंग		30.00	

72039	17.	कुड़ियाघाट में विद्युतीकरण का कार्य	20.00
72016	18.	महानगर योजना में सीवरेज पम्प संचालन	3.00
72040	19.	रेन हार्वेस्टिंग	75.00
72015	20.	योजनाओं में वि0/यां0 द्वारा जल सम्पूर्ति/सीवरेज कार्य	50.00
72028	21.	नलकूपों का जल संस्थान को हस्तान्तरण	200.00
85	22.	अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु	1500.00
72433	23.	विभिन्न योजनाओं में क्लोरीनेशन	20.00
72454	24.	प्राधिकरण भवन का विकास कार्य	50.00
72455	25.	नजूल पार्कों का विद्युत अनुरक्षण	20.00
72457	26.	वृक्षारोपण कार्य	300.00
		योग	4643.00
		महायोग (योजनावार विकसित कार्यों के अनुरक्षण सहित)	24960.00

85 **अवस्थापना निधि के अग्रिम कार्य**

85001	1	कुड़ियाघाट परियोजना	300.00 लाख
85002	2	शहर में पार्किंग विकास	50.00 लाख
85003	3	डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क गोमती नगर	231.00 लाख
85004	4	डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क चौक	75.00 लाख
85005	5.	सन्त गाडगे जी महाराज पार्क	500.00 लाख
85006	6.	अन्य कार्य	344.00 लाख
		योग	1500.00 लाख

वर्ष 2006-07 में निर्माण कार्यो पर व्यय प्रस्ताव

(परिशिष्ट-ख)

(रूपये लाख में)

	क्रम सं०	योजना का नाम	विभिन्न श्रेणी के भवन 73070	दुर्बल आय वर्ग 73050	आश्रय हीन भवन 73080	व्यवसायिक केन्द्र 73060	सामुदायिक केन्द्र 73160	योग
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
G-1015	1.	गोमती नगर विस्तार	-	-	200.00	-	-	200.00
S-1002	2.	जानकीपुरम विस्तार	-	-	-	-	50.00	50.00
S-1017	3.	हरदोई रोड योजना	-	100.00	50.00	-	-	150.00
G-1028	4.	सीतापुर रोड योजना	-	40.00	-	-	-	40.00
S-1003	5.	प्रियदर्शिनी	-	-	-	-	50.00	50.00
A-1020	6.	अवध अपार्टमेंट	600.00	-	-	-	-	600.00
M-1001	7.	मानसरोवर	1000.00	-	-	300.00	-	1300.00
G-1001	8.	नेहरू इन्क्लेव	50.00	-	-	25.00	-	75.00
G-1016	9.	विनीत खण्ड	-	-	-	-	25.00	25.00
S-1016	10.	विराट खण्ड	-	-	-	-	50.00	50.00
K-1017	11.	कानपुर रोड	-	-	-	800.00	300.00	1100.00
G-1029	12.	घसियारी मण्डी	50.00	-	-	-	-	50.00

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
G-1030	13.	पारा	-	50.00	-	-	-	50.00
G-1016	14.	शारदा नगर	-	200.00	-	-	50.00	250.00
G-1014	15.	विराज खण्ड	-	-	5.00	-	-	5.00
		योग	1700.00	390.00	255.00	1125.00	525.00	3995.00

क्रम सं०	विवरण		रू० 3995.00	लाख
73250	1.	प्राधिकरण भवन निर्माण	50.00	"
73253	2.	प्राधिकरण भवन का विद्युतीकरण	50.00	"
73260	3.	प्राधिकरण स्टेडियम, अलीगंज/विनय खण्ड	20.00	"
73280	4.	हरदोई रोड योजना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट	100.00	"
73300	5.	जानकीपुरम विस्तार, पम्प हाउस	5.00	"
73310	6.	अमृतलाल नागर सभागार	20.00	"
73330	7.	प्रियदर्शिनी सेक्टर से सीवेज पम्पिंग स्टेशन	50.00	"
73340	8.	वजीर हसन योजना के भवन	10.00	"
		योग	305.00	लाख
		महायोग	रू0 4300.00	लाख

118

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02 मई, 2006 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री राकेश कुमार मित्तल	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री के.एल.मीना	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
3.	श्री बी0बी0सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4.	श्री राम गणेश	जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी,लखनऊ।
5.	श्री वी.पी.सिंह	नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम।
6.	श्री ओम नारायण,	निदेशक, कोषागार।
7.	श्री एन.आर.वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
8.	श्री पी.के.जैन	मुख्य अभियन्ता, जलनिगम,
09.	श्री सी.एन.हार्डी	मुख्य वास्तुविद,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,लखनऊ।
10.	श्री एल.एस.पी.सिंह	पर्यटक अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11.	डा. फिदा हुसैन अंसारी	सदस्य, ल.वि.प्रा.।

अन्य उपस्थितिः

12.	श्री राम बिलास यादव	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
13.	श्री एस.डी.दोहरे	अपर सचिव, ल.वि.प्रा.।
14.	श्री सी0पी0शर्मा	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
15.	डा. मोहन यादव	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
16.	श्री दवनराम यादव	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

नवागन्तुक सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण श्री राम बिलास यादव के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णयः — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया। मुख्य नगर नियोजक व्दारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी, 2006 के प्रस्ताव संख्या : 15 एवं 30 पर गठित उपसमिति की आख्या अवलोनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत की जा रही है परन्तु प्रस्ताव संख्या : 25 एवं 28 के सम्बन्ध में उपसमिति की आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

विषय संख्या : 3	कानपुर रोड योजना भाग–1,2,3 व 4 में बेल्टिंग/गडढे. हेतु अभिनिर्णय में प्रस्तावित कटौतियों में छूट प्रदान करने तथा कानपुर रोड योजना भाग–3 हेतु समझौते से अतिरिक्त धनराशि भुगतान करने के सम्बन्ध में परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि।
निर्णय :	परिचालन व्दारा पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
विषय संख्या : 4	वर्ष 2005–06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006–07 का मूल आय–व्ययक।
निर्णय :	वित्तीय वर्ष 2005–06 का वास्तविक तथा वर्ष 2006–07 का मूल आय–व्ययक सचिव व्दारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त नियन्त्रक व्दारा आय–व्ययक के विभिन्न मदों में किये गये प्राविधानों तथा उपलब्धियों का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2005–2006 में प्राधिकरण व्दारा अर्जित आय में की गई उपलब्धियों पर उपस्थित सदस्यों व्दारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से वर्ष 2005–06 के वास्तविक तथा 2006–07 का मूल आय–व्ययक अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 5	जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, गोमती नगर से सम्बन्धित प्रस्ताव।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकनोपरान्त संज्ञान में लिया गया।
विषय संख्या : 6	डा. राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम औरंगाबाद खालसा की 82.74 एकड़ भूमि का भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त आवासीय से व्यवसायिक में भू–उपयोग परिवर्तित किये जाने की संस्तुति की गयी एवं प्रस्ताव अविलम्ब शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 7 गोमती नगर योजना के विपिन खण्ड में डा. राम मनोहर लोहिया पार्क परियोजना।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव को अवलोकित कर संज्ञान में लिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

विषय संख्या : 8 गोमती नगर विस्तार योजना भाग–2 हेतु भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 9 सीतापुर रोड एवं गोमती नदी के मध्य स्थित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव।

निर्णय : भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 10 कानपुर रोड, शारदा नगर, आशियाना,एल्डिको, मानसरोवर आदि योजनाओं के सीवर डिस्पोजल हेतु सम्पवेल तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु 40 एकड़ भूमि नेगोशियेशन के आधार पर अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त मुख्य अभियन्ता, सभी जोन, जल निगम, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक समिति गठित की गई जो प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं का अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त अपनी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

विषय संख्या : 11 कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा सेक्टर डी–1 में साइट ऐण्ड सर्विसेज–।।। में ग्रीनबेल्ट की भूमि पर आवन्टित भूखण्डों के कारण स्थल का भू–प्रयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नांकित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :

1. सचिव, ल.वि.प्रा.,
2. मुख्य अभियन्ता, ल.वि.प्रा.,
3. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त समिति व्दारा प्रस्ताव में प्रस्तुत अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह भी परीक्षण किया जायेगा कि ग्रीन बेल्ट में भूखण्डों के सृजन एवं आवन्टन हेतु कौन–कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं।

विषय संख्या : 12 कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'जी' में आशियाना पावर हाउस चौराहे के पास रिक्त पड़ी निष्प्रयोजित सुलभ शौचालय की भूमि पर छोटे व्यवसायिक भूखण्ड नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त भू–उपयोग सार्वजनिक शौचालय से व्यवसायिक में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत स्थल के आधे भाग पर सामुदायिक केन्द्र एवं शेष भाग पर कनवीनियेन्ट शाप्स बनाई जायें। यह भी ध्यान रखा जाये कि दोनों के प्रवेश व्दार अलग–अलग रहें।

विषय संख्या : 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत नियमित चालकों को आवास विकास परिषद की भॉति हैवी ड्युटी एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 14 बैडमिन्टन अकादमी को गोमती नगर योजना के विजयन्त खण्ड में आवन्टित प्ले–फील्ड की भूमि का भू–उपयोग प्ले–फील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिन्टन एकाडमी के मानको के आधार पर निर्माण अनुमन्य करते हुए, बढ़े हुए भू–भाग की स्वीकृति प्रदान की गई। जोनिंग प्राविधानों में निर्धारित मानक से अधिक भू–आच्छादन की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। अगर शासन स्तर से भू–आच्छादन निर्धारित मानक से अधिक किया जाना सम्भव न हो तो प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग प्लेफील्ड से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का भी निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 15 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।

विषय संख्या : 16 ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 15 '' सरल शमन योजना–2002 के अन्तर्गत श्री बृजेन्द्र कुमार अग्रवाल के भवन संख्या : 34 ए, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के आवासीय भू–उपयोग को व्यवसायिक/कार्यालय में परिवर्तन के सम्बन्ध में'' गठित उपसमिति की आख्या।

निर्णय : उपसमिति व्दारा प्रस्तुत आख्या पर विचार विमर्श के उपरान्त भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया गया।

Or

विषय संख्या : 17 ल0वि0प्रा0 की बैठक दिनांक 6/13 जनवरी के विषय संख्या : 30 " भूखण्ड संख्या : 13, राणा प्रताप मार्ग पर निर्मित ब्लाक–ए में किये जा रहे उपयोग को लखनऊ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स के क्रम में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में " गठित उपसमिति की आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई उपसमिति की आख्या पर विचारोपरान्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव निरस्त किया गया।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(डा.राम बिलास यादव)
सचिव

(बी. बी. सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

15.5.06.

(आर.के.मित्तल)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।